Tuesday, 28 June, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Fumigated On 18-9-92 Parliament Library

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, मंगलवार, 28 जून, 1977/7 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 15, Tuesday, June 28, 1977/Asadha 7, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 224 से 226	*Starred Questions No. 224 to 226	1
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7	Short Notice Question No. 7	11
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 243	Starred Questions No. 227 to 243	17
अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 से 2076	Unstarred Questions No. 1963 to 2076.	28
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	86
अनुदानों की मांगें, 1977-78	Demands for Grants, 1977-78	88
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George . . .	88
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R.K. Amin . . .	90
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo . . .	91
श्री बापू साहिब पारुलेकर	Shri Bapusaheb Parulekar . .	91
श्री के० एस० वीरभद्रप्पा	Shri K.S. Veerbhadrappa . .	92
श्री एल० एल० कपूर	Shri L.L. Kapoor . . .	94
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	Shri V. Kishore Chandra S. Deo .	94
श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे	Shri Gangadhar Appa Burande .	95
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash . . .	95
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . .	96
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh . .	97
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan .	97
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . . .	98
श्री बागुन सुम्बरुई	Shri Bagun Sumbrui . . .	100
श्री गोविन्द मुन्डा	Shri Govinda Munda . . .	100
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	101
श्री रामचन्द्र मलिक	Shri Ramchandra Mallick . .	102
श्री मोहन जैन	Shri Mohan Jain . . .	102
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad . . .	103
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	103
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri S. Kundu . . .	104
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik . . .	105

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28 जून, 1977/7, आषाढ़, 1899 (शक)
Tuesday, June 28, 1977/ *Asadha* 7, 1899 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Doubling of Kiul-Sahibganj Loop Line (Eastern Railway)

*224. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether several fast and long distance trains have been introduced on Kiul-Sahibganj loop line on Eastern Railway;

(b) whether there is a proposal to double this loop line in view of the further development work on this line; and

(c) if so, the time by which it is likely to be done?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir, but a survey is in progress to assess the traffic potential on this route.

(c) Does not arise.

Shri Jagdambi Prasad Yadav: Whether Government propose to double this main line keeping in view the development for the next 15 years ?

Shri Madhu Dandavate: As I have stated in my reply, a survey is in progress to assess the traffic potential. After the receipt of the survey report, it will be ascertained if there is any need to double this line or not.

So far as Sahibganj loop line is concerned, adequate number of trains have been provided there. On Kiul-Jamalpur route there are 11 pairs, on Jamalpur-Bhagalpur route there are 10 pairs, on Bhagalpur-Sahibganj route there are 9 pairs, on Sahibganj-Barharwa route there are 9 pairs, on Barharwa-Sainthia route there are 11 pairs and Sainthia-Khana-Burdwan Route there are 8 pairs of trains. Besides, five new trains have also been introduced there.

According to our report, the existing line capacity is not being fully utilised. However, a survey is in progress and a definite decision will be taken on receipt of the survey report.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Three trains run in three different directions from Jamalpur workshop as a result of which many other trains are detained there. I am sorry to say that the bureaucrats have always been in favour of having single line. The line upto Barharwa has already been doubled. I can say from my personal experience that trains are held up for considerable time due to single line and the goods trains are worst sufferers.

Shri Madhu Dandavate : It is a question of statistics and not of bureaucracy. I have got the figures about the charted line capacity and its utilisation there. Charted line capacity on Kiul-Jamalpur section is 20 and its utilisation is 75.6 per cent, on Jamalpur-Sahibganj section charted line capacity is 22 and its utilisation is 72.7 per cent and on Sahibganj-Barharwa section the charted line capacity is 22 whereas its utilisation comes to 69.1 per cent.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Nothing has been said about the detention. If there is capacity on this line, why the trains run late on this line ?

Shri Madhu Dandavate : It is not the question of jugglery of statistics. I am telling about the available capacity there and the extent to which it is being utilised. However, a survey is in progress and action will be taken on receipt of the final report.

Dr. Ramji Singh : I am pained to say that Muzzarpur-Howrah Passenger train did not run on time even on one occasion after lifting of emergency. Three Workmen trains i.e., Jamalpur-Kajra, Jamalpur-Sultanganj and Jamalpur-Monghyr make two trips each from Jamalpur workshop. These trains do not stop because worhshop suffers loss, but all the passenger and express trains are held up. Whether Muzzarpur-Howrah Passenger ever reached in time after emergency ? I would like to know when Kiul-Barharwa line will be doubled after receipt of the survey report keeping safety point in view also ?

Prof. Madhu Dandavate : We will certainly inquire into the matter that whether trains referred to by the hon. Member run late due to certain other reasons or due to saturated line capacity. I give an assurance to the hon. Member that we will certainly take necessary action on the basis of the survey report.

Shri Dharma Vir Vasisht : By what time this survey is likely to be completed ?

Prof. Madhu Dandavate : It is likely to be completed within a period of one or two years. However, we will issue order to complete survey as early as possible. After that we will place the report before the hon. Members.

Fertilizers factory proposed to be set up in Korba

*225. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the present state of the fertilizer factory proposed to be set up in Korba;

(b) the steps taken so far in this regard; and

(c) the date by which the said factory should have been set up and the reasons for delay ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) कोरबा उर्वरक परियोजना जून, 1974 में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई थी और इसे 1978 में पूरा हो जाना था। कुछ प्रारम्भिक सिविल निर्माण कार्य मुकम्मल किये गये थे तथा मदों और उपकरणों की डिलीवरी के लिए आर्डर भी दिये गये थे। तथापि, निम्न निर्णय के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन धीमा किया गया कि तालचर और रामागुण्डम में कार्यान्वयनाधीन कोयले पर आधारित दो संयंत्रों के संचालन से प्राप्त अनुभव के बाद ही इस परियोजना का आगामी कार्यान्वयन तथा कच्चे माल के रूप में कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के बारे में विचार किया जाना चाहिए ।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Whether it is a fact that the foundation stone of this fertilizer plant based on coal was laid on 15th April, 1973 and it was the first fertilizer plant based on coal; and if so, why it has been given up and Talcher and Ramagundam plants, which were started later, were undertaken ahead of it and why work on Korba plant has been held up ? Whether it is also a fact that it will adversely affect the development of Madhya Pradesh ?

श्री शान्ति भूषण : 1969 में कोयले पर आधारित तीन उर्वरक परियोजनाओं, जिनमें कोरबा भी शामिल था, के बारे में निर्णय लिया गया था । परन्तु 1973 में तेल का मूल्य बढ़ने के कारण सारी कीमतें बढ़ गईं । अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक संयंत्रों के लिये 1065 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । परन्तु मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी परिवर्तन करना होगा और उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध को 1065 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1488 करोड़ रुपये कर दिया गया है परन्तु नये उर्वरक संयंत्रों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है । यद्यपि कोरबा में कोयले पर आधारित टेक्नोलोजी से संयंत्र स्थापित किया जाना था, इस दौरान बम्बई हाई में गैस मिल गई और यह पाया गया कि संयंत्र टेक्नोलोजी पर आधारित उर्वरक संयंत्र निश्चय ही स्थापित किये जाने हैं । जहां तक कोयला टेक्नोलोजी का सम्बन्ध है इसे अभी आजमाया जाना था, अतः निर्णय किया गया कि कोरबा संयंत्र का काम धीमा कर दिया जाये और कोयले पर आधारित अन्य दो संयंत्रों अर्थात् तालचेर और रामगुंडम के परिणामों पर निगरानी रखी और यदि वे ठीक हैं तो कोरबा संयंत्र को आरम्भ किया जाये । इसी कारण कोरबा संयंत्र का काम धीमा किया गया ।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : I have categorically asked why Korba project has been slowed down and the work on other plant has been undertaken particularly when Korba plant was started first ?

Secondly, how much amount has been spent by Government on this work ? I have got the following report with me in this respect :

"कोरबा में उर्वरक कारखाने के काम का आरम्भ करने का विशेष महत्व है । भारतीय उर्वरक निगम द्वारा आरम्भ की गई 120 करोड़ रुपये की यह परियोजना कोयले पर आधारित है । चूंकि लम्बी दूरी तक कोयले की ढुलाई मंहगी है, कोयला खानों के निकट उर्वरक कारखाने लगाये जाने चाहियें"।

So the coal based plant at Korba is located near the coal mines and for this very reason this fertilizer plant was cleared to be set up in Madhya Pradesh. Moreover this area of Madhya Pradesh is backward also. This project has not been slowed down but it has been closed down. Crores of rupees have been invested in it. I would like to know the reasons for its closure.

Shri Shanti Bhushan : A decision was taken in 1969 to set up three coal based plants at Korba, Ramgundam and Talcher. So far as expenditure on Korba plant is concerned, an amount of Rs. 23 crores and 15 lakhs has been spent on it upto March, 1977 as against its total cost of Rs. 200 crores. An amount of Rs. 134 crores has been spent on Ramgundam plant and Rs. 130 crores have been spent on Talcher plant. The hon. Member has stated that Korba is located in coal belt but I may point out that Ramgundam and Talcher are also situated in coal belt. It has been decided that one of these plants is to be dropped because of increase in expenditure. All the three plants are situated in three different states. The state where plant is to be dropped, has got some sort complaint. I do not have detail figures with me. It may be possible that coal facilities at Ramgundam and Talcher may be more. Hence decision was taken to set up these plants there, but it was certain that all the plants cannot go together. So one of them has been slowed down as commitments already made were to be fulfilled. Hence it has been decided that gas based plants should be processed and it should be seen whether coal based plants prove successful or not.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : I did not get reply to my question. I had asked that work on Korba was undertaken first and crores of rupees were spent there than why it was stopped and work on other project was undertaken ? Whether there are any political reasons behind it ? In this way Madhya Pradesh has been neglected. Development of Madhya Pradesh has come to a stand still. I would like to know the reasons for all this.

Shri Shanti Bhushan : So far as I know, there are not political reasons behind it.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Mr. Speaker, Sir, I seek your protection. If the hon. Minister has not got complete information, reply to this question can be postponed. It is not an ordinary question. This has done to neglect Madhya Pradesh intentionally. Crores of rupees have already been spent there. The entire machinery is rolling there. Coal is available there in abundance. It will have to be transported to other places. The action taken in these circumstances is not proper. I want clear reply from the hon. Minister.

अध्यक्ष महोदय : यदि यह गलत है तो आप अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार की भर्त्सना कर सकते हैं । प्रश्न काल में आप ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री शशंकशेखर सान्याल : कुछ वर्ष पूर्व गोबर गैस घरेलू प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता था । इसके लिये कच्चा माल गाय का गोबर है और संयंत्र के लिये गाय के गोबर के उपयोग के बाद कुछ शेष बचता है । क्या सरकार ने गोबर तथा अन्य संयंत्रों के लिये उत्प्रेरिक माल के रूप में इस के प्रयोग के लिये इसे इकट्ठा करने की वांछनीयता और व्यावहारिकता पर विचार किया है?

श्री शान्ति भूषण : मेरे विचार में माननीय सदस्य सम्भवतः यह पूछ रहे कि क्या गोबर गैस प्लांट में प्रयोग होने वाले सामान का अवशेष खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है । मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है । अतः मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री बी० के० देव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनता सरकार ने कृषि, उर्वरक और सिंचाई पर जोर दिया है, हमें दीर्घकालीन आयोजना बनानी चाहिये । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर क्या कोरबा परियोजना के बन्द किये पर पुनः विचार करना सम्भव नहीं है क्योंकि भविष्य में हमें खाद की बहुत आवश्यकता है ?

श्री शान्ति भूषण : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरबा संयंत्र को छोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । निर्णय यह लिया गया है कि जहां तक गैस, जो बम्बई हाई या अन्य स्थानों में मिली है, पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें पहले आरम्भ किया जायेगा । सरकार यह निर्णय लेने से पूर्व कि कोरबा परियोजना में 200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाये या नहीं, कोयले पर आधारित दो प्लांटों की आरम्भ करने की प्रतीक्षा करेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The work on Korba project was started much earlier than that on Talcher and Ramgundam projects. If the Government had any plan of closing any one of them later on, it should not have undertaken Talcher or Ramgundam project and the Korba project should have been completed. I want to know how much amount has so far been spent and what would be the expenditure involved for restarting it. Is it a fact that it was intended to be completed by 1978 and the Planning Commission had given its approval. Now how much extra expenditure will have to be incurred on account of the delay in its completion when will the work be restarted on this project.

Shri Shanti Bhushan : A sum of two crore and thirty lakh rupees had been spent on Korba project. A committee headed by the Cabinet Secretary that was appointed in 1974 recommended that the work on Korba project should be slow down on account of the rise in cost. Accordingly the work on Talcher and Ramgundam project was accelerated and it was decided the question of restarting work on Korba project would be considered only after seeing how far the coal based plants have proved successful.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I need your protection. I had asked how much extra expenditure will be incurred on this project on account of the delay in its completion.

Shri Shanti Bhushan : The figures are not available with me at the moment. We have got very limited resources and the question is whether in such a situation we should spend money on Gas plants or coal based plants. As gas plant technology is a proven technology there is no risk involved in it. It was decided to build the maximum gas plants. As regards the coal based plants it is not certain whether they will prove successful or not.

अध्यक्षह् महोदय : आप आंकड़ों के संबंध में पूछ रहे हैं जैसा कि परियोजना पर वास्तविक लागत कितनी आएगी । मंत्री महोदय पूर्व सूचना के अभाव में यह जानकारी कैसे दे सकते हैं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मंत्री महोदय द्वारा कोरबा परियोजना पर काम धीरे किए जाने के लिए बताए गए कारणों के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि देश में सभी कारखानों की निर्धारित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता और बिक्री भी उत्पादन के अनुरूप नहीं है क्योंकि उर्वरकों के दाम बहुत ऊंचे हैं और उनको चुकाना साधारण किसान की क्षमता से बाहर की बात है । यदि यह बात सच है तो क्या मंत्री महोदय उर्वरकों के मूल्य को कम करने की कोशिश करेंगे ।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक क्षमता निर्माण का संबंध है सरकार वित्तीय संसाधनों के अनुरूप यथासंभव प्रयास कर रही है अन्य क्षेत्रों में भी भाप और गैस पर आधारित कई कार्य हो रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है चूंकि उर्वरकों के दाम अधिक है इसलिए कोरबा परियोजना पर धीरे कार्य किया जा रहा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : अन्य कारखानों की क्या स्थिति है ।

श्री शान्ति भूषण : अन्य कारखानों में भी वित्तीय संसाधनों के अनुरूप हम अधिकाधिक निर्धारित क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करेंगे ।

Shri Tej Pratap Singh : Will the hon. Minister be pleased to state the production capacity of each of the three fertiliser factories and the type of fertiliser produced therein.

Shri Shanti Bhushan : The information is not available with me. If the hon. Member will give a prior notice in this regard I will post him with the necessary information.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The hon. Minister has created many complications.

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं । वह आपको संतुष्ट नहीं कर सकते आप चाहते हैं कि वह एक विशिष्ट रूप में उत्तर दे जो स्वाभावतः मंत्री महोदय कर नहीं सकते । आप इस प्रश्न को संबद्ध मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय उठाएं । वह इस प्रश्न को उठाने का उचित समय होगा और आपको अधिक जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी ।

Dr. Laxmi Naryan Pandeya : I had asked earlier also why this project of Madhya Pradesh has been closed.

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णतयाः सहमत हूं कि क्या किया जा सकता है । मैं उन्हें किसी प्रश्न को किसी विशेष ढंग से उत्तर देने के लिये नहीं कह सकता ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Coal based fertilizer can be produced.

*226. **Shri Ugra Sen :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether some employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes working in the Marketing Division of the Indian Oil Corporation in Delhi have, while inviting attention of officers to the provisions relating to their reservation in promotion quota, submitted representations recently demanding promotions;

(b) if so, the efforts made to complete the reserved promotion quota and the number of employees given promotions in Delhi, post-wise; and

(c) whether before posting these employees outside Delhi on promotion, the fact that the quota reserved for them against those posts in Delhi has been completed is taken note of an if so, the reasons for sending some employees outside Delhi on promotion ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, हां।

(ख) पदोन्नति के लिए सारा उत्तरीय प्रदेश एक इकाई के रूप में समझा जाता है। वर्ष 1977 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की उत्तरीय क्षेत्र में निम्नलिखित ग्रेड-वार पदोन्नतियां की गयी थी :--

वर्ग	पदोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
टाईपिस्ट-व-लिपिक से सहायक	16	3	2
आशुलिपिक से वैक्तिक सहायक	4	—	—
सहायक से कार्यसंचालन अधिकारी ग्रेड-III/अनुभाग अधिकारी ग्रेड II/लेखाकार	6	—	--
स्टाफ कार चालक से टैंक-ट्रक चालक	2	2	—

(ग) पदोन्नति के प्रयोजनार्थ सारे उत्तरी प्रदेश की क्योंकि एक इकाई है अतः दिल्ली की रिक्तियों में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ugra Sen: It was generally broadcast on the Radio that the Government is giving its due attention to the weaker section of the society. I only want to know what action has been taken in accordance with the circular that was issued by the cabinet secretariat in the year 1972 which said that a separate roster should be kept for the promotion of Schedule Caste and Schedule Tribes and the vacancies kept for them should be reserved and the qualifications should be relaxed, and if no action has been taken the reasons therefor.

Shri Shanti Bhushan : I have no information of the circular referred to by the hon. member. If a due notice is given I will be able to furnish the necessary information.

Shri Ugra Sen : On the 30th March, 1976 Shri Shashi Bhushan had raised a question in this regard in this August House. In reply to the question it was stated that 39 persons are working in the grade of 295-520 out of which only 3 persons belong to Schedule Caste and Schedule Tribes. In the lowest grade of 180-291, 192 persons are working out of which thirty five persons belong to Schedule Tribes and Schedule Caste. I want to know from

the hon. Minister if he would ensure the reserved quota for Schedule Caste and Schedule Tribes is made fully available to them. Why after promotion they are sent out of Delhi inspite of vacancies existing at Delhi. Will the hon. Minister consider it.

Shri Shanti Bhushan : All efforts are being made to fill up the quota reserved for Schedule Castes and Schedule Tribes. The entire northern region is considered as one unit but the trouble is that the officials do not want to go out of Delhi even on promotion. Take for instance the case of Shri Jugal Kishore . He was due for promotion on 31-12-76. He qualified in the written test but during the interview he declined to go out of Delhi. As even the typists and clerks who are promoted as assistants do not wish to go out of Delhi. So it was decided to give promotion to those persons also who had put in three years service. Accordingly four persons were given promotion. Two out of which agreed to go out of Delhi while the other two refused to do so. As later on Jugal Kishore intimated his willingness to go out of Delhi. His promotion was sanctioned for Jodhpur, on 5th May. On the 11th May, 1977 he again refused to go out of Delhi. The trouble is that the officials do not want to go out of Delhi.

Shri Yagya Datt Sharma : It is not a question of only one department but it relates to the treatment of backward classes during the past 30 years. Therefore I would like to draw the attention of the Prime Minister and want an assurance from him that the breaucratic hurdles that have been causing obstructions till now will be removed, and the reserved quota of 12 per cent will be filled up in stipulated period.

Prime Minister (Shri Morarji R. Desai) : I am concerned with it and I will look after them. But it is not right to blame the bureaucracy. If at-all some body is to be blamed it is the Ministry.

Shri Lalji Bhai : The Schedule Castes and Schedule Tribes people who are permanently settled at Delhi are considered for this quota but in case of others those who are not permanently settled at Delhi only those of Schedule Caste are considered for this quota but no consideration is given to Schedule Tribes. Will the Government stop this discrimination.

Shri Shanti Bhushan : All efforts are made to fill the reserved quota and promotions are also made. The Schedule Tribes and Schedule Caste candidates are preferred even if they are less qualified to others. But the difficulty arises when they failed to come up to the minimum standard and the other trouble is that no one wants to get out of Delhi.

Shri Somji Bhai Damora : I want to know whether the Government is prepared to fill up the quota that has not been filled up during these thirty years.

Shri Shanti Bhushan : All efforts are made to fill up the quota. But if suitable candidate is not available among them then we don't have any other alternative except to wait.

Shri Mahi Lal : Government orders are not complied with at central level and state level. May I know whether any penal provisions have been made for such officers who do not comply with the orders in this regard. Will the hon'ble Minister issue such orders that the officers who ignore Schedule Caste and Schedule Tribes in the matter of promotion or direct recruitment will not be given promotion and bad entry will be made in his character role.

Shri Shanti Bhushan : If any officer deliberately defies the provision of the constitution and does not fill up the reserved quota, certainly an action will be taken against him.

Shli R.L. Kureel : If the quota is not filled up it should be presumed that the concerned officer was responsible for that and he should be held personally responsible for the lapse.

If such an action is not taken nothing concrete can be done and it would mean that the present Government is also following the footsteps of the previous Government.

Shri Shanti Bhushan : As I have stated earlier all efforts will be made to fill up the quota; as and when the suitable candidates are available.

श्री एल० के० डोले : मंत्री महोदय ने अभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने अथवा उनकी पदोन्नति के मामले में कुशलता के प्रश्न का उल्लेख किया है इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कार्य कुशलता की जांच करते हैं, क्या उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है ।

श्री शान्ति भूषण : विभागीय पदोन्नति समितियां नियमों के अनुरूप बनाई गई हैं । उन्हें इस बात की जांच करनी होती तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध है यदि अन्य श्रेणियों में चाहे उनसे अधिक बेहतर उम्मीदवार ही क्यों न उपलब्ध हों पर आरक्षित पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को ही दिए जाते हैं ।

Shri Sheo Narayan : A commission should be appointed to go into the misdeeds of the previous Government. I want an assurance from the Prime Minister that his Government will extend all help to Harijans. I have full faith in him.

The hon'ble Minister has stated the quota is not filled up for want of qualified candidates. My son is postgraduate from Allahabad University. He sucured 75 percent marks in the written test. But since he is of dark complexion he was rejected in interview I submit that undue importance should not be given to interview.

Shri Shanti Bhushan : The Government will ensure that no discrimination will be made on the basis of complexion full justice will be made to them. Instead of finding faults with the previous Governments we will prefer to come out with some solid programme.

As far the case of the hon'ble Member's son is concerned I will try to collect information.

श्री बी० राचैया : मैं यह जानना चाहता हूं कि पदोन्नति कोटे की कमी को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम का अनुसरण किया जाएगा । मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि हिन्दु महासभा के अध्यक्ष ने प्रैस में एक वक्तव्य दिया है कि राज्य विधान सभाओं में संसद में और सरकारी नौकरियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पद आरक्षित रखे गए हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए । सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री शान्ति भूषण : सरकार इससे बिल्कुल सहमत नहीं है ।

Shri Chhavi Ram Hryal : I want to know how many meetings of the D.P.C. Committee have been held and the quota filled up by them.

Shri Shanti Bhushan : The information is not available with me at the moment. If the hon. member will give a prior notice I will post him with the information as to how many meetings of the committee have been held and the number of persons selected by them.

श्री पी० के० कोडियन : मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ कुछ अन्याय हुआ है और उनका तबादला दूर दराज के क्षेत्रों में किया गया है । क्या सरकार ऐसी शिकायतों की ओर ध्यान देगी ।

श्री शान्ति भूषण : इस समय इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे इस बारे में तथ्यों का पता देंगे तो सरकार निश्चय ही उसकी जाँच करेगी और उनके साथ न्याय किया जाएगा।

Shri Ram Lal Rahi : The hon. Minister has just stated that quota reserved for Scheduled Caste has so far not been filled up. The Government is responsible for it not the administration. May I know when the Government has been issuing orders from time to time to administrative officers to fill up the reserved quota and they are not complying with the orders then who should be held responsible. The Government should be blamed not the officers.

Shri Shanti Bhushan : If any blunder is committed by ignoring Harijans, the responsibility will be that of the Government. If any officer has done a wrong thing in a certain case, it will be taken note of and the guilty officer will be punished.

Shri Ram Lal Rahi : I will like to ask the hon'ble Prime Minister if he will give an assurance to the House to fulfill the quota reserved for Harijans within three or four to five years as he has given to banish poverty within 10 years.

Shri Shanti Bhushan : We will try out best.

Shri Om Prakash Tyagi : Injustice is being done to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the Ministries of the Government. I would like to know the exact position. May I know if he will appoint any Commission or a Committee to see whether all the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being fulfilled; if not, it should be able to take suitable action ?

Shri Shanti Bhushan : The Government will consider this suggestion.

Shri Bagun Sumbrui : May I know if the Government propose to constitute a special Parliamentary Committee to enquire into the irregularities being committed in the matter of appointments and promotions of adivasis & harijans in Government departments ?

Shri Shanti Bhushan : The Government will consider this suggestion.

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक सदस्य खड़े हो जाते हैं। इस तरह तो आज यही प्रश्न निपटाया जा सकेगा। मुझे पता है कि यह एक गम्भीर समस्या और अविलम्बनीय समस्या है। पर आप सभी बैठ जायें। हम इस प्रश्न के लिए 10 मिनट का समय और ले सकते हैं।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : The figures given by the Hon'ble Minister refer to the promotion of those who draw salary from Rs. 250 to Rs. 400/-. But no body has been promoted among the higher officers. They have not been able to select any capable man from scheduled castes or schedule tribes, people for class I or higher posts. The Hon'ble Minister has assured us to remove the injustice done to this section of the society. Will the process be started from the cabinet ?

Shri Shanti Bhushan : I have given figures with reference to the question asked about the Indian Oil Corporation and Delhi Marketing Division. The question is not about higher posts.

Shri Ram Vilas Paswan : Ever since the formation of Janta Government, this impression is sought to be created in the minds of Harijans that this Government will not be able to protect the rights of Harijans. These sort of complaints were also heard during the elections that the Janta Party would not be doing anything for Harijans and that their reservation will be done away with. The Hon'ble Minister has said that the guilty officer will be punished but if the Government itself commits mistake then what is to be done.I can cite

dozens of examples. I had written to the hon'ble Minister that a certain person belonging to the scheduled castes was a suitable candidate for one post reserved for the scheduled castes. But no scheduled caste is appointed in Barauni. This time he had assured to appoint one but it has not been done.

Shri Shanti Bhushan : First of all I will like to tell that there is no such impression that the Janta Government will not do justice with Harijans. He has said that what will happen if the Government itself commits mistake. The Government is answerable to the people. If the Government fails to do justice, the people will take note of it.

Shri Bhagat Ram : Will the hon'ble Minister state the number of promotions withheld on the basis of confidential reports of persons belonging to non-scheduled castes and non-scheduled tribes and of those belonging to scheduled castes and scheduled tribes separately and if the percentage in respect of persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes is more what action is proposed to be taken by him ?

Shri Shanti Bhushan: This percentage is 15 per cent and 7 per cent for scheduled castes and scheduled tribes respectively in respect of promotions from Class II to Class III as well as in respect of those promotions from Class II to Class I where the direct recruitment is not more than 50 per cent.

श्री के० एस० चावड़ा : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी एक संसदीय समिति बनी हुई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सदस्यों की यह धारणा यह कि यह समिति ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही। क्या मंत्री जी बनायेंगे कि समिति के कार्य को उचित ढंग से चलाने के लिए वह क्या उपाय करना चाहते है ?

Shri Shanti Bhushan : As the Hon'ble Member says that this Parliamentary Committee is not working properly, it is for the Committee to function properly.

श्री के० ए० राजन : मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को नहीं भरा जा रहा विशेषकर तकनीकी पदों के लिए उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। इस बारे में मंत्री जी क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री शान्ति भूषण : सरकारी उपक्रम इन अनुदेशों को कार्यान्वित करें इसके लिए उपयुक्त उपाय किये जायेंगे।

Shri Roop Nath Singh Yadav : The Hon'ble Minister has said that suitable candidates are not available but may I know if it is not a mandatory provision in the Constitution to compulsorily fulfill the quota reserved for the Harijans and Adivasis. At present there is neither direct recruitment nor promotions. They are rejected on the pretext of suitability. But what is the criterion of suitability ?

Shri Shanti Bhushan : The criterion of suitability which is well understood is that the candidate should be able to discharge the work of that post on which he is to be appointed. For example if there is one engine driver and he is not capable of handling the work of a general manager. But because he is from schedule caste, so he must be appointed as a general manager to fulfill the quota. This sort of logic cannot hold good. But if a capable person is available he should be given a chance.

श्री डी० बी० पाटिल : मंत्री जी ने कहा है कि पदोन्नति के योग्य न होने के कारण बहुत से कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे होने का हमें अनुभव है लेकिन उन मामलों में पुनरीक्षण से पता चला कि जान बूझ कर ऐसा किया गया था और बाद में उनके साथ न्याय किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उन मामलों का पुनरीक्षण करेंगे जिनमे पदोन्नति योग्यता के आधार पर रोकी गई हो ताकि उन व्यक्तियों के साथ अन्याय न होने पाये।

श्री शान्ति भूषण : जी हां, यदि ऐसा पाया गया कि कुछ मामलों में गलत ढंग से योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति को रोका गया है तो निश्चय ही उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Sir, I think the hon'ble Minister has tried to side-track this important question about the scheduled castes saying that if any Government officer or employee does anything wrong, the Government will punish him and if the Government does wrong things, people will not spare it. In this way he wants to side-track this matter for five years. But I want to submit that this House will punish the Government. This question cannot be postponed for five years.

Today this feeling is being created in the minds of backward and Harijans that injustice is being done to them and that they will be deprived of all the rights & facilities being enjoyed by them at present. Therefore the Government should immediately make an announcement that all their rights & interests will be protected. This announcement should be made not by the Law Minister but by the Prime Minister himself.

Shri Shanti Bhushan : I will like to tell the hon'ble Member that the question of taking action against the Government does not arise at all when the Government does not intend to do anything wrong.

Shri Ugra Sen : Sir, my question has been made quite comprehensive and the hon'ble Minister has also given a detailed reply. My question was about the promotion of employees in the office of Indian Oil Corporation, Delhi. Length of service, qualification and confidential report are the three factors which are taken into consideration while promoting a person. It had been told in reply to a question asked by Shri Shanti Bhushan that there is not a single officer belonging to the scheduled castes and scheduled tribes in the pay scale ranging from Rs. 200-300 to Rs. 2000/-. May I know if you will take a lenient view of the confidential reports ?

Shri Shanti Bhushan : The Government will certainly see to it that no injustice is done to Harijans.

अध्यक्ष महोदय : आज एक प्रश्न पर ही सारा समय लग गया । बारह बजे है और प्रश्नकाल समाप्त हो गया । अब तो अध्यक्ष भी उसे नहीं बढ़ा सकते । अभी भी सदस्य महोदय संतुष्ट नहीं हैं ।

एक अल्पसूचना प्रश्न है ।

खेद है कि मैं सदस्यों की सहायता नहीं कर सकता । इसे प्रश्नकाल में उठाने की बजाये आप इस पर वाद-विवाद या चर्चा कर सकते हैं । मैं भविष्य में ऐसा किय जाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं ।

अल्पसूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

काल पात्र

7. **डा॰ सुब्राह्मण्यम स्वामी :**

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

श्री समर गुह :

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किले में दबाये गये इतिहास के कालपात्र में बहुत ही गम्भीर ऐतिहासिक त्रुटियाँ हैं : और

(ख) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 15-8-1947 से 15-8-1972 तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के 10,000 शब्दों के विवरण में कुछ तथ्य संबंधी गलतियां हैं ।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि रजत जयन्ती स्वतंत्रता समारोह को काल पात्र को बाहर निकाल लिया जाए और उसकी विषय वस्तु से जनता को अवगत करा दिया जाए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्रीजी के पास जो साक्ष्य है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि 1947 से भारतीय इतिहास में केवल सात महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ही नाम हैं और तीन ऐसे विदेशियों के नाम हैं जिन्होंने काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ? क्या यह भी तथ्य है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के नामों का उल्लेख नहीं । मैं जानता चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय के पास यह जानकारी गुप्त रखने का कोई सांविधिक अधिकार है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : शिक्षा मंत्रालय के पास कुछ दस्तावेज हैं जो मूल की प्रति समझे जाते हैं । मैं कह नहीं सकता कि क्या यह बिल्कुल ठीक-ठीक है क्योंकि काल पात्र को निकाल कर ही प्रति से मिलाया जा सकता है । तभी ठीक-ठीक जानकारी हो सकती है ।

यह ठीक है कि सात नामों का उल्लेख है जिनमें तीन विदेशी हैं: मेकनॉटन, ओवन डिक्सन, और ग्राहम ।

यह भी ठीक है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, श्री लाल बहादुर शास्त्री और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नामों का कोई उल्लेख नहीं है ।

जब मूल काल पात्र निकाला जायेगा तो उसकी प्रति सदस्यों में वितरित कर दी जाएगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे गुप्त रखने का क्या कोई सांविधिक अधिकार है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मुझे इस का कोई पता नहीं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मंत्री जी को जानकारी है कि दिल्ली के अन्य भागों में कई और काल पात्र दबाये गये हैं । एक शांति वन में, नेहरू समाधि के पास और उन काल पात्रों में 1964 से 1972 तक के भारतीय इतिहास में गम्भीर त्रुटियां हैं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वास्तव में तीन काल पात्र हैं। एक का उल्लेख कर ही चुका हूं । एक नेहरू काल पात्र है जो 27 मई, 1972 को शान्तिवन में गाड़ा गया था । इस में जो लेख है उसकी प्रति हमारे पास नहीं है । अतः उसको निकाले बिना पता नहीं चल सकता कि उसमें क्या लिखा है । लेकिन हमारे मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू की 8वीं पुण्य तिथि अर्थात् 1964 तक अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाओं का उल्लेख है । एक और काल पात्र है गांधी काल पात्र जिसकी तारीख 30 जनवरी, 1973 है जिसे गांधी स्मृति में गाड़ा गया है और उसमें कोई लेख नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चूंकि पहले वाले में गलतियां हैं इसलिए क्या उन्हें भी निकाला जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि चूंकि नेहरू काल पात्र में कुछ लेख हैं इसलिए उसे निकालना तो लाभदायक है पर गांधी काल पात्र में कोई लेख नहीं अतः उसे निकाले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Arjun Singh Bhadoria : May I know the name of the writer of this insulting document and whether this shameful and illogical document has been written by impartial scholars or it is the Government's Research Committee headed by Smt. Indira Gandhi herself which is the author of this documents ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : रिकार्ड से पता चलता है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार किया है।

श्री समर गुह : देश के इतिहास के साथ विश्वासघात का काम काल पात्र से ही शुरू नहीं हुआ। सन् 1950 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए डा० आर० सी० मजूमदार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में डा० मजूमदार ने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी, आजाद हिंद फौज और महाराष्ट्र, बंगाल तथा उत्तरी भारत के क्रान्तिकारियों के अंशदान पर यथोचित बल दिया जाना चाहिये। उस समिति को एकाएक भंग कर दिया गया और डा० मजूमदार को, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कोई राष्ट्रीय सम्मान नही दिया गया। उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं चाहिये लेकिन उनकी सेवाओं का उचित सम्मान तो होना चाहिये। उन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापिकता दी जा सकती है। हमारे कई बार अपील करने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि काल पात्र में क्या लिखा है इसका कुछ पता नही। पर राष्ट्र को उसके बारे में जानने का अधिकार है। भारत के सपूत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पहली बार गांधी जी को 'बापू' कहा था। आज सभी उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। हमें जानने का अधिकार है कि बापू और नेहरू के बारे में क्या लिखा गया है ?

माउंटबेटन ने अपने भाषण में बड़ी गम्भीर बात कही है कि उन के कहने पर नेहरू जी सिंगापुर में उस स्मारक को देखने नहीं गये जो नेताजी ने आजाद हिंद फौज के शहीदों की याद में बनाया था। माउन्ट बेटन ने उस स्मारक को गिरा दिया था। हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्ही के कहने पर आजाद हिन्द फौज को भारतीय सेना में नहीं लिया गया और उसे कोई मान्यता नहीं दी गई ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय इतिहास के इस घिनौने अध्याय को भी काल पात्र में शामिल किया गया है या नहीं ?

देश को यह जानने का अधिकार है। गांधी और नेहरू के काल पात्र निकाले जायें ताकि देश को पता चले कि उनमें क्या लिखा है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन काल पात्रों को निकाले बिना ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उन्हें निकाले जाने के बाद सारे भारत वरन् समूचे विश्व को उनमें रखे लेखों के बारे में पता लग जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : From the reply given by the hon'ble Minister it appears that the previous Government and their Prime Minister cheated and misled not only the country but also the coming generation because of personal and political reasons. This type of shame ful thing was not done by anybody in the history.

(Interruptions....)

अध्यक्ष महोदय: आप शांत रहिये।

श्री कंवरलाल गुप्त : पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप के पास अभी उपलब्ध सभी जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ताकि हर एक को उसके बारे में पता चल सके। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या राजनीतिक आग्रहों को छोड़कर स्वतंत्र इतिहास लिखने का कोई प्रस्ताव है जिसमें 15 अगस्त, 1977 तक की अवधि का उल्लेख हो क्योंकि उस अवधि में आपात स्थिति और ज्यादतियों आदि का वर्णन होगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इतिहास लिखना बहुत कठिन कार्य है और इतिहास की रद्दी की टोकरी में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति पड़े रहते हैं। अतः काल पात्र में क्या लिखा गया था उसकी चिंता नहीं की जानी चाहिये। जो प्रति मूल की ठीक-ठीक प्रति न हो उसे सभा पटल पर रखना उचित न होगा। अतः जब काल पात्र निकाला जायेगा तो उसकी प्रतियां बनवा कर सदस्यों में वितरित की जायेंगी। किसी भी प्रकार के इतिहास को लिखने का सरकार का कोई विचार नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि काल पात्र के पीछे मूल रूप में किसका दिमाग काम कर रहा था ? इस बारे में पिछले शिक्षा मंत्री ने पहल की या पिछले प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था। क्या इस बारे में मंत्री मंडल स्तर पर विचार हुआ था या क्या उस समय के प्रधान मंत्री के किसी सहयोगी ने कोई आपत्ति की थी या सभी उससे सहमत थे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में, जिसने इस घिनौने दस्तावेज को तैयार किया, परिवर्तन करने और क्या उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध शिक्षा मंत्री जी कार्यवाही करेंगे? यह बड़ी हैरानी की बात है कि भूमिगत आलेखों की कोई प्रति सरकार के पास नहीं है। मैं उन विद्वानों के नाम जानना चाहता हूं और उन्हें क्या पारिश्रमिक दिया गया था इस घिनौने और विनाशकारी चीज लिखने के लिए क्या-क्या लाभ पहुंचाया गया।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे सकता। हां इस आलेख का प्रारूप एक श्री एस० कृष्णस्वामी ने तैयार किया था और शायद डा० गोपाल ने उसकी जांच करके उस समय के प्राधिकारी को भेजा था जिन्होंने उस पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह किसके पहल करने पर किया गया ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दस्तावेज लिखने का कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस परिषद ने एक पेनल गठित किया होगा। हमें इस बात की जानकारी भी है कि पेनल बनाया गया था। पर मंत्री जी इस समय नाम बताने की स्थिति में नहीं हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या इस परिषद द्वारा तैयार इतिहास का संपादन करने के लिए कोई समिति बनी थी। दूसरे क्या मामले की जांच के लिए मंत्रीमण्डल ने भी समिति नियुक्त की थी क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला था और मंत्रीमण्डल जैसे राजनीतिक निकाय ने जरूर भूमिका निभाई होगी।

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : सदस्य महोदय से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे तो यही पता था कि यह काम एक श्री एस० कृष्णस्वामी को सौंपा गया था बाद में डा० गोपाल ने उसे देखकर प्राधिकारियों को भेज दिया था (**व्यवधान**)

जब सरकार की ओर से काम किया गया तो मेरा अनुमान है कि यह किसी प्राधिकारी द्वारा ही किया गया होगा। मुझे सूचना मिली है कि मंत्रीमंडल ने उस पर विचार नहीं किया और जांच के लिए कोई समिति भी नहीं थी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह बात तो लोक सभा के रिकार्ड में है कि इस सभा को सूचना दिये जाने से पहले श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बता दिया कि डा० राजेन्द्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचार्य के नाम उसमें नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री स्वामी की पहुंच में सरकार की फाइलें हैं या क्या मंत्री जी ने उन्हें फाइल दिखाई है ?

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दूं कि सरकार के साथ बात-चीत करने के बाद प्रश्न पूछने की मुझे आदत नहीं। ऐसा करने का संसदीय ढंग उनका अपना हो सकता है। श्री ईरा सेझियान ने नवम्बर, 1973 में एक प्रति सभा पटल पर रखी थी जो उन्हें प्राप्त हो गई थी जिसमें सारे तथ्य दिये गये थे। मैंने यही पूछा था कि उस चर्चा के दौरान कही गई बात सत्य थी या नहीं।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य की सद्भावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। बिना स्रोत बताये एक सदस्य को किसी भी रिपोर्ट से उद्धृत करने का अधिकार है। यह तो सदस्य का सर्वोच्च अधिकार है।

(व्यवधान....)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। हर एक सदस्य जानकारी प्राप्त कर सकता है किसी को कोई आपत्ति नहीं।

श्री पी० के० देव : काल पात्र में जो दस्तावेज रखे गये हैं, हमें लगता है कि उनमें भारतीय इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। मंत्री जी द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर मैं बधाई देता हूं कि सारी चीजों को निकाल कर उनमें निहित लेखों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी। क्या वह विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन समिति नियुक्त करेंगे जो भारतीय इतिहास से भलीभांति परिचित हो और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि को छोड़कर इतिहास लिखें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा मैंने कहा है कि सरकार कोई इतिहास लिखाना नहीं चाहती।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Sir, I want to know the total expenditure incurred on embedding this capsule and the expenditure likely to be incurred on digging it out ? Will this amount be realised from those who have betrayed the country ? May I know whether the persons responsible for it will be black listed and whether those persons have been removed from their seats of authority ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक मुझे पता है कि काल पात्र गाड़ने पर 30,000 रुपये खर्च हुए थे और इतना ही धन उसे निकालने पर खर्च होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह इतना आसान नहीं क्योंकि मैंने पता किया है कि इसे ह्यूम पाइप में 40 फुट नीचे रखा गया है जहां पक्का फर्श है। उसके अन्दर इस्पात का काल पात्र है। इस इस्पात के कालपात्र में तांबे का काल पात्र है। इसे निकालना भी इंजीनियरी दक्षता का कार्य है, कोई आसान काम नहीं।

Shri Vijay Kumar Malhotra : What action is proposed to be taken against the persons responsible for it ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पहले हम यह तो देखें कि उसमें क्या लिखा है ?

श्री के० मालन्ना : काल पात्र निकालने का निर्णय तो कर लिया गया है । क्या सरकार इस विषय की जांच के लिए कोई संसदीय समिति गठित करने की सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : काल पात्र निकाले जाने के बाद आप इस सभा की कोई समिति गठित करना चाहें या दूसरी सभा के उपसभापति के साथ मंत्रणा करके कोई संयुक्त समिति बनाना चाहें ताकि ठीक तरीके से कालपात्र को निकाले जाने के काम का निरीक्षण हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं ।

Shri Chandra Shekhar Singh : Will the hon'ble Minister accept this suggestion to open the capsule embedded in Red Fort on the 15th August, 1973 having a document full of praise for Mrs. Indira Gandhi as well as the other embedded in Shanti Vana and Birla Bhavan on the 27th May, 1972 and the 30th January, 1973 respectively ?

Will he take stern action against those who have prepared this document and who have omitted the names of National personalities ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

श्री सम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि राजघाट में गाड़े गये कालपात्र में क्या है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : एक लम्बी सूची में 20 चीजें लिखी हैं । यदि आप अनुमति दें तो मैं उस सभा पटल पर रख दूं ।

अध्यक्ष महोदय : हां रख दीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चापलूसों की फौज और परम्परागत शासन साथ-साथ चलता है । (व्यवधान...)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतनी महान विभूति डा० राधाकृष्णन का पुत्र डा० गोपाल किसी सरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी नियुक्ति पर है ? दूसरे क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि फाइल किसने चलाई, क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे गये और अन्तिम रूप से स्वीकृति किसने दी ? इस कालपात्र को कब निकाला जायेगा और क्या उसकी सुरक्षा के लिये पुलिस रक्षक लगाये जायेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : डा० गोपाल इस समय पेरिस में युनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में हैं और वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद से भी सम्बद्ध हैं । जहां तक पुलिस रक्षकों का प्रश्न है उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फाइल पर आदेशों की बात के बारे में नहीं बताया (व्यवधान...)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह फाइल खो गई है । मुझे सूचना मिली है कि सारी फाइलें 22 मार्च को ही गायब कर दी गईं थीं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं । मैं जांच करूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलगाड़ियों में सुरक्षा के लिए तथा चोरी की घटनाएं रोकने के लिए प्रस्ताव

*227. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलती गाड़ियों में सुरक्षा की व्यवस्था के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है–

(ख) क्या सरकार ने रेलों में, विशेषकर माल गाड़ियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते : (क) कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है, व्यक्तियों और रेलों द्वार. बुक न किए गए यात्रियों के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । व्यक्तियों और यात्रियों की सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रेल प्रशासन को राज्य सरकारों की सहायता लेनी पड़ती है । यह विभिन्न स्तरों पर लगातार राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सहयोग बनाए रख कर और उनके द्वारा मांगी गयी हर प्रकार की सहायता देकर किया जा रहा है ।

राज्य सरकार इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए रात की महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्ग रक्षी भेज कर, स्टेशन के प्लेटफार्मों प्रतीक्षालयों में निमित रूप से गश्त लगाने वाले सिपाही तैनात करके, अपराधियों पर नजर रखकर और विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों द्वारा आवश्यक कदम उठा रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) चोरियों, विशेष रूप से मालगाड़ियों में होने वाली चोरियों की रोकथाम के लिए जो मुख्य उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :–

(i) यार्डों में माल डिब्बों की सुरक्षा पर पर्यवेक्षण कार्य में तेजी लायी गयी है ।

(ii) भेद्य सामानों को 'ब्लाक लोड' में ले जाए जाने के प्रयास किये जाते हैं और उन पर माल रक्षक भेजे जाते हैं ।

(iii) रेलवे की चुरायी गयी सम्पत्ति खरीदने वालों को पहचानने के लिए आसूचना के काम को सुदृढ़ किया गया है और इस प्रकार चुरायी गई सम्पत्ति को बरामद करने के लिए बार-बार छापे मारे जाते हैं ।

(iv) कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रेलों में अपराध करने वाले जाने-पहचाने व्यक्तियों को पकड़ने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं ।

(v) रेलों पर अपराधियों की गतिविधियों को दबाने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ।

(vi) नोटिस में लाये गये अपराधों की जांच पड़ताल प्रभावशाली ढंग से की जाती है ।

(vii) अपराध को पता लगाने की प्रणाली में संशोधन किया गया है और बदनाम स्थलों का पता लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रभावकारी सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं।

(viii) विन्यास यार्डों में गश्त लगाने के लिए रेल सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों का अधिक उपयोग किया जा रहा है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा की गई टिप्पणियां

***228. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**

श्री के० ए० राजन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निदेशक डा० नित्यानन्द द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जो कि उन्होंने भारतीय भेषज उद्योग के सामने आई चुनौतियों के सम्बन्ध में एस० एस० सोखे की स्मृति में दूसरी आम भाषण माला के दौरान की थी और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) डा० नित्यानंद ने अपने भाषण में बताया है कि अधिकांश उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में भेषज उद्योग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, अर्थात् (i) यह बहुत अधिक प्रोद्योगिकी पर आधारित है और (ii) लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित होने के नाते इसका सामाजिक महत्व भी है। औषध उद्योग द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन पर भी उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जैसे आवश्यक प्रपुंज औषधों और भेषजों का देशीय रूप से अत्यधिक उत्पादन करना औषधों के मूल्यों को कम-से-कम स्तर पर लाना, ब्राण्ड नामों को समाप्त करना, इस बात को सुनिश्चित करना कि घरेलू और आम दवाइयां ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूरस्थ स्थानों में उपलब्ध हों, जिसके लिये प्रौद्योगिकी के आयात और प्रपुंज औषधों के आयात पर प्रतिबन्ध के बारे में एक स्पष्ट नीति अपनाई जाए। उनके अधिकांश विचारों और प्रस्तावों पर हाथी समिति द्वारा भी औषध और भेषज उद्योग पर अपनी रिपोर्ट में विचार किया गया है। हाथी समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली अतिरिक्त रेलगाड़ियां

***229. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मियों की छुट्टियों के कारण यात्रियों की भीड़ को ले जाने के लिये अप्रैल, मई और जून, 1977 के महीनों में अहमदाबाद और बम्बई के बीच कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई;

(ख) क्या उपरोक्त रेलगाड़ियां पूरी तरह भरी हुई चलती रही थीं;

(ग) उपरोक्त रेलगाड़ियों में प्रति दिन औसतन कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(घ) क्या अहमदाबाद से बम्बई और बम्बई से अहमदाबाद तक रात को यात्रा करने के लिये नियमित रूप से अतिरिक्त तेज रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) अप्रैल से जून, 1970 के दौरान बम्बई सैन्ट्रल और अहमदाबाद के बीच कुल 36 जोड़ी विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं ।

ख) इन गाड़ियों का यथोचित रूप से उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) जितने स्थानों की व्यवस्था की गयी उसका तथा प्रारम्भिक स्टेशनों के जितने स्थानों का उपयोग किया गया उसका औसत क्रमशः पहले दर्जे में 86 और 36 तथा दूसरे दर्जे में 706 और 498 था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायिक सुधार

*230. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ न्यायिक सुधार करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) बकाया मामलों की संख्या को घटाने की और शीघ्र न्याय दिलाने की दृष्टि से सरकार निम्नलिखित कार्यवाही करने जा रही है :—

(i) उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने का विचार है ।

(ii) जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद् के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा । इसमें 42वें संशोधन में अन्तर्विष्ट न्यायिक प्रशासन के पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा । न्यायिक सुधारों से संबंधित नीतियां उस व्यापक विधेयक को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी ।

निर्वाचन संबंधी सुधार

*231. **श्री चित्त बसु :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन संबंधी सुधार करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय तेल कम्पनियों का पुनर्गठन

232. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पैट्रोलियम उत्पादों के शोधन और वितरण के क्षेत्र में 8 भारतीय कम्पनियों को पुनर्गठित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय निम्नलिखित तीन प्रमुख तेल कम्पनियों सहित एक तीन कम्पनी के गठन का सुझाव दिया गया है :—

1. इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०

2. भारत रिफाइनरीज़ लि०

3. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०

हाल ही में अधिग्रहीत कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० में मिलाने का प्रस्ताव है तथा असम आयल कम्पनी लि० का अधिग्रहण करने के पश्चात् उसे भारत रिफाइनरीज़ लि० में मिलाने का प्रस्ताव है। मद्रास शोधनशाला लिमिटेड और कोचीन शोधनशाला लि० पृथक शोधनशाला कम्पनियों के रूप में बनी रहेंगी और उनके उत्पादों का इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० के माध्यम से विपणन कार्य वर्तमान यथास्थिति के अनुसार जारी रहेगा। इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि० के माध्यम से हो रहा पैट्रोलियम उत्पादों का विपणन कार्य भी यथास्थिति के अनुसार चालू रहेगा।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए लाखों डालर का भुगतान करने संबंधी समाचार

*233. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मई, 1977 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उन समाचारों की सरकार को जानकारी है, जिनमें यह बताया गया है कि गत सितम्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका में 'ग्राण्ड जूरी' के समक्ष बताई गई बातों और 'संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एक्सचेन्ज कमीशन' द्वारा जोर दिये जाने पर उसके समक्ष प्रकट की गई बातों से, सातवें दशक में कोचीन तेलशोधक कारखाने के लिए सौदे किये जाने और उसके निर्माण के सिलसिले में भारतीय राष्ट्रिकों को लाखों डालर का भुगतान किये जाने की सम्भावनायें प्रकाश में आई हैं ;

(ख) क्या लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने कुछ समय पहले अपने प्रतिवेदन में भी इस मामले की आलोचना की थी; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। अमेरिकी फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा कर कानून संबंधी उल्लंघनों की अमेरिका में ओक्लाहोमा स्थित तुल्सा के संघीय महान्यायवादी द्वारा जांच की गयी थी। अमेरिका के जिला न्यायालय में दायर किये गये अपने अभियोग पत्र में महान्यायवादी ने फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी तथा इसके कुछ कार्यकारियों को सात मामलों में दोषी ठहराया है। इनमें से कुछ कम्पनी के कर विवरणों में भारत स्थित कोचीन शोधनशाला लि० से तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को दिखाने में कम्पनी की असफलता से संबंधित हैं। अभियोगपत्र में छठी दशाब्दी में कोचीन शोधनशाला के संबंध में हुई बातचीत और निर्माण कार्य के बारे में भारतीय राष्ट्रिकों को एक मिलियन डालर के भुगतान किये जाने की किसी संभावना का उल्लेख नहीं है।

इस संबंध में प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है।

सरकार और अधिक सूचना एकत्र के लिए कदम उठा रही है। सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् आगामी कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जायेगा।

फिलिप्स कम्पनी

*234. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप्स कम्पनी के विरुद्ध चल रही जांच के बावजूद उसे विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की बाबत या तो स्व-प्रस्ताव से अथवा रजिस्ट्रार, निबंधनकारी व्यापार अनुबंध की रिपोर्टों के आधार पर छः जांचें संस्थापित कीं, जिनमें फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, एक पार्टी थी। इन जांचों में से दो अंतिम रूप से निपटा दी गई हैं, तथा शेष चार अभी तक अनिर्णीत हैं। इन जांचों के संस्थापन के पश्चात् सरकार द्वारा, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के निम्नांकित दो विस्तार प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं :—

(1) डायमन्ड ड्राविंग डाईज के 800 प्रतिवर्ष संख्या से 5000 प्रतिवर्ष संख्या के निर्माण में बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने तथा आयात को कम करने की दृष्टि से विस्तार; तथा

(2) वोल्टाज लेबिल इन्डीकेटर्स के पूर्णरूपेण निर्यात के लिए 15 लाख संख्या प्रतिवर्ष के निर्माणार्थ, एक नवीन उपक्रम की स्थापना।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

*235. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्तमान ढांचे को पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ बनाने के संबंध में मालवीय समिति की सिफारिशों सहित इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :--

(1) आयोग के सदस्यों की कार्य संचालन संबंधी उत्तरदायित्वों को पहचानने के लिए सदस्य (अपतटीय) के पद को तटीय और अपतटीय दोनों प्रकार के अन्वेषण क्रियाकलापों के समग्र उत्तरदायित्वों सदस्य (अन्वषेण) में परिवर्तित कर दिया जाये। इसी प्रकार से, सदस्य (तटीय) के पद को तटीय और अपतटीय दोनों प्रकार के कार्य संचालनों के लिए कच्चे तेल आदि के उत्पादन और परिवहन संबंधी सभी क्रियाकलापों के सारे उत्तरदायित्वों सहित सदस्य (उत्पादन) के पद में परिवर्तित किया जाये। प्रशासन संबंधी उत्तरदायित्व को, जो कि आज तक किसी सदस्य का उत्तरदायित्व नहीं रहा है, अब उसे सदस्य (सामग्री) के कार्यभार का एक भाग बनाया जायेगा और उसे सदस्य (प्रशासन एवं सामग्री) के नाम से पदनामित किया जायगा। सदस्य (वित्त) ही एक मात्र ऐसा सदस्य होगा जिसके कार्यभार में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) अब तक आयोग के पूर्ण कालिक सदस्यों का वेतनमान 2500--3000 रुपये था। आयोग में वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि योग्यताओं (अहर्ताओं) और अनुभव आदि पर आधारित समुचित रूप से उपयुक्त मामलों में एक सदस्य को 3000--3500 रुपये अथवा 2500--3000 रुपये के वेतनमान में रखा जा सकता है।

(3) विकास योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु गठित संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से और आयोग के तटीय और अपतटीय दोनों प्रकार के व्यापक रूप से विस्तृत कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए, दो वरिष्ठ स्तर के प्रबंध निदेशकों के पदों का सृजन किया गया है। ये पद 3000-3500 रुपये के वेतनमान में होंगे परन्तु यदि पर्याप्त रूप से वरिष्ठ व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते तो यह पद 2500-3000 रुपये के वेतनमान में चलाये जायेंगे। इनमें से एक प्रबंध निदेशक सभी अपतटीय कार्य संचालनों के कार्यान्वियन के लिए कुल मिलाकर उत्तरदायी होगा, जबकि दूसरा प्रबंध निदेशक सभी तटीय कार्य संचालन का उत्तरदायी होगा।

(4) आयोग की वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक क्षमताओं में सुधार करने के लिए, और इस पर उच्च स्तरीय ध्यान केन्द्रित करने के लिए, देहरादून स्थित पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान के लिये प्रत्यक्ष रूप से सदस्य (अन्वेषण) का उत्तरदायित्व होगा। इसी प्रकार से आयोग द्वारा देहरादून और अहमदाबाद में स्थापित किये जा रहे क्रमशः दो व्यधन प्रौद्योगिकी एवं जलाशय भंडार संस्थान अध्ययन संस्थानों के लिये सदस्य (उत्पादन) का उत्तरदायित्व होगा।

आपात स्थिति और संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम के बारे में गोष्ठियों अथवा संगोष्ठियों में न्यायाधीशों द्वारा भाग लिया जाना

*236. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा घोषित की गई आपात् स्थिति और प्रस्तुत किए गए संविधान (42वां) संशोधन विधेयक तथा अन्य अलोकतांत्रिक काननों का समर्थन करने के लिये आयोजित गोष्ठियों/संगोष्ठियों में उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों ने सक्रिय रूप से भाग लिया; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार के पास अभी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। संविधान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्थिति है उसको तथा उनके पद की गरिमा को बनाए रखने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार है कि ऐसी जानकारी इकट्ठी करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्तावित नये उर्वरक संयंत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश का प्रस्ताव

*237. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एस० जी० मुरूगटयन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नये उर्वरक संयंत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को पूंजी-निवेश करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, उर्वरक उद्योग को लाइसेंस देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में रखा गया है और यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी खुला है। नये उर्वरक संयंत्रों में निवेश के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

"इन्डरेल पास" टिकटधारी विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षण

*238. **श्री के० मालन्ना :**

श्री मीठा लाल पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे विदेशी पर्यटक और 'अनिवासी भारतीय' (नान-रेजीडेंट इंडियन्स) वैध "इन्डरेल पास टिकट" की अवधि में आरक्षण करा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा हाल में विदेशी पर्यटकों के लाभ के लिए जो नई व्यवस्था लागू की गई है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सितम्बर, 1975 में भारतीय रेलों पर 21 दिन तक असीमित यात्रा की अनुमति देने के लिए 'इच्छानुसार यात्रा करो' टिकट जारी करने की एक योजना आरम्भ की गयी थी। ये टिकट केवल विदेशी पर्यटकों/भारत में निवास न करने वाले उन भारतीयों को जिनके पास वैध पासपोर्ट हों और जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करें, जारी किये जा सकते थे। ये टिकट राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए वैध

नहीं थे। निर्धारित किराये इस प्रकार थे :-- वातानुकूलित दर्जे के लिए 200 अमरीकन डालर, पहले दर्जे/वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए 80 डालर और दूसरे दर्जे के लिए 25 डालर। विदेशी पर्यटकों की यात्रा को और आगे प्रोत्साहित करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करने के लिए 1-6-77 से पहली योजना में सुधार किया गया है जिसके अन्तर्गत ये टिकट 7 दिन से 90 दिन तक विभिन्न अवधियों के लिए उपलब्ध होते हैं। इन टिकटों का नाम बदल कर 'इन्डरेल पास' कर दिया गया है जो यूरोपियन और ब्रिटिश रेलों द्वारा चलायी गयी 'यूरेल पास' और 'ब्रिट रेल पास' जारी करने की ऐसी योजनाओं के अनुरूप है।

2. 'इन्डरेल पास' के किराये नीचे लिखे अनुसार हैं :--

विवरण

वैधता की सीमा	वातानुकूलित दर्जा	पहला दर्जा वातानुलित कुर्सीयान	दूसरा दर्जा
7 दिन	70	35	12
15 दिन	100	50	17
21 दिन	125	63	21
30 दिन .	150	75	25
60 दिन	220	110	37
90 दिन . . .	260	130	45

3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधा किराया लिया जाता है जो निकटतम डालर तक पूर्णांकित होता है।

3. जैसा कि विगत में होता रहा है, इन टिकटों को केवल विदेशी नागरिकों तथा विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों को बेचा जा रहा है जिनके पास वैध पारपत्र होते हैं। भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। बिक्री के लिए ये टिकट निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :—

1. रेलवे पर्यटक गाइड, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, बम्बई।
2. रेलवे पर्यटक गाइड, मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी०।
3. रेलवे पर्यटक गाइड, पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, कलकत्ता।
4. केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे, एसप्लेनेड मैन्शन, कलकत्ता।
5. केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, दक्षिण रेलवे, मद्रास सैन्ट्रल, मद्रास।
6. रेलवे पर्यटक गाइड, उत्तर रेलवे, बड़ोदा हाउस, नयी दिल्ली

उपर्युक्त रेलवे कार्यालयों के अलावा सभी दर्जों के इन्डरेल पास टिकट ऐसे मान्यताप्राप्त रेलवे ट्रैवल एजेन्टों द्वारा बेचे जा सकते हैं जिनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिबन्धित मुद्रा विनिमय करने का लाइसेंस हो।

4. 'इन्डरेल पास' धारी को पास की वैधता की अवधि में राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों से अपनी इच्छानुसार यात्रा करने का अधिकार होगा।

चूंकि राजधानी एक्सप्रैस के किराये में भोजन प्रभार शामिल होते हैं अतएव राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में 'इन्डरेल पास' धारी को भोजन के लिए अलग से कोई प्रभार नहीं देना पड़ता। इसके अलावा, 'इन्डरेल पास' पर यात्रा करने वालों को शयन अधिप्रभार अथवा सुपर फास्ट गाड़ियों द्वारा यात्रा के लिए पूरक प्रभार का भुगतान नहीं करना पड़ता। वैधता की अवधि की गणना प्रथम यात्रा की तिथि से वैधता समाप्ति की तिथि की मध्य रात्रि तक की जायेगी। 'इन्डरेल पास' का आंशिक रूप से उपयोग किये जाने अथवा निचले दर्जे में यात्रा के लिए किराये की वापसी नहीं की जाती है।

5. इन्डरेल पास खरीदने के लिए रेलवे कार्यालयों में केवल अमरीकन डालर अथवा पाउन्ड स्टलिंग में ही भुगतान स्वीकार किया जाता है। अन्य विदेशी मुद्राए पर्यटकों को प्राधिकृत डालर से अपेक्षित मात्रा में रुपयों में परिवर्तित करानी होती हैं और तब 'नगदी प्रमाण पत्र' के साथ रुपयों में भुगतान किया जाता है।

6. 'इन्डरेल पास' योजना आरम्भ हो जाने से विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली अन्य सभी रियायतें जैसे छात्रों को रियायत, पहाड़ी स्थानों के लिए रियायत, परिक्रमा पर्यटन टिकटें आदि वापस ले ली गयी हैं।

7. 'इन्डरेल पास' धारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था युक्तिसगत बनाने के लिए उन्हें गाड़ी छूटने की तारीख से एक वर्ष पहले अग्रिम आरक्षण कराने की अनुमति है जबकि अन्य यात्रियों को छः माह की सुविधा है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर चुनी हुई गाड़ियों में विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षण का कोटा निर्धारित है। 'इन्डरेल पास' धारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इसके अतिरिक्त, बम्बई वी० टी०, चर्चगेट (बम्बई), फेयरली प्लेस (कलकत्ता), बड़ौदा हाउस (नयी दिल्ली) तथा काटगोदाम स्टेशन पर पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए रेलवे के टूरिस्ट गाइड रखे गये हैं। 'इन्डरेल पास' धारी इन से न केवल आरक्षण के मामले में सहायता ले सकते हैं बल्कि इनसे इच्छानुसार भ्रमण योजना भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा, इस आशय के आदेश भी जारी किये गये हैं कि जहां कहीं संभव हो, आरक्षण के अनुप्रयुक्त मुख्यालय कोटे से विदेशी पर्यटकों को मदद दी जाये। यह सुविधा 'इन्डरेल पास' धारियों को भी सुलभ होगी।

8. रेलवे के मान्यताप्राप्त पर्यटन एजेन्टों को यह सुविधा दी गयी है कि वे विदेशी पर्यटक दलों के आरक्षण के लिए एक वर्ष पहले सम्बद्ध आरक्षण कार्यालयों को सीधे भुगतान किये गये जवाबी तार भेज सकते हैं। इस तार में केवल बर्थ/सीटों की कुल संख्या और टिकटों के नम्बर देने की आवश्यकता होती है। आरक्षण कार्यालयों द्वारा तार प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसका जवाब दिया जाना चाहिए। पर्यटकों का अलग-अलग नाम, राष्ट्रीयता आदि का ब्यौरा यात्रा आरम्भ होने के 10 दिन पहले तक बताया जा सकता है।

संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली 'रिट' याचिका

*239. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के 42वें सशोधन को चुनौती देने वाली 'रिट' याचिका के बारे में उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार पर सूचना की तामील की है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना पक्षकथन उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसे कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। आशा की जाती है कि विरोध में शपथपत्र 20 जुलाई, 1977 तक दाखिल कर दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने यही तारीख इस काम के लिए नियत की है।

गर्मियों की यात्री-भीड़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रेलगाड़ियां

*240. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में इस वर्ष गर्मियों की यात्री–भीड़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष रेलगाड़ियां चलाने संबंधी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिये सामान्य सुविधाए न जुटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों में इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) (क) गर्मी के चालू मौसम के दौरान यात्रियों की भीड़-भाड़ की निकासी के लिए मूलतः 1044 विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, गाड़ियों की वर्तमान वहन क्षमता को भी यथा व्यावहारिक बढ़ाया गया है। यदि यातायात मिलता रहे तो रेल प्रशासन विशेष गाड़ियों की सख्या बढ़ाकर 1200 तक कर सकती है।

(ख) और (ग) यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों और मध्यवर्ती स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विशेष सावधानी बरती गयी है। इस वर्ष के अनुभव के आधार पर भविष्य में इन व्यवस्थाओं में और भी अधिक सुधार किया जायेगा, यदि आवश्यक पाया गया।

Expenditure incurred on Railway Saloon Cars

*241. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Saloon Cars in the country and the amount of annual expenditure incurred on the maintenance and operation of these saloon cars ;

(b) whether an assessment of the utility of these saloon cars has been made and if so, the details thereof ; and

(c) whether Government propose to reduce their number ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) There are 343 8-wheeler (Bogie) and 658 4/6-wheeler Inspection Carriages on the Indian Railways as on 31-3-76. Separate record of maintenance costs is not kept for Inspection Carriages (Saloon Cars).

(b) Yes. A review of the utility of Inspection Carriages has been conducted by this Ministry. The use of Inspection Carriages, which are generally referred to as Saloons,

is permitted by Railway Officers for inspection purposes. Instructions have also been issued to ensure that the Inspection Carriages should be used only for track and other outdoor inspection when the location of inspection is at out of the way place, where suitable accommodation is not available.

(c) This Ministry has decided not to produce any Inspection Carriages on additional account. However, the question of reducing the number of Inspection Coaches is being reviewed.

Special facilities to Students and others for going to Hill Stations

†*242. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways have provided some special facilities to the students and other persons going to hill stations during the summer vacations ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

During the summer months from April to June, the Railways have provided the following facilities to the students and other persons visiting hill stations :

(i) Concessional hill station return tickets at $1\frac{1}{2}$ single journey fares over the rail portion are being issued to Jammu Tawi serving Jammu & Kashmir State and Gangtok. Out Agency serving Sikkim State for First class and Second class available for three months from all stations from which the chargeable distance is 800 Kms. or more. This concession can be availed of by all persons, including students, visiting these two hill stations.

(ii) Students of recognised educational institutions are also otherwise allowed the the facility of rail travel concession when undertaking educational tours to different places in the country, including any hill station, when they travel in parties of not less than ten subject to the tour being sponsored by their educational institutions. The element of concession allowed to them for such educational tours is 15% in First class and 50% in Second class.

(iii) For the convenience of passengers travelling to and from hill stations during summer months when schools/colleges close, as many as 270 special trains are planned to be run. In addition, the loads of existing trains are also augmented to the extent feasible.

कुरसेला-नवाबगंज-फुलकाहा वरास्ता रूपनली भवानीपुर को जोड़ने वाली नई रेल लाइन

*243. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरसेला और नवाबगंज, फुलकाहा, बरास्ता रूपनली-भवानीपुर-धामदाहा बनमनटोली, को जोड़ने वाली कोई रेल लाइन नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस लाइन को बिछाने का है जिससे कि किसानों और निर्धन लोगों की दशा में सुधार हो और कलकत्ता को पटसन भेजने में सहायता मिले ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) (क) जी हां, कोई रेलवे लाइन नहीं है।

(ख) फिलहाल प्रस्तावित रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

1963. **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, के प्रबंध निदेशक श्री जे० जी० कुमारमंगलम से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें श्री प्राण प्रसाद के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की है जो वर्ष 1972 तक बर्ड-हेलजर्स कम्पनी समूह के चेयरमैन थे और जिन्होंने हेलजर्स कम्पनियों के उप समूह की लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की सभी परिसम्पत्तियां अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर ली थी ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बिजनैस स्टेंडर्ड आफ करलकत्ता के 1 जून, 1977 के संस्करण में "बर्ड इर्रेगुलैरिटीज रिपोर्टिड टु सी०आई०डी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिये इस मामले की जांच करने का है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की रिपोर्ट परीक्षान्तर्गत है।

Flush Latrines in Class IV Quarters in Railway Colony Kishanganj, Delhi

1964. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether flush latrines have been provided in some class IV quarters in Railway Colony Kishanganj while some other such quarters have not been provided with this facility;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which flush latrines will be provided in remaining quarters ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a), (b) & (c) Out of 898 Class IV Staff Quarters in Delhi Kishanganj Railway Colony, 288 units have so far been provided with individual flush type latrines, while for others community flush latrines exist. Individual flush latrines are being provided in the remaining quarters on a programmed basis according to availability of funds. In the current year, work on 96 units is in hand. Another 303 units will be covered in the future works programmes. The remaining 211 quarters are proposed to be replaced with new quarters.

Broad gauge line from Kota to Ajmer

†1965. **Shri S.K. Sarda** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the progress made in the implementation of the scheme formulated for laying broad gauge line from Kota to Ajmer and the time by which this line is likely to be laid ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No survey has been carried out for laying a new railway line between Kota and Ajmer in recent years and it will not be possible to consider the proposal at present on account of scarcity of resources.

विद्युत रेल-पथ का बहरामपुर (पूर्व-रेलवे) तक विस्तार करना

1966. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत रेल-पथ को, जो इस समय पूर्व रेलवे के सियालदह, लालगोडा सेक्शन पर सियालदह और कृष्णनगर के बीच में है, और आगे उत्तर में मुर्शिदाबाद जिले के मुख्यालय नगर-बहरामपुर कोर्ट स्टेशन तक बढ़ाने का विचार है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि इस बारे में जनता की मांग काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस बारे में कार्य प्रारम्भ करने के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) निकट भविष्य में यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए कृष्णानगर सिटी और बहरामपुर कोर्ट के बीच वर्तमान किस्म के कर्षण में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। इसलिए, इस खंड पर विद्युत कर्षण पर निवेश का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है।

City Allowance and other Facilities to Railway Employees of Mughalsarai Junction

†1967. **Shri Narsingh Yadav :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the same city allowance and other facilities which are available to the railway employees living in the jurisdiction of Varanasi Nagarmahapalika (Municipality) are proposed to be provided to the railway employees of Mughalsarai junction as the cost of living in Mughalsarai is higher than that in Varanasi Nagarmahapalika area ; and

(b) the time by which electricity and water facilities will be provided to those railway employees of Mughalsarai junction who are living in Islampur, Tajpur, Bechupur and other villages adjoining railway colonies and do not have electricity and water tap facilities ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Provision of water supply and electricity to areas not within Railway limits cannot be undertaken by Railway.

लखनऊ (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे फार्मासिस्ट

1968. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में लखनऊ में काम कर रहे कुछ फार्मासिस्टों को प्रभागीय अधिकारियों अर्थात् लखनऊ के डी० एम० ओ०, डी० एस० ओ० और डी० एस० के परामर्श से अधिक जिम्मेदारी तथा 205—280 रुपये (ए० एस०) का ऊंचा वेतनमान दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में फार्मेसिस्ट के एक पद का ग्रेड 1-4-56 से संशोधित करके 60-130 रु० (निर्धारित वेतनमान) से 150-225 रुपये (निर्धारित वेतनमान)/205-280 रु० (प्राधिकृत वेतनमान) का कर दिया गया था, जिसकी बकाया राशि 1-4-57 से देय की गयी। उस रेलवे के अन्य 6 मंडलों में भी इसी प्रकार ग्रेडों का दर्जा बढ़ाया गया था। 26-3-65 तक 205-280 रु० (प्राधिकृत वेतनमान) के ग्रेड के फार्मेसिस्टों के इन पदों को उत्तर रेलवे के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था, उसके बाद यह निर्णय किया गया कि इस ग्रेड के पदों का नियंत्रण मंडलों द्वारा किया जायेगा। तदनुसार 22-3-63 को मुख्यालय से इस ग्रेड को संशोधित किये जाने के आदेश जारी किये गये, जिसके अनुसार वरिष्ठतम सात फार्मेसिस्टों को 1-4-56 से पूर्व व्यप्ति सहित बढ़ाये गये ग्रेडों के 7 पदों पर पदोन्नत कर दिया गया, जिनमें लखनऊ मंडल का एक पद भी शामिल था। इस आधार पर, लखनऊ मंडल में बढ़ाये गये ग्रेड में एक पात्र कर्मचारी को 1-4-56 से 30-6-61 तक की अवधि का लाभ दिया गया जो उसके बाद सेवा निवृत्त हो गया था।

3-3-65 से 205-280 रुपये (प्रा० वे०) के ग्रेड के इस पद पर उपयुक्तता जांच में उत्तीर्ण होने पर एक अन्य कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया। वास्तव में 1-7-61 से 2-3-65 तक की अवधि में वह 130-240 रु० (प्राधिकृत वेतनमान) के निचले ग्रेड में काम कर रहा था और उस रेलवे पर कुल मिलाकर फार्मेसिस्टों की समग्र वरिष्ठता सूची के आधार पर वह पदोन्नति का पात्र भी नहीं था। लेकिन, गलती से उसे 1-7-61 से 2-3-65 तक की अवधि की बकाया रकम की अनुमति दे दी गयी, परिणाम यह हुआ कि इस कर्मचारी को अधिक भुगतान कर दिया गया। रेल प्रशासन ने निर्णय किया है कि उस राशि को वसूल किया जाये।

Conversion of Moradabad-Kashipur Line into Broad Gauge Line

*1969. **Shri Bharat Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The time by which work of converting Moradabad-Kashipur narrow gauge line into broad gauge line is proposed to be completed ; and

(b) whether there is a scheme for the construction of a railway line for developing Kumaon hill area as a tourists attraction and for the transportation of the produce of that area ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The work on conversion of Moradabad-Ramnagar metre gauge line into broad gauge is in progress. Howevere due to limited availability of funds, no target date for completion of the work can be given at this stage.

(b) Yes.

Donations to Congress Party through advertisements by M/s. Orient Paper Mills and Jai Electric Wire Corporation Limited

1970. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Messrs. Orient Paper Mills Ltd. Brijrajnagar (Orissa) donated a sum of Rs. 1,99,000 to All India Congress Committee (a Political Party) at the end

of 1976 towards advertisements in the Souvenir as revealed by the accounts of the Company at page 16 (Income-expenditure/Profit-loss accounts); and

(b) whether similarly the Jai Electric Wire Corpoaration Ltd., also donated Rs. 30,000 to Maharashtra Pradesh Congress Committee for the advertisements details of which have been reported to in the 'Indian Express' dated 26th Feburary, 1977 ?

The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) A payment of Rs. 1,99,000 for advertisements in souvenirs of All India Congress Committee has been included under "Miscellaneous Expenses" in the Company's Profit & Loss account for its financial year ended on 31-3-1976.

(b) No. Sir, From the news item in Indian Express dated 26-2-77 it appears that the Bombay High Court had restrained the company from paying Rs. 30,000/- to Maharashtra Pradesh Congress Committee for booking advertisements in souvenirs on a motion by a shareholder.

Fixing the Prices of Essential Drugs

1971. Shri Dharamasinbhai Patel: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) When the prices of essential drugs were fixed last ; and

(b) the percentage of profit allowed to companies ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N.Bahuguna) :

(a) The prices of essential bulk drugs listed in Schedule I to the Drug (Price Control) Order, 1970, were fixed by the Government in May 1970 on the recommendations of the Tariff Commission. These prices have been revised subsequently on the basis of escalation in the input costs after due cost-cum-technical examination by the Bureau of Industrial Costs & Prices.

(b) Presently, 12% return on net worth is being allowed to the manufacturers of these bulk drugs.

कीटनाशी दवाओं की कीमत का घटाया जाना

1972. श्री मंगतराम :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशी औषधियों की कीमत में कमी करने और किसानों को इसकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशकों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को देश में निर्मित्त कीटनाशकों की मुख्य मदों के लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिए निवेदन किया था। तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों के पांच मदों के बारे में ब्यूरो की रिपोर्ट हाल

ही में प्राप्त हुई है। शेष मदों और सूत्रयोगों से सम्बन्धित अध्ययन प्रगति पर है। ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और यथा आवश्यक उचित कार्यवाही की जाएगी।

हिल स्टेशनों के लिए विशेष छुट्टी गाड़ियां

1973. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हिल स्टेशनों के लिए विशेष-छुट्टी-गाड़ियां चलाकर गर्मियों की भीड़-भाड़ समाप्त करने के लिए विशेष कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) इस ग्रीष्मकाल के दौरान पर्वतीय और छुट्टी संबंधी यातायात की भीड़भाड़ की निकासी के लिए रेलों ने निम्नलिखित विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनायी है बशर्ते इनके लिए यातायात मिलता रहे :—

मार्ग	गाड़ियों की जोड़ी
1. दिल्ली जम्मू तवी	51
2. बम्बई-जम्मू तवी .	9
3. सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी	36
4. हवड़ा-जम्मू तवी .	4
5. अहमदाबाद-मारवाड़ . .	61
6. दिल्ली-कालका .	7
7. लखनऊ-काठगोदाम	32
8. बम्बई-पुणें .	53
9. दिल्ली-देहरादून .	9
10. लखनऊ-देहरादून .	8
जोड़ . . .	270

इसके अतिरिक्त वर्तमान गाड़ियों में यथा व्यावहारिक अधिक डिब्बे भी लगाये गये हैं।

कहीबाड़ी में हुई रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के रिश्तेदारों को नौकरी

1974. **श्री निहार लास्कर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कहीबाड़ी में 30 मई, 1977 को हुई रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने के बारे में उनके मंत्रालय ने निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ऐसे रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है,

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों को अभी भी नौकरी दी जानी है, और

(घ) रेल दुर्घटना में मृत रेल कर्मचारियों के रिश्तेदारों को अन्य क्या लाभ दिये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं। सिवाय मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों के।

(ख) से (घ) दुर्घटना में मारे गये कर्मचारियों के 9 मामलों में से आठ मामलों में आश्रितों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गये हैं। मृत कर्मचारियों के सम्बन्धियों को 3500 रुपये की दर से अनुग्रह भुगतान भी किये गये हैं।

Laying of Hridayagarh-Sarni Railway Line in Betul District

†1975. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government have approved a proposal to lay Hridayagarh-Sarni railway line in Betul district and if so, the time by which Government propose to lay this line ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): No. However construction of a broad gauge line from Hridayagarh to Damua which forms a part of Hridayagarh-Sarn line, is included in the Budget.

बिना प्रथम श्रेणी के डिब्बों के यात्री गाड़ियों का चलाया जाना

1976. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटपडी और तिरुपति, पाकाला और फर्माविरम के बीच अधिकांश यात्री गाड़ियां बिना प्रथम श्रेणी के डिब्बों के चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा निर्वाचन में धांधली के बारे में जांच

1977. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विरोधी दल यह पता लगाने के लिये कि क्या गत लोक सभा निर्वाचन में धांधली हुई थी, जांच आयोग के गठित किये जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल ही में यह मांग दोबारा की है और अनुरोध किया है कि इसी आयोग से उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये भी कहा जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विरोधी दलों की मांग स्वीकार कर ली है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री. (श्री शान्ति भूषण) : (क) यह पता लगाने के लिए कि क्या गत लोक सभा निर्वाचन में धांधली हुई थी, जांच आयोग गठित करने के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उटता ।

Construction of Gates at Railway Crossings

†1978. **Chaudhury Hari Ram Makkasar Godara** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to construct gates (barriers) at railway crossings so as to avoid accidents ; and

(b) action being taken to construct tracks for crossing railway crossings ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b)-The Railways undertaken periodical census of road and rail traffic at unmanned level crossings to review the need for their manning, taking into account the traffic density, visibility, accident proneness and other factors. Based on such reviews, some unmanned level crossings are manned (and thus provided with gates/barriers) every year. During the five years from 1971-72 to 1975-76, 234 level crossings were provided with gates (barriers).

There are more than 22,000 unmanned level crossings on the Indian Railways. If all these were to be manned it would mean an initial investment of more than Rs. 100 and recurring annual maintenance cost of about Rs. 30 crores. The Railway Accidents Inquiry Committee 1968 had also made the following observations:

"The manning of the level crossings does not provide a completely satisfactory remedy against accidents at level crossings".

It is, therefore, neither feasible nor necessary to man all the unmanned level crossings and provide gates/barrier therefor.

धर्मनगर से अगरताला और नरेन्गी तथा बर्नीहत के बीच रेल लाईनें

1979. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला और मेघालय में नरेन्गी से बर्नीहत तक रेल लाइनों के निर्माण में कितना प्रगति हुई हैं–

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 में पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) त्रिपुरा और मेघालय में क्रमश: धर्मनगर-कुमारघाट-अगरतला और गुवाहाटी बुरनीहाट रेल सम्पर्कों के लिए सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। संसाधनों की तंगी के कारण इन लाइनों का निर्माण 1977-78 के बजट में शामिल करना संभव नहीं हो पाया है।

Decision to dispense with Alarm Chain in Trains

†1980. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to dispense with the alarm chain system in the trains; and

(b) if so, the reasons therefor?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Does not arise.

इरोड रेलवे स्टेशन

1981. **श्री आर० कोलनथाइवल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इरोड रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित प्रतिक्षा-कक्षों में गन्दगी और अस्वच्छता की जानकारी हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेशन पर भिखारियों और कोढ़ियों को खुली छूट मिली हुई है;

(ग) क्या स्टेशन पर लगे पाइपों और अन्य उपकरणों को बार-बार हटाया जाता है और यह एक चिन्ता का विषय है; और

(घ) यदि हां, तो स्टेशन का ठीक रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क), (ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) स्टेशन परिसरों के उचित अनुरक्षण और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है। जो कमियां पायी जाती हैं, उन्हें दूर कर दिया जाता है।

Waiting Facilities for Passengers at Naya Nagar Station

1982. Shri Ram Sewak Hazari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether waiting room facility is proposed to be provided to the passengers at Naya Nagar Station in North-Eastern Railway; and

(b) if so, the time by which it would be provided?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A and (b) waiting hall has been provided at Naya Nagar railway station for the convenience of all classes of passengers.

Further augmentation of the waiting hall/room facilities will be considered when increase in traffic justifies the same.

नेशनल रेयन कम्पनी

1983. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयन कम्पनी इस समय डावांडोल स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी कानून बोर्ड का उक्त मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से कम्पनी विधि बोर्ड को सम्बन्धित करते हुए कपाडियाओं द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं और कुप्रबन्ध को ध्यान में दिलाते हुए, दिया गया था।

(ख) मामला कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है ।

Setting up a Bench of High Court at Meerut

†1984. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) Whether Uttar Pradesh Government had sought Central Government's approval for setting up in Meerut a bench of the Allahabad High Court; and

(b) if so, whether the approval has been accorded?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs: (Shri Shanti Bhushan): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. A decision one way or another would be taken in due course.

Law Minister's Discussion with Russain Leaders

*1985. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state whether he had discussions with Russian leaders in Moscow while going to participate in Maritime Laws Conference organised by U.N.O. and if so the salient features thereof ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : There were discussions with Russian leaders in Moscow. they mainly related to the desirability of co-operation between the Indian and U.S.S.R. delegations to the U.N. Law of the sea Conference, as well as the need for continuing Indo-Soviet Friendship.

उत्कल एक्सप्रेस तथा कलिंगा एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग बदलने का प्रस्ताव

1986. **श्री पी० के० देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल एक्सप्रेस अथवा कलिंगा एक्सप्रेस के मार्ग को बदलकर बिलासपुर बरास्ता रायपुर तथा विजियानगरम से पुरी तक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ये दोनों ही एक्सप्रेस गाड़ियां एक ही मार्ग--अर्थात् बिलासपुर-खड़गपुर और पुरी पर चलती है और उड़ीसा के केवल पांच जिलों यथा सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बालासौर, कटक तथा पुरी से ही होकर गुजरती हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित मार्ग, अर्थात् बरास्ता रायपुर और विजियानगरम्, बोलन्गिर, कालाहांडी, फूलवनी, कोरापुट तथा गंजाम होकर जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । लेकिन, 77/78 उत्कल एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलती है और 143/144 कलिंग एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चलती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Extension of Bhagalpur-Mandar Hill Line upto Jamtara

†1987 **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether the former Railway Minister (Shri L. N. Mishra) had given an assurance that Bhagalpur-Mandar Hill railway line will be extended upto Jamtara via Dumka; and

(b) whether Government propose to consider the question of fulfilling this assurance and if so, the steps proposed to be taken by Railway Ministry in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) Ministry of Railways are not aware of any such commitment. A Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for extension of the Bhagalpur-Mandar Hill line upto Baidyanath Dham (Deogarh) has been included in this years budget.

सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना में भ्रष्टाचार

1988. **श्री ए० के० राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा फैलाये गये गम्भीर रूप से जड़ जमाये हुए व्यापक भ्रष्टाचार से सार्वजनिक धन की भारी क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के ठेकेदारों और कर्मचारियों के विरुद्ध दो छोटी-छोटी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें एक की जांच की गई है तथा कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरी जांचाधीन है।

दिल्ली में तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था के लिए प्रारूप

1989. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 12 करोड़ रुपये की लागत की तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था का कोई प्रारूप रेल विभाग के पास है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में दैनिक यात्रियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक लघु योजना जिसमें परिक्रमा रेलवे पर बिजली गाड़ी चलाने की कल्पना है, का अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार 6 डिब्बों वाली गाड़ी चलाने पर लगभग 18.7 करोड़ रुपये और 9 डिब्बों वाली गाड़ी चलाने पर लगभग 23.2 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत आयेगी। सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद इस योजना के पूरा होने में तीन वर्ष लगने की संभावना है बशर्ते इसके लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जा सके।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1990. **श्री गणनाथ प्रधान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) क्या ऐसे मामलों को निपटाने के काम में तेजी लाने के लिए उड़ीसा के पश्चिमी भाग में सर्किट न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) (31 12 1976 को) 3,111 मामले।

(ख) जी नहीं।

इटली की सनम प्रागेटी को ठेके दिया जाना

1991. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की सनम प्रागेटी को भारतीय उर्वरक निगम की बम्बई परियोजना का ठेका केवल एक आधार पर दिया गया था;

(ख) इस सौदे के बारे में भारतीय उर्वरक निगम तथा सम्बद्ध मंत्रालय की क्या राय थी;

(ग) उस व्यक्ति का क्या नाम है, जिसने ये ठेका देने का निर्णय लिया था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इटली की सनम प्रागटी को कौन कौन सी परियोजनायें और ठेके दिये गये और उनके लिए कितनी धनराशि दी गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ट्राम्बे 5 के अमोनिया संयंत्र के लिए एफ सी आई द्वारा टेंडर आमंत्रित किए गए थे। सनम प्रोगटी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव प्राप्त टेंडरों से कम नहीं था। तथापि, सनम प्रोगती को ठेका बातचीत के आधार पर दिया गया था। सनम प्रोगती ने अपने मूल्यों को कम कोटेशन तक रखने को स्वीकार किया था और वह 10 मिलियन डालर के भारतीय उपस्कर और सेवाओं के निर्यात के लिए सहमत हुए तथा इस उद्देश्य के लिए 10 मिलियन डालर के समान रुपयों में भुगतान को प्राप्त करना भी स्वीकार किया। यूरिया संयंत्र के बारे में टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए थे और ठेका बातचीत के जरिए सनम प्रोगती को दिया गया था। इस मामले में भी सनम प्रोगती ने 6 मिलियन डालर के निर्यात दायित्व को स्वीकार किया था।

(ख) और (ग) ट्राम्बे 5 प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 1975 में तैयार की गई कार्यवाही योजना में एफ सी आई ने अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के लिए इंजीनियरी ठेकेदारों के चयन और बोली लगाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए सिफारिश की है। कार्यवाही योजना पर अन्तर मंत्रालीय बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि दोनों संयंत्रों के लिए ठेका देने हेतु बोलियों को आमंत्रित करना चाहिए। तदनुसार एफ सी आई ने अमोनिया संयंत्र के ठेके के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। सनम प्रोगती, जिसका कोटेशन कम नहीं था, संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया

था जिसम भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात का प्रस्ताव शामिल था। मंत्रालय ने कार्यालय स्तर पर सनम प्रोगती द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव के बावजूद सिफारिश की थी कि एफ सी आई को उस पार्टी, जिनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से अच्छा और वाणिज्यिक रूप से लाभदायक था, के साथ ठेके पर बातचीत करने की स्वीकृति देनी चाहिए। तथापि कार्यभारी मंत्री ने वित्त मंत्री के परामर्श से आदेश दिया कि सनम प्रोगती को ठेका देना चाहिए बशर्ते कि उनका कोटेशन कम कोटेशन के साथ मेल खाता हो और उन्हें उपर्युक्त निर्यात दायित्व को पूरा करना चाहिए। यूरिया संयंत्र के बारे में, बोलियों को आमंत्रित करने से पहले भूतपूर्व कार्यभारी मंत्री ने सुझाव दिया था कि सनम प्रोगती को बातचीत के आधार पर ठेका देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सचिवों की विशेष समिति ने 21 अक्तूबर, 1975 को हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि एफ सी आई को पहले निर्णय लिए हुए के अनुसार यूरिया संयंत्र के लिए बोलियों को आमंत्रित करना चाहिए। तथापि कार्यभारी मंत्री ने वित्त मंत्री के परामर्श से यह निर्णय लिया था कि मैसर्स सनम प्रोगती को ठेका बातचीत के आधार पर देना चाहिए।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स सनम प्रोगती को उर्वरक प्रायोजनाओं के लिए निम्नलिखि ठेके दिए गए थे :

फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

1. प्रक्रिया, डिजाइन पैकेज आयातित उपस्कर आदि सहित ट्राम्बे 5 के यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए ठेका	डालर : 10,290,00
2. मूल डिजाइन उपस्कर, प्रपुंज सामग्री आदि की सप्लाई सहित ट्राम्बे 5 प्रायोजना के अमोनिया संयंत्र की स्थापना के लिए ठेका।	डालर : 20,649,315
3. एफ सी आई के पी एंड डी प्रभाग द्वारा की जाने वाली विस्तृत इंजीनियरी के लिए सनम को दी जाने वाली राशि	रुपये : 14,665,000

उपर्युक्त दिखाई गई राशि के अलावा एफ सी आई को अतिरिक्त पुर्जों, केटलिस्टस, कच्चे माल और अधिप्राप्ति प्रभार आदि के लिए सनम को 15,011,535 डालर देने हैं।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाईज़र को-आपरेटिव लि०

1. फूलपुर प्रयोजना के लिए तकनीकी सेवा पर्यवेक्षण सेवाओं की सप्लाई के लिए ठेका :

(1) शुल्क	डालर : 6,80,000
(2) तदनुरूपी राशि के लिए भारतीय रुपयों में . .	डालर : 1,30,000
2. फूलपुर प्रायोजना के लिए प्रक्रिया और विस्तृत इंजीनियरी आदि के लिए ठेका।	डालर : 3,575,000

गुजरात स्टेट फर्टिलाईज़र कम्पनी लिमिटेड

यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए ठेका . . .	डालर : 15,363,500

इसके अलावा, विदेशी कम्पनी से प्रतिपूर्ति के आधार पर उपस्कर की खरीद के लिए, यदि ये उपस्कर देश में उपलब्ध नहीं हैं, तो ठेके पर 7 मिलियन डालर की राशि अलग से रख दी गई है। इस राशि में समुद्र भाड़ा और अधिप्राप्ति भाड़ा आदि भी शामिल है।

बम्बई हाई में पांचवें उत्पादन प्लेटफार्म का निर्माण करने के लिए की गई कार्यवाही

1992. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई में पांचवें और सबसे बड़े उत्पादन प्लेटफार्म का निर्माण करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आयेगा;

(ग) क्या फ्रांस और जापान जैसे कुछ देश इसके लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम समझौता हो गया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय बम्बई हाई में दो उत्पादन प्लेटफार्म है और वर्ष 1979 की वर्षा ऋतु से पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वहां पर एक तीसरे उत्पादन प्लेटफार्म को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्लेटफार्म की प्रतिदिन लगभग 1,60,000 बैरल तेल को साफ करने की क्षमता होगी। इसकी लागत का अनुमान लगभग 43 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) उपरोक्त तीसरे उत्पादन प्लेटफार्म की स्थापना से सम्बन्धित निर्णय अभी हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लिया गया है तथा आयोग ने अब इसके निर्माण और प्रतिस्थापना के लिए निविदा (टेंडर) आमंत्रित किये हैं। निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तारीख 30 सितम्बर, 1977 है।

त्रिपुरा में तेल की खोज पर खर्च की गई धनराशि

1993. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल की खोज पर भारी धनराशि खर्च की गई है, परन्तु उसका कोई भी लाभप्रद परिणाम नहीं निकला है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र

1994. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिये मतदाताओं को पहचान-पत्र देने के सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निर्वाचन आयोग को इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) फोटो वाले पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम 1959 में कलकत्ता दक्षिण-पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से हुए उपनिर्वाचन में आजमाई गई थी। दस महीने तक कठिन प्रयास करने के बावजूद कुल 3,42,000 निर्वाचकों में से केवल 2,13,600 निर्वाचकों के प्रभावी रूप से फोटो खींच जा सके और इसके बाद केवल 2,10,000 निर्वाचकों को फोटो वाले पहचान-पत्र जारी किए जा सके। यह स्कीम प्रयोग के रूप में आजमाई गई थी। उस समय हुए अनुभव से पता चला कि यह पद्धति बहुत खर्चीली है और इसे लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन है। निर्वाचन आयोग इस स्कीम के पक्ष में नहीं है।

औरंगाबाद (डिवीजन) इंडस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा उठायी गयी समस्याएं

1995. **डा० बापू कालदते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद (डिवीजन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र मराठावाड़ा में उद्योगों के विकास में रेलवे सम्बन्धी समस्याओं के बारे में 21 अप्रैल, 1977 को एक पत्र भेजा था; और

(ख) इस क्षेत्र में विकासशील उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी हां। ऐसोसिएशन ने निम्नलिखित लाइनों के निर्माण का अनुरोध किया है :—

(1) मनमाड-मुडखेड़ खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना।

(2) कुडूवाडी-लातूर छोटी लाइन का आमान परिवर्तन और इस लाइन का लातूर रोड तक विस्तार।

(3) भिर और उसमानाबाद के रास्ते औरंगाबाद से शोलापुर तक एक नयी लाइन का निर्माण।

मनमाड-परभनी-पुर्ली बैजनाथ मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले से ही चल रहा है और हाल ही में परभनी-मुडखेड-आदिलाबाद खण्ड के आमान परिवर्तन और इस लाइन के आदिलाबाद से धुधस तक विस्तार के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच का काम पूरा हो जाने के बाद परभनी से मुडखेड़ तक की मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में विनिश्चय किया जायेगा, लेकिन यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मिरज-कुर्डूवाडी-लातूर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और लातूर से लातूर रोड तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एंव-यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। धन की कमी के कारण, इस परियोजना को फिलहाल आरम्भ करना संभव नहीं हो पायेगा ।

जहां तक औरंगाबाद से शोलापुर तक (300 कि०मी०), एक लाइन के निर्माण का सम्बन्ध है, अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

दुमंजिले रेलगाड़ी डिब्बों में सुधार

1996. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग दुमंजिले रेल गाड़ी डिब्बों पर परीक्षा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या जनता से नये रेलगाड़ी डिब्बों में सुधार के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जनता की प्रतिक्रिया संतोषजनक है।

(ग) जी हां, मुख्य रूप से :

(1) हल्के सामान के लिए रेल की व्यवस्था;

(2) वायु के संचरण में बढ़ोतरी; और

(3) पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में

पर्वतीय क्षेत्रों में डीजल और पैट्रोल की कमी

1997. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पैट्रोल और डीजल की भारी कमी है और इसके फलस्वरूप तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों को बहुत असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है और इस आवश्यकता को पूरा करने तथा तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यद्यपि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित परचून पैट्रोल पम्पों को पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल तेल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी समस्याओं का सामना करना पड़ा था; फिर भी किसी प्रकार की बेहद कमी से बचने के लिए सही रचनात्मक कार्रवाई की गयी थी। पर्यटकों और यात्रियों के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता स्थिति में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन पर खर्च

1998. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1977 में राज्य विधान सभा निर्वाचनों पर कुल कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या सरकार लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों पर सरकारी खर्च तथा उम्मीदवारों के खर्च को कम करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) निर्वाचन विधि में सुधार के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है और निर्वाचन पर होने वाले व्यय को, जिसके अन्तर्गत उम्मीदवार द्वारा किया गया व्यय भी है, कम करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

विराड-साबरमती रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1999. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विराड तथा साबरमती के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य संभवत: कब पूरा होगा;

(ग) क्या इस लाइन पर विद्युतीकरण केवल विराड और अहमदाबाद के बीच ही किया गया है जबकि इस योजना को विराड-साबरमती विद्युतीकरण योजना कहते हैं; और

(घ) अहमदाबाद से साबरमाती तक के 5 किलोमीटर लम्बे टुकड़े को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) विराड और अहमदाबाद के बीच रेल पथ के विद्युतीकरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) जी हां।

(घ) इस समय यातायात की आवश्यकता को देखते हुए साबरमती तक विद्युतीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Construction of Railway Line from Khamgaon to Jalamb

†2000. **Shri D.G. Gawai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey had been conducted and work was begun on the railway line from Khamgaon Chirvasi to Jalamb (district Buldana) in Maharashtra in 1929 ;

(b) whether earth had been laid upto 30-40 miles and metal had also been brought for the construction of the railway line ; if so the cost thereof ; and

(c) the reasons for which the work on the railway line had been suspended ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a), (b) & (c) A broad gauge line already exists between Khamgaon-Jalamb. It has not been possible to locate Chirvasi on the Map.

Direct Train from Delhi to Jabalpur Via Katni and Allahabad

†2001. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no direct train for Delhi from Jabalpur via Katni, Satna and Allahabad; and

(b) if so, keeping in view the difficulties of the people the time by which new train would be introduced on this route ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) No. However, after the introduction of 137/138 Chhatisgarh Express, one coach daily via Allahabad and 4 coaches via Bina are running between Delhi/Nizamuddin-Jabalpur. The total number of through service coaches by both the routes has therefore been increased from 29 to 35 coaches per week.

Broad gauge Line from Samastipur to Darbhanga and construction work on Muzaffarpur-Darbhanga Line

†2002. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which the scheme to lay broad gauge line from Samastipur to Darbhanga in Bihar is likely to be completed and the time by which construction work on Sakri-Hasanpur, Muzaffarpur-Darbhanga, Nirmali-Saraigarh railway line will be completed ; and

(b) whether survey work of these railway lines has been completed and whether land has also been acquired ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b) The position in respect of these railway lines is as under :

(i) **Samastipur-Darbhanga** : A final location engineering survey-cum-traffic reappraisal for conversion of MG line from Samastipur-Darbhanga has been completed recently and it will be possible to take up the construction work after the report is received and examined and as soon as sufficient funds become available for this purpose.

(ii) **Sakri-Hasanpur** : The project estimate for construction of this line is being revised to effect possible economies. It will be possible to commence the work as soon as the estimate is received and sanctioned and requisite funds become available.

(iii) **Muzaffarpur-Darbhanga** : A preliminary engineering cum-traffic survey for construction of a new BG line from Muzaffarpur to Darbhanga is in progress. Further action for construction will depend on the results of the survey.

(iv) **Nirmali-Saraigarh** : A preliminary engineering-cum-traffic survey for restoration of Nirmali-Saraigarh MG line has been completed recently and report is under examination. It will be possible to take a decision about the construction of the line after the report has been examined from all angles.

Target dates for completion of the projects cannot be given at this stage.

पेरस्सानूर (केरल) पर गाड़ी का हाल्ट

2003. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुट्टीपुरम के निवासियों और जिला मल्लपुरम (केरल) में अन्य लोगों की ओर से, पेरस्सानूर पर गाड़ी के हाल्ट के लिए, 25 जनवरी, 1972 की पहली याचिका के सिलसिले में 10 जून, 1977 की एक याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि प्रस्तावित हाल्ट के लिए कुट्टीपुरम पंचायत द्वारा भी एक संकल्प पारित किया गया था और दक्षिण रेलवे, मद्रास के महाप्रबन्धक को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कुट्टीपुरम और पल्लिपुरम स्टेशनों के बीच पेरस्सानूर (केरल) में ट्रेन हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी और यातायात का पर्याप्त औचित्य नहीं पाया गया था। फिर भी इस प्रस्ताव की नये सिरे से जांच की जा रही है।

Import of Drugs and Production of Allopathic Drugs

2004. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the drugs imported during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 separately and whether the percentage thereof is decreasing or increasing every year ;

(b) the extent to which success has has been achieved in producing allopathic drugs in the country during the aforesaid years and the time by which self-sufficiency would be achieved therein ; and

(c) the names of the drugs which are produced in the country by importing raw material or other material and whether these drugs have also been included in the aforesaid drugs produced in the country ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) Drugs and Pharmaceuticals can be grouped into several broad categories like antibiotics, synthetic chemo-therapeuticals, anti-tubercular, anti-malarials, amoebicidals, analgesics, hormones, vitamins, sulpha drugs etc. phytochemicals, glandular and biological products.

The position in regard to the production in various groups of drugs in the organised sector and imports of drugs under these groups during the 3 years ending 1975/1975-76 is indicated in statements I & II. It is observed from these statements that the production of drugs is showing an increasing trend whereas the imports are showing a fluctuating trend depending upon the total demand of various drugs in the country. Import data for the year 1976-77 is not yet available.

Statement III showing the names of bulk drugs which were imported during 1975-76 for values exceeding Rs. 10 lakhs each is also attached.

Items like Streptomycin, semi-synthetic Penicillins, Chloroquin, Motronidazole Analgin, Amidopyrine, Piperazines, Vitamin B1. B2, B6, Sulpha drugs, Tetracyclines Etythromycin, Gentamycin Sulphate, Doxycycline, Griseofulvin, Pentothenate, Phenobarbitone, etc. are on the current and further production programme of units in the public sector. Sufficient capacity in the private sector has also been created for Oxyphenylbutazone, Glybenclamide, Vitamin C etc.

The production of essential drugs like Ampicillin, Sulphamethoxazole, Diloxamide Furoate, Chlorpheniramine Maleate, Calcium Pantothenate, Ethambutol, Frusemide and Nitrofurans has started in the country during the years 1975-1976 & 1977. It is, thus, observed that the range of self-sufficiency in the field of drugs and pharmaceuticals in the country is steadily increasing. However the nature of the drug industry

is such that large amount of obsolescence takes place ; and there is always a need to deep a constant vigil to get over the situation for bringing in newer items of drugs. Efforts are however being made in the country to develop a research base with a view to developing new drugs so as to meet the increasing demand in the country for drugs and avoid dependence on imports to the maximum extent possible.

A wide range of chemical raw materials/intermediates is used in the production of drug and pharmaceuticals. The present status and the future outlook of availability of various raw materials/intermediates required by drug industry have been dealt with in detail in chapter 6 of the report of Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry, a copy of which was laid on the table of the House on 8th May, 1975. Some of the important/essential bulk drugs which are still being manufactured partly or wholly based on imported intermediates are Chloramphenicol, Erythromycin, Ampicillin, Chloroquin Phosphate, Ethambutol, Hcl, Metronidazole, Chlorpropamide, Sulphamethoxazole etc.

[Placed in Library, See No. L.T. 542/77]

ताजमहल के संगमरमर का रंग बदलना

2005. श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री जी० एम० बनतवाला :

श्री स्कारिया थॉमस :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा के आसा-पास बढ़ते हुए वायु दूषण और मथुरा में तेल शोधक कारखाने के कारण ताजमहल के संगमरमर के रंग के बदलने अथवा उसकी पुरानी चमक को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मथुरा शोधनशाला जिसके अप्रैल, 1980 तक कार्य आरम्भ करने की आशा है, से निकलने वाली गैसीय निस्सरणों से आगरा स्थित स्मारकों पर सम्भावी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में समय-समय पर आशंकाए व्यक्त की गई हैं। उक्त दूषण प्रभाव की नितान्त रूप से न्यूनतम सीमा तक सीमित रखने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में परियोजना अधिकारियों को सलाह देने के लिए जुलाई, 1974 में डा० एस० वर्धराजन की अध्यक्षता में पैट्रोलियम मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना और समन्वय समिति, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, इंडियन आयल कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों सहित, जो कि इस समिति के सदस्य बनाये गये थे, एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। दिसम्बर 1975 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि को भी इसका सदस्य बनाया गया था।

2. क्योंकि इटली में स्मारकों पर सल्फरडाइआक्साईड के प्रभाव के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य निष्पादित किया जा चुका है अत: आई० ओ० सी० ने निम्नलिखित अध्ययन को आरम्भ करने के लिए इटली की मैसर्स टैक्नों नामक कम्पनी के साथ जो कि सरकारी स्वामित्व ई०एन०आई० ग्रुप की एक सहायक व्यवसायिक उद्यम है, वर्ष 1974 में एक करार किया :—

(1) मथुरा-आगरा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के मौसम-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों पर आधारित मथुरा शोधनशाला से निकले निस्सरणों के कारण मथुरा-आगरा प्रदेश में निस्सरणों (विशेषकर सल्फर डायाक्साईड के भूतल स्तर के सान्द्रण पर विचार विमर्श करना ;

(2) आगरा प्रदेश में छः माह की अवधि से अधिक माप तोल द्वारा दूषण के वर्तमान स्तर को निर्धारण करना;

(3) स्मारकों के संरक्षण की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना और उनके संरक्षण की दृष्टि से निस्सरणों के अनुमत सान्द्रण का निर्धारण करना। मैसर्स टैक्नों द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन पर सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

3. इन जांच-परीक्षाओं और अध्ययनों के परिणाम स्वरूप अब तक उपलब्ध किये गये आंकड़ों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि शोधनशाला द्वारा यहां तक कि अत्यन्त प्रतिकूल मौसम विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों में भी मौसम को दूषण करने में जो भी योगदान किया जायेगा, उसका आगरा पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा जो शोधनशाला से 40 कि०मी० दूर है और उसके प्रभाव का स्तर इतना न्यून होगा कि इससे ताजमहल के श्वेत संगमरमर के पत्थर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई चिन्ता उत्पन्न नहीं होगी।

Prices of Chloroquin Phosphate Fixed By S. T C.

2006. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the price of Chloroquin Phosphate was fixed by State Trading Corporation at Rs. 202 per Kilogram which was again fixed at Rs. 276 per kilogram in March, 1976 and when released on the 17th June, 1976 it was fixed at Rs. 400 per Kilogram; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) The Price of Chloroquin Phosphate imported by State Trading Corporation was fixed by Government at Rs. 202.84 per kg. on 29th May 1974. Adequate indigenous production also got built up by early 1976. The cost of Chloroquin Phosphate produced indigenously was higher than the imported cost. With a view to making available Chloroquin Phosphate to all the formulators at a uniform price, a pooled price based on indigenous production and the imports planned through State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation, was fixed at Rs. 276 per kg. with effect from 8th March 1976. The customs duty on Chloroquin Phosphate was increased from 32.5% to 75% *ad valorem* with effect from 15th March 1976 on presentation of 1976-77 budget. As a result of the increase in customs duty, the pooled price was refixed at Rs. 400 per kg. with effect from 17th April 1976. The above prices have been fixed from time to time under the Drugs (Prices Control) Order, 1970.

वरकला रेलवे स्टेशन

2007 **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वरकला केरल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटन केन्द्र है परन्तु रेलवे स्टेशन अभी भी अविकसित अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर दो विश्रामालयों के निर्माण सहित, सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) वर्कला स्टेशन, जहां से तीर्थ स्थलों को यात्री आते जाते हैं, के ढांचे में परिवर्तन पिछले वर्ष तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय किया गया था। इस स्टेशन पर दूसरे दर्जे के एक प्रतीक्षालय ऊंचे दर्जे के दो प्रतीक्षालय, पर्याप्त बुकिंग खिडकियों एवं छतदार प्लेटफार्मों की व्यवस्था है।

प्लेटफार्म पर छतों के विस्तार और एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस समय, विश्रामालयों की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है। भावी योजनाए तैयार करते समय इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

वरकाला में मद्रास-त्रिवेन्द्रम मेल के रुकने का प्रावधान

2008. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को जनता से वरकाला स्टेशन पर मद्रास-त्रिवेन्द्रम मेल को रोके जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की विस्तृत रूप से जांच की गई है और महसूस किया गया है कि बरकाला स्टेशन पर रुकने से इस लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ी की गति धीमी पड़ जाऐगी।

त्रिवेन्द्रम जिले में कज्हाकोट्टम में वैगन निर्माण का कारखाना

2009. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में कज्हाकोट्रम में वैगन निर्माण के एक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी मांग काफी अर्से से की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मांग पर विचार करने का है क्योंकि ऐसे एक कारखाने की स्थापना करने के लिए इस क्षेत्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) 1973-74 में केरल सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि राज्य सरकार के अधीन माल डिब्बा बनाने की यूनिट स्थापित की जाए इस मामले में आगे की गई प्रगति के बारे में रेल मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है।

लेकिन जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, फिलहाल केरल में अथवा किसी अन्य स्थान पर माल डिब्बे बनाने की नयी यूनिट स्थापित करने का रेल मंत्रालय का कोई विचार नहीं है।

लालगोला (पूर्वी रेलवे) तक दुहरी लाइनों का विस्तार

2010. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निरंतर मांग की जा रही है कि पूर्वी रेलवे के स्यालदह-लालगोडा सेक्शन में

स्यालदह और रणघाट के बीच वर्तमान दुहरी लाइन को कुछ चरणों में उत्तर में लालगोडा, जो बंगला देश के बहुत निकट है तथा पदमा नदी जिसे अलग करतो है, तक बढ़ाया जाये और

(ख) इस समय यह मांग किस स्थिति में है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नैनी माल गोदाम में रोके गये वैगनों के लिए विलम्ब शुल्क

2011. **श्री जगदम्बा प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1974 से मई, 1977 तक की अवधि के दौरान वर्ष-वार, अलग-अलग रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा नैनी माल गोदाम में छूट की अवधि से अधिक समय तक वैगन रोके जाने के कारण उस पर लगाये गये विलम्ब शुल्क का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जो क्रेन तथा ढुलाई शुल्क उपरोक्त अवधि के दौरान लगाया गया और वसूली किया गया, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक), उत्तर रेलवे ने विलम्ब शुल्क तत्काल लेने के लिए परिपत्र संख्या 25 ए.सी./ओ/क्रेन दिनांक 17/8/62 के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की थी, क्या इलाहाबाद के डिवीजनल आफिसरों ने नैनी में इस समिति को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से उसका पालन नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो अब तक समिति से जो विलम्ब शुल्क नहीं लिये गये थे/गये हैं, उनका अलग-अलग वर्ष वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) सन्दर्भाधीन अवधि के दौरान लगाये गये बिलम्ब शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1974	9928.70 रुपये
1975	1622.50 रुपये
1976	875.00 रुपये
1977 (जनवरी से मई तक)	218.50 रुपये

(ख) क्रेन और कर्षण के लिए लगाये गये और वसूल किये गये प्रभारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	लगाया गया	वसूल किया गया
1974	540.00 रुपये	कुछ नहीं
1975	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1976 . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1977 (जनवरी से मई तक) . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) चूंकि समिति ने 1974 में लगाये गये विलम्ब शुल्क की 9928.70 रुपये की राशि के औचित्य का प्रतिवाद किया था और यह मामला विचाराधीन था, अतः उक्त यदि परिपत्र में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। वर्ष 1975, 1976 और 1977 (मई 1977 तक) में लगाये गये विलम्ब शुल्क समिति से वसूल कर लिए गए हैं।

(घ) वाणिज्यिक और लेखा अधिकारियों द्वारा पुनः जांच करने पर यह पाया गया कि वर्ष 1974 के लिए समिति से केवल 1202.30 रुपये की राशि लेनी है। इस राशि की वसूली की जा रही है।

इलाहाबाद में साइकिल स्टैंड का ठेका दिया जाना

2012. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में वर्ष 1975 में साइकिल स्टैंड का ठेका देने के लिए खुला टेंडर आंमत्रित करते समय सफल ठेकेदार को साइकिल/स्कूटर रखने के लिए जो स्थल कब्जे के लिए दिया गया था, उसका विशिष्टि माप, टेंडर सम्बन्धी दस्तावेजों में दिया गया था तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रलेख समझौते के खंड 3 (क) में यह विनिर्दिष्ट है कि यदि लाइसेंस धारी ठेकेदार साइकिल स्टैंड के लिए आबंटित की जमीन के अतिरिक्त अन्य रेलवे जमीन पर कब्जा करती है तो उसकी प्रति-सम्बन्धित राशि को जब्त कर लिया जायेगा;

(ग) क्या इंजीनियरी ब्रांच ने यह कहा है कि साइकिल स्टेंड का ठेकेदार टैंडर दस्तावेजों में दिखाई गई जमीन के अतिरिक्त अन्य रेलवे जमीन पर कब्जा किये हुए है; और

(घ) यदि हां, तो क्या समझौते के खंड 3(क) की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भूमि के अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) जी हां। अतिक्रमण समाप्त कराने और अतिक्रमण प्रभार वसूल करने के लिए कार्रवाई की गई है।

वाणिज्यिक अधिकारियों (इलाहाबाद डिवीजन) द्वारा अधिकारियों के लिए डिब्बे की सुविधा का उपयोग

2013. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्थायी आदेश थे/हैं कि अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले स्टेशनों का महीने में एक बार निरीक्षण करें ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1975 से मई 1977 के दौरान इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा किये गये मासिक निरीक्षण का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक अधिकारी को अलग-अलग कितना यात्रा-भत्ता दिया गया ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में ऐसे जिन वाणिज्यिक अधिकारियों ने अपने डिवीजन का समय-समय पर जांच करने के लिए अधिकारियों के लिए डिब्बे की सुविधा का उपयोग किया, उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गयी है।

विवरण

वाणिज्यिक अधिकारियों (इलाहाबाद मंडल) द्वारा अधिकारी यानों की सुविधा के उपयोग किये जाने के बारे में विवरण

अधिकारियों के पद नाम	निरीक्षण की अवधि	किये गये निरीक्षणों की संख्या	प्रतिमाह निरीक्षणों की औसत संख्या लगभग	यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि की मासिक औसत (लगभग) (जनवरी, 1975 से मई, 1977 की अवधि में)	जनवरी, 75 से मई, 77 तक की अवधि में अधिकारियों द्वारा यानों की सुविधा का लाभ उठाने के अवसरों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक	जनवरी, 1975 से मई, 1977 तक	138	5	136 रु०	27
सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक	–यथोक्त–	131	5	107 रु०	2
सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक (टिकट जांच)	–यथोक्त–	126	4	177 रु०	कुछ नहीं

रेलवे अधिकारियों का मानदेय पास जारी किया जाना

2014. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को कितने मानदेय पास दिये जाते हैं जिन्होंने सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं परन्तु 30 वर्ष से कम हैं ; और

(ख) रेलवे में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को कितने मानदेय पास दिये जाते हैं जिन्होंने सेवा में 30 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष पूरे कर लिये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद मिलने वाले मानर्थ पासों का वर्तमान मापदंड नीचे दिया गया है:—

कर्मचारियों की कोटि	सेवा की निर्धारित अर्हक वर्षों की संख्या	प्रतिवर्ष देय पासों के सैटों की संख्या
श्रेणी I और II के कर्मचारी	(क) 20 वर्ष की अन्यून सेवा परन्तु 25 वर्ष से कम	दो सैट
	(ख) 25 वर्षों और अधिक	तीन सेट
श्रेणी III के कर्मचारी	(क) 20 वर्ष की अन्यून सेवा परन्तु 25 वर्ष से कम	एक सैट
	(ख) 25 वर्ष और अधिक	दो सैट
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	25 वर्ष की अन्यून सेवा	एक वर्ष के अंतर पर एक सैट केवल कर्मचारी और उसकी पत्नी के लिए ।

राज्य विधान मंडलों के उप-निर्वाचन

2015. **श्री चित्त बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विधान मंडलों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप-निर्वाचन काफी पिछड़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां शीघ्र उप-निर्वाचन कराने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) इस समय विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में 43 स्थान और विधान परिषदों में 8 स्थान रिक्त हैं विधान सभाओं में ये रिक्तयां निम्नलिखित राज्यों अर्थात् :—आंन्ध्र प्रदेश (8), आसाम (5), गुजरात (1), कर्नाटक (8), महाराष्ट्र (17), मणिपुर (1), मेघालय (2) और त्रिपुरा (1) में हैं । निर्वाचन आयोग ने गुजरात को छोड़कर उपर्युक्त सभी राज्यों में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है और

यह कार्य इस समय चल रहा है । नामावलियों के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख 30-9-1977 नियत की गई है । कोई भी उप-निर्वाचन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हो जाती हैं ।

(गुजरात और मणिपुर की विधान सभाओं को छोड़कर) इन विधान सभाओं का कार्यकाल मार्च, 1978 तक ही है, अतः निर्वाचन आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि उक्त रिक्तियों को भरे जाने के लिए, इस समय कोई कार्यवाही न की जाए । आयोग ने गुजरात विधान सभा के एकमात्र रिक्त स्थान को भरने के लिए उप-निर्वाचन आगामी वर्षा ऋतु के पश्चात् कराने का विनिश्चय किया है । मणिपुर विधान सभा के रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् की जाएगी ।

2. विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों में जो उप-निर्वाचन होने बाकी हैं उनकी स्थिति दर्शित करने वाला विवरण पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 543/77]

मारुति लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

2016. **श्री एस० जी० मुरुगप्पन :**
श्री के० ए० राजन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति लिमिटेड की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मारुति लिमिटेड की वर्तमान वित्तीय स्थिति जो 31 मार्च, 1976 तक कम्पनी के अन्तिम तुलन पत्र में प्रगट की गई है, निम्न प्रकार है :—

देयताएं	रु०	परिसम्पतियां	रु०
शेयर पूंजी . .	2,64,10,000	सावधि निमेय	5,75,41,133
शेयर आवेदन राशि .	46,89,350	निवेश	1,000
आरक्षित और अधिशेष	13,98,100	वर्तमान परिसम्पतियां ऋण और अग्रिम	94,21,724
प्रतिभूत ऋण	1,26,27,123	विविध व्यय	58,35,048
अप्रतिभूत ऋण	66,77,785	लाभ और हानि शेष	1,59,64,390
वर्तमान देयताएं और उपबन्ध	3,69,60,937		
योग	8,87,63,295	कुल	8,87,63,295

टिप्पणी : (1) जमीन के मूल्य के रूप में 39,31,296 रुपये की राशि को सम्मिलित करते हुए सावधि परिसम्पत्तियां, जिसमें जमीन के विकास व्यय से अलग कम्पनी और हरियाणा राज्य सरकार के मध्य 9-8-71 को बिक्री के अनुबन्ध के अन्तर्गत अस्थायी मूल्य देय योग्य भी सम्मिलित है ।

(2) साविधि परिसम्पत्तियों पर 31-3-1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ह्रास का समायोजन नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(2) के उपबन्धों के अनुसरण में 31-3-1976 तक ह्रास के शेष की राशि 13,18,403 रु० रही।

(3) कम्पनी की आकस्मिक देयताएं निम्न प्रकार है :—

(1) पूंजी निवेश पर कार्य करने के लिए शेष अनुबन्धों पर अनुमानित मूल्य और जो 2,82,355 रु० (गत वर्ष 46,60,988 रु०) के लिए नहीं। उसी पर अग्रिम 1,12,057 रु० (गत वर्ष 2,83,901 रु०);

(2) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिनकी ऋण के रूप में पावती नहीं दी गई 98,334 रु० (गत वर्ष 53,643 रु०);

(3) कम्पनी के विरुद्ध 5,000 रु० (गत वर्ष 5000 रु०) की उगाही के लिए कम्पनी द्वारा अभिकरण जमाओं के जब्त करने का अभिवेदन करते हुए प्रस्तुत मुकदमें;

(4) "आदि रूप विकास व्यय" के रूप में 57,92,103 रु० को सम्मिलित करते हुए विविध व्यय;

(5) लाभ तथा हानि शेष का 1,59,64,390 रु० कम्पनी की लाभ और हानि लेख के अनुसार 31-3-1976 तक कुल संचित हानि है।

पूर्वोक्त तुलन पत्र से, यह दिखलाई देगा कि कम्पनी की आमूर्त परिसम्पत्तियां 31-3-76 तक 6,69,63,857 रु० हुई, जिसके विपरीत उसकी देयताओं में शेयर आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुए (शेयर पूंजी लेखा को हस्तांतरित नहीं करते हुए) 6,09,55,195 रु० अनुमानित की गई थी।

Demand for Supply of L.P.G. in Neemuch and Mandsaur Districts

2017. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there has been a demand for L.P. Gas in Neemuch and Mandsaur in Mandsaur District (Madhya Pradesh) for many years but the supply of the said gas has not yet commenced there ;

(b) whether there is a large number of Central Government employees in Mandsaur and Neemuch and besides the C.R.P. Headquarter, there is a big Government undertaking viz. an alkaloid factory and a cement factory is also being set up in Neemuch by the Cement Corporation ;

(c) whether a gas agency has recently been given by the Indian Oil Corporation in Mandsaur for the supply of gas but the supply has not yet commenced ; and

(d) the action being taken by Government to remove this difficulty ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No Indane distributorship has so far been awarded in Mandsaur District for supply of cooking gas;

(d) overall demand for cooking gas in the country is much higher than availability of the said product. Supplies for Mandsaur can be covered when the overall availability of cooking gas in the country improves.

बिना चौकीदार के फाटक

2018. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में और विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में और उनके आसपास बिना चौकीदार के फाटक होने से जान और माल को खतरे का सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि अहमदाबाद शहर सहित घनी आबादी वाले प्रमुख शहरी क्षेत्रों में और उनके आसपास ऐसे बिना चौकीदार के फाटकों पर अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें लोगों की मृत्यु भी होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो कब और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 22,000 से अधिक है । यातायात की सघनता, दृश्यता, दुर्घटना की प्रवृत्ति आदि जैसे विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए/समपारों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए रेलें इन समपारों पर सड़क और रेल यातायात के आवाधिक गणना करती हैं । इस प्रकार की समीक्षाओं के आधार पर, राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद प्रति वर्ष विशिष्ट संख्या में समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाते हैं । 1971-72 से 1975-76 तक की पांच वर्ष की अवधि में 234 समपारों पर चौकीदार तैनात किये गये ।

यदि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर चौकीदार तैनात किये जायें तो मूल रूप से इस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आयेगा और लगभग 30 करोड़ रुपये आवर्ती वार्षिक अनुरक्षण लागत बैठेगी । इस सम्बन्ध में रेलवे दुर्घटना पूछ-ताछ समिति 1968 द्वारा की गयी टिप्पणी का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा :

> "इन समपारों पर चौकीदारों को तैनात करना समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं का पूर्ण संतोषजनक उपचार नहीं है"

इसलिए सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखना न तो व्यावहारिक है और ना ही आवश्यक ।

रेलों द्वारा कुछ उपचारात्मक उपाय किये गये हैं, जैसे सड़कों पर खतरे के निशानों की व्यवस्था, बिना चौकीदार वाले समपारों पर पहुंचते समय, सीटी बजाने और सावधान रहने के लिए इंजन ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए रेलवे लाइन पर विसिल बोर्ड लगाना, सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में पर्चे बांटकर, चलचित्र स्लाइडों, रेडियो वार्ता द्वारा शैक्षणिक अभियान चलाना आदि। मोटर वाहन कानून के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने यह व्यवस्था की है कि अनिवार्य रूप से मोटर वाहन ड्राइवर बिना चौकीदार वाले समपारों पर थोड़ा रुकें और रेल लाइन को पार करते समय कन्डक्टर मोटर के आगे-आगे पैदल चलें। सड़क उपयोगकर्ता इन नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के समन्वय से अचानक छापे भी मारे जाते हैं । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर ब्रेकर्स बम्पस की व्यवस्था

करें । इन उपायों से बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी हुई है जो कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दर्शाई गई है :

1974-75	96
1975-76 . . .	78
1976-77	63

(ग) सामान्यता, प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में जहां यातायात का भारी घनत्व होता है चौकीदार वाले समपारों की व्यवस्था की जाती है । इस समय अहमदाबाद क्षेत्र में 8 समपार हैं और सभी पर चौकीदारों की व्यवस्था है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम छोड़ दिया जाना

2019. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम छोड़ दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने गैस को उर्वरकों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी नहीं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में पांच उर्वरक परियोजना की स्थापना निहित थी । इसमें से तीन परियोजनाएं भटिण्डा, पानीपत और ट्राम्बे में स्थापित की जा रही है । संशोधित पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त तीन परियोजनाओं के अतिरिक्त चार नई उर्वरक परियोजनाओं की व्यवस्था है, 1977-78 में तथा 1978-79 अर्थात् प्रत्येक वर्ष में दो-दो ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित चार परियोजनाओं की स्थापना में, बम्बे हाई तथा बेसिन कूप से उपलभ्य गैस को उर्वरक सम्भरण सामग्री के रूप में उपयोग में लाने का पूरा विचार किया जाएगा ।

आयल इंडिया लि० का सरकारीकरण

2020. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयल इंडिया लि० के पूर्ण रूप से सरकारीकरण का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने तेल की खोज के क्षेत्र में आयल इंडिया लि० द्वारा व्यापक भूमिका निभाने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आयल इंडिया लि० पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए बातचीत चल रही है ।

(ग) और (घ) आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी बेसिन के तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में पैट्रोलियम अन्वेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र दिया है । भारत सरकार द्वारा उनके आवेदन पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

रेलवे की दो समितियां समाप्त कर देने से बचत

2021. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में रेलवे की दो अनावश्यक समितियां समाप्त किये जाने से रेल कोष को कितना अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : दो समितियों, अर्थात् स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति और रेलों पर समाज सुधार समिति के समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप प्रति वर्ष प्रत्यक्षतः 1.13 लाख रुपये की बचत होगी जो इन दोनों समितियों के कार्य सम्बन्धी वेतन और भत्ते तथा अन्य आनुषंगिक खर्च की मदों पर व्यय की जाती थी ।

नागालैण्ड विधान सभा के लिए निर्वाचन

2022. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार नागालैंड विधान सभा के लिए बहुत शीघ्र निर्वाचन कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक ;

(ग) क्या यूनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट (नागालैंड) ने मांग की है कि निर्वाचन प्रतीक 'मिथुन अनुपलभ्य कर दिया जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) नागालैंड विधान सभा के निर्वाचन वर्षा ऋतु के बाद कराने का विचार है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जहां तक नागालैंड राज्य का प्रश्न है निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक 'मिथुन' अनुपलभ्य कर दिया है ।

विभागीय खान-पान प्रतिष्ठान

2023. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विभागीय खान-पान प्रतिष्ठान प्राइवेट केटररों को सौंपे गये हैं ;

(ख) विभागीय खान-पान प्रतिष्ठानों में स्थायी बैरों की कुल संख्या कितनी है जिनके वेतन निश्चित हैं और कितने बैरे कमीशन के आधार पर नियुक्त है ; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले विक्रेताओं के लिए आवश्यकता पर आधारित आय और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) ग्यारह ।

(ख) (i) नियमित वेतन वाले स्थायी बैरे—1003

(ii) पूर्णतः कमीशन पाने वाले बैरे—2532

(ग) कमीशन वेंडरों की आमदनी की निरन्तर समीक्षा की जाती है । जब भी आवश्यक होता है, कमीशन की दरों में वृद्धि की जाती है और अन्य प्रोत्साहन दिये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित परिलब्धियां मिलती रहें । यदि उनका कार्य संतोषजनक होता है तो वे सेवा में बने रहते हैं और इस बात की भी व्यवस्था है कि यदि उनकी मृत्यु हो जाये तो लाइसेंस उनके वैध उत्तराधिकारी को दे दिया जाय । उन्हें चतुर्थ श्रेणी के नियमित संवर्ग में समाहित किये जाने के अवसर भी प्राप्त हैं ।

मिजोरम में एजल तक रेल लाइन का निर्माण

2024. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में एजल के निकटतम स्थान तक रेल लाइन के निर्माण के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कार्य बहुत शीघ्र शुरू किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क), (ख) और (ग) लालाघाट/लालाबाजार से सैरंग (एजल के निकट प्रस्तावित स्टेशन) तक रेल लाइन के विस्तार के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण काम चल रहा है और आशा है कि यह कार्य 1977 के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाने और उसकी रिपोर्ट की सभी दृष्टियों से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा ।

भूतपूर्व विधि मंत्री के सम्बन्धियों को दिए गए ब्रीफ

2025. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात का पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भूतपूर्व विधि मंत्री श्री एच० आर० गोखले के आचरण की जांच कराने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विधि मंत्रालय द्वारा कितने मामलों में श्री गोखले के सम्बन्धियों को ब्रीफ दिये गये और भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा में उन्हें भिन्न-भिन्न मदों पर कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसा निकाय नहीं है जो भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार है, अतः इस मामले में सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है ।

(ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अशोधित तेल की उपलब्धता में कमी होना

2026. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 23 लाख टन से अधिक अशोधित तेल की कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों से देशीय रूप से उपलब्ध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विचार करते हुए हमारी तटीय शोधनशालाओं में कच्चे तेल को साफ करने हेतु चालू वित्त वर्ष, 1977-78 में योजनाबद्ध सीमा तक हम अपने बकाया क्रूड तेल की आवश्यकताओं के आयात को प्रभावित कर सके हैं । इन आयातों को विभिन्न दीर्घ कालीन क्रूड पूर्ति की व्यवस्थाओं पर और विभिन्न दीर्घ कालीन पूर्ति प्रबन्धों के अन्तर्गत माह तथा कुल उपलब्धता जैसी कच्चे तेल की आवश्यकताओं के बीच घाटे की सीमा तक विश्व कच्चे तेल को निर्धारित मार्केट से तेल की खरीद पर आयोजित किया गया था ।

वर्ष 1977 के दौरान कच्चे तेल के आयात हेतु निम्नलिखित स्थायी प्रबन्ध किये गये हैं :—

स्रोत	मात्रा मी० टनों में
1	2
ईरान	3.5
ईराक	2.0
यू० ए० ई०	1.0
सोवियत संघ	1.0
मिस्त्र .	0.35
साऊदी अरब .	1.1
ईरान (रोस्तम कच्चा तेल)*	0.5
एच० पी० सी० एल० (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला) के लिए एक्सन के माध्यम से अरबी कच्चा तेल	1.4
मद्रास शोधनशाला के लिए ईरान से डेरियस कच्चा तेल . .	2.6

*इसमें ईरान की ई मी नो को (ईरानियन मेरीन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी) के संयुक्त उद्यम में हाईड्रोकार्बनस इंडिया लिमि० (जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायक कम्पनी है) का भाग भी है ।

किसी भी माह में कच्चे तेल के आयातकी आवश्यकताओं में यदि कोई आंशिक कमी रह जाती है तो उसे अंकित मार्केट (बाजार) से कच्चे तेल खरीद कर कमी को पूरा कर लिया जायेगा।

अतः चालू वर्ष में जिस सीमा तक हमें आयातित कच्चे तेल की पूरी आवश्यकता है, उसकी उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी का पूर्वानुमान नहीं है।

तेल के लिए ड्रिलिंग के काम में प्रगति

2027. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तेल के लिए ड्रिलिंग करने हेतु किन नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और अब तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस काम में किन-किन पार्टियों का सहयोग है ; और

(ग) इन सहयोग करारों की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल शोधक कारखाने का कार्यकरण

2028. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में तेल शोधक कारखानों का कार्य कैसा रहा है और वह गत दो वर्षों की तुलना में कैसा है ;

(ख) चालू वर्ष में अशोधित तेल की कितनी आवश्यकता है जिसमें वर्तमान तेलशोधक कारखाने अपने पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें ; और

(ग) सभी तेलशोधक कारखानों को अपेक्षित मात्रा में तेल सप्लाई करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) शोधनशालाओं के वर्ष 1976-77, 1975-76 और 1974-75 में कच्चे तेल का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(मिलियन मी० टनों में)

शोधनशाला	1976-77	1975-76	1974-75
डिग्बोई शोधनशाला	0.53	0.53	0.53
भारत शोधनशाला	3.78	3.63	3.87
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला . . .	2.79	2.83	3.06

1	2	3	4
कालटैक्स शोधनशाला . . .	1.01	1.08	1.12
गोहाटी शोधनशाला .	0.84	0.83	0.75
बरौनी शोधनशाला	2.88	2.95	2.82
गुजरात शोधनशाला	4.15	4.10	3.79
हल्दिया शोधनशाला	1.86	1.35	0.22
कोचीन शोधनशाला	2.65	2.29	2.56
मद्रास शोधनशाला	2.50	2.69	2.37
	22.99	22.28	21.09

(ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग प्रणाली और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1977-78 के दौरान उपरोक्त शोधनशालाओं में लगभग 25.5 मिलि० मी० टन कच्चे तेल को साफ करने की आवश्यकता होगी।

(ग) वर्ष 1977-78 में 11.3 मिलि० मी० टन की सीमा तक देशीय रूप से कच्चे तेल की उपलब्धता के अतिरिक्त, वर्ष 1977 में लगभग 13.45 मिलि० मी० टन कच्चे तेल का आयात करने के लिए निम्नलिखित स्थायी प्रबन्ध किये गये हैं :--

संसाधन	यात्रा मिलि० मी० टनों में
ईरान	3.5
ईराक .	2.0
संयुक्त अरब अमीरात	1.0
सोवियत संघ	1.0
मिस्र ..	0.35
साउदी अरब .	1.1
ईरान (रोस्तम कच्चा तेल)*	0.5
एच० पी० सी० एल० (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला) के लिए एक्सन के माध्यम से अरबी कच्चा तेल	1.4
	13.45
मद्रास शोधनशाला के लिए ईरान से डेरियस कच्चा तेल	2.6

*इसमें ईरान की ईमीनोको (ईरानियन मरीन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी) के संयुक्त उद्यम में हाईड्रोकार्बनस इंडिया लिमि० (जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायक कम्पनी है) का भाग भी है।

किसी भी माह में कच्चे तेल के आयात की आवश्यकताओं में यदि कोई आंशिक कमी रह जाती है तो उसे अंकित मार्केट (बाजार) से कच्चा तेल खरीद कर कमी को पूरा कर लिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र में वर्तमान उर्वरक कारखाणों के विस्तार की योजनाएं

2029. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में वर्तमान उर्वरक कारखानों के विस्तार की स्वीकृति योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई नए प्रस्ताव हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) विस्तार के बाद उनके कार्य में क्या परिवर्तन लाये जायेंगे ; और

(ग) उपरोक्त विस्तार कार्यक्रमों के पूरा हो जाने पर देश उर्वरकों के लिए अपनी आवश्यकता के मामले में कहां तक आत्म निर्भर हो जाएगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की निम्नलिखित विस्तार योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :--

1. नंगल विस्तार
2. सिन्दरी आधुनिकीकरण
3. सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण
4. ट्राम्बे IV विस्तार
5. ट्राम्बे V विस्तार

(ख) इस समय नंगल उर्वरक एकक में अमोनिया का उत्पादन इलैक्ट्रोलिसिस पर आधारित है। नंगल विस्तार के चालू होने से सारे नंगल समूह के लिए अमोनिया उत्पादन के लिए ईंधन तेल मुख्य संभरण सामग्री के रूप में होगा जिसके परिणामस्वरूप इस (उद्योग) समूह के क्षेत्र में सुधार और बिजली के प्रयोग में कमी होगी। वर्तमान अमोनिया के उत्पादन से संभरण सामग्री के रूप में कोक/कोक भट्टी गैस और अमोनिया सल्फेट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में सिन्दरी उर्वरक एकक प्राकृतिक जिप्सम के प्रयोग पर आधारित है। अप्रचलित प्रौद्योगिकी और संभरण सामग्री में कठिनाई के कारण इस एकक में उत्पादन कम हुआ है। सिन्दरी आधुनिकीकरण में अमोनिया के उत्पादन जो संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित है, में कोक/कोक-भट्टी गैस का प्रयोग किया जाएगा। सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण जो टी० एस० पी० के उत्पादन के लिए है वह कम कोटि प्राकृतिक जिप्सम के स्थान पर वर्तमान अमोनिया सल्फेट प्लांट में प्रयोग के लिए फास्फोरिक एसिड प्लांट से उच्च कोटि उप-उत्पादन जिप्सम उपलब्ध कराएगा। ट्राम्बे IV विस्तार संयंत्र, जिसमें नाइट्रोजन और पी2 ओ5 प्रत्येक का 75,000 मी० टन उत्पादन निहित है आयातित अमोनिया पर आधारित है। ट्राम्बे V विस्तार, प्रतिदिन 1000 मी० टन यूरिया के उत्पादन के अलावा ट्राम्बे IV के लिए अपेक्षित अमोनिया की व्यवस्था करेगा। विस्तार योजनाओं का वर्तमान संयंत्रों की कार्यकुशलता और अर्थ क्षेत्र में सुधार लाने और सही कच्चे माल का संतुलन करना लक्ष्य है।

(ग) विस्तार योजनाओं सहित पहले ही कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं के पूरे होने से 1983-84 तक खपत और उत्पादन में लगभग 1.2 मिलियन मी० टन नाइट्रोजन और 0.3 मिलियन मी० टन पी2 ओ5 के अन्तर की संभावना है। इस अन्तर को पूरा करने और उर्वरकों में आत्म निर्भरता की ओर बढने के लिए अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की योजना बनाई जा रही है।

Peons posted at bungalows of Officers

†2030. **Shri Krishna Kumar Goyal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state. :

(a) whether a large number of messengers are posted at the bungalows of railway officers;

(b) the duties these messengers are supposed to perform; and

(c) the number of messengers posted at the bungalows of railway officers and the expenditure incurred annually on their pay, allowances and other facilities ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) They have been provided to certain officers on the Railways considering the nature of duties these officers have to perform.

(b) Bungalow peons attend to telephone calls, screen visitors and staff, carry official papers between office and residence and assist the officer when he has to attend to emergencies at odd hours.

(c) 978. The expenditure incurred on them is about Rs. 50 lakhs.

फोरबेसगंज-पलासी-जोकी के लिये नई रेलवे लाइन

2031. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोरबेसगंज-पलासी-ज़ोकी बहादुरगंज-ठाकुरगंज के बीच कोई रेलवे लाइन नहीं हैं, यदि हों, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में पटसन उगाई जाती है और नेपाल की सीमा पर बहुत अधिक आबादी है, और क्या रेलवे लाइन बिछाये जाने से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन को बिछाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) विगत में इस रेल सम्पर्क के लिए कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी थी । संसाधनों की भारी तंगी है, यहां तक कि वे अनुमोदित कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है । इस समय इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार करना सम्भव नहीं हो पायेगा ।

बरास्ता फूलकाहा बथनाहा और भीमनगर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण

2032. **श्री एल० एल० कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता फूलकाहा बथनाहा और भीमनगर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) :(क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण का काम हाल ही में पूरा हुआ है। रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने और धन उपलब्ध होने पर ही इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

A New Oil Refinery in Gujarat

2033. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to locate new places for a new oil refinery in Gujarat;

(b) the quantity of petroleum/oil produced in the country and in Gujarat State in 1976; and

(c) the number of places in Gujarat where drilling work has been done for exploration of oil and the outcome thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) (A) No, Sir. The operating capacity of the existing Refinery at Koyali in Gujarat is 4.3 million tonnes per annum, and a project to expand its capacity to 7.3 million tonnes per annum is under implementation.

(b) The total production of crude oil in the country in 1976 was 8.66 million tonnes; out of which the quantity produced in Gujarat was 4.16 million tonnes.

(c) As on 1st December, 1976, ONGC had drilled a total of 1011 wells and 17,36,333 metres in Gujarat State. Out of 1011 wells, 530 proved oil bearing, 77 were gas bearing, 258 were dry, 29 were being utilised for water injection purposes, 10 were under test/repair and 107 were to be tested/repaired.

काहो बाड़ी में रेलवे दुर्घटना के हताहतों की खोज

2034. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेजपुर एक्सप्रैस रेलगाड़ी के दुर्घटना में हताहतों की खोज कितने दिन तक की गई :

(ख) क्या खोज के दो दिन बाद कुछ लाशें मिलीं:

(ग) कितने हताहत यात्री जीवित अथवा घायल पाये गये:

(घ) क्या दुर्घटना के पांचवें अथवा छठे दिन भी नदी के तलहटी में फंसे दो यात्री डिब्बों में लाशें पाई गई: और

(ङ) लाशों के पहिले प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते):

(क) तेरह दिन

(ख) जी हां।

(ग) काफी खोज के बाद 85 लाशें मिलीं। इसके अतिरिक्त 106 व्यक्तियों को चोटें आयी जिनमें से 19 को गम्भीर चोटें आयीं।

(घ) जी हां।

(ङ) डिब्बे पानी में डूब गये और कीचड़ में धंस गये थे। साथ ही उन डिब्बों में से एक डिब्बा पानी के नीचे दूसरे डिब्बे पर आड़े पड़ा हुआ था। इसके कारण डिब्बों तक पहुंचना कठिन था तथा बचाव कार्यों में रुकावट पड़ी।

तेजपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का दुर्घटना स्थल

2035. **श्री निहार लास्कर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों का तेजपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के दुर्घटना स्थल से आवागमन शुरू हो गया है।

(ख) यदि नहीं, तो रेलगाड़ियों के आवागमन हेतु इस लाइन को कब खोला जायेगा।

(ग) इस लाइन की मरम्मत करने में अनुमानतः कितनी लागत आई है: और

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेलवे को कुल नुकसान कितना हुआ है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) और (ख) 15-6-1977 से सामान की गाड़ियां चलाकर पुल के अस्थायी पुनः संस्थापन का काम पूरा किया जा चुका है। इस पुल पर से माल गाड़ियां 20-6-1977 से और यात्री गाड़ियां 24-6-1977 से आ-जा रही हैं।

(ग) अनुमान है कि इस लाइन के अस्थायी पुनः संस्थापन कार्य पर 6,71,000 रुपये की लागत आयेगी।

(घ) इस दुर्घटना में रेल सम्पत्ति की जो क्षति पहुंची है, अनुमान है कि वह लगभग 11,11,219 रुपये की राशि की होगी।

उत्तर रेलवे में गाड़ियों का रद्द किया जाना

2036. **श्री निहार लास्कर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में यातायात की कमी के कारण अनेक रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यातायात कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं,

(ग) अब तक कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं; और

(घ) इन रेलगाड़ियों को रद्द किये जाने के कारण कितनी हानि हुई?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क), (ख) और (ग) यात्रियों द्वारा उपयोग कम किये जाने के कारण 6 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था तथा अन्य चार गाड़ियों की चालन दूरी में कटौती की गई थी।

(घ) चूंकि यात्रियों द्वारा इन सेवाओं का उपयोग कम किया गया था, इसलिये घाटा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिए अभियान चलाया जाना

2037. **श्री निहार लास्कर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1977 के दौरान रेलवे ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिये अपने अभियान को तेज किया था,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और

(ग) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) जी हां। बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये 1977 के मई मास में 8,934 छापे मारे गये, जबकि मई, 1976 में 7,778 छापे मारे गये थे।

(ख) मई, 1977 में 1,94,345 व्यक्ति बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये। 26,118 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये, और उनमें से 17,578 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

(ग) रेलों पर टिकट जांच संगठन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:--

(i) स्थैतिक टिकट कलेक्टर जिन्हें स्टेशन के गेटों पर तैनात किया जाता है। वे गाड़ियों में चढ़ने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और अपने स्टेशनों पर गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों के टिकट इकट्ठा करते हैं, और

(ii) चल टिकट परीक्षक जो चलती गाड़ियों में यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और अपने अपने खंडों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते हैं।

इन कर्मचारियों द्वारा सामान्य जांच के अलावा, रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोक थाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:--

1. वरिष्ठ रेल अधिकारियों की देख-रेख में काफी संख्या में टिकट जांच कर्मचारियों, रेल सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को संघटित करके बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये बड़े पैमाने पर विशेष रूप से जांच पड़ताल करना।
2. राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये संयुक्त अभियान चलाना।
3. विशेष रूप से जांच पार्टियों को रेल सुरक्षा दल/सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ सड़क परिवहन द्वारा ले जाकर बार बार संकेन्द्रित अचानक जांच-पड़ताल करना
4. सादी पोशाक में चल टिकट परीक्षकों द्वारा गुप्त रूप से जांच-पड़ताल किया जाना।
5. खंडों के मध्य में गाड़ियों को बीच में रोककर मुख्यालयों तथा मंडलीय टिकट जांच दस्तों द्वारा बदलाव जांच पड़ताल किया जाना।

6. एक रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों को टिकट जांच के लिये दूसरी रेलवे पर तैनात करना।

7. यात्री जनता विशेष पर विद्यार्थी समुदाय के बीच बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये शिक्षात्मक प्रचार करना।

Conversion of Chhindwara-Parasia Narrow Gauge Line into Broad Guage Line

†2038. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the action proposed to be taken by Government to convert Chhindwara-Parasia narrow gauge line into broad gauge line ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): Surveys for the conversion of the Northern section of Satpura narrow gauge system including Chhindwara-Parasia narrow gauge section were carried out in 1972-73 but the project was not found to be viable on financial and traffic considerations. There is at present no proposal to convert Chhindwara-Parasia narrow gauge line into broad gauge.

गुंटकल डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को देय रात की ड्यूटी भत्ता, समयोपरि भत्ता और वेतन वृद्धि की बकाया राशि

2039. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1973 से गुंटकल डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को रात की ड्यूटी भत्ता, समयोपरि भत्ता, वेतन वृद्धि की बकाया राशि दी जानी है,

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1977 तक उन्हें कितनी राशि दी जानी है ; और

(ग) इस राशि का भुगतान कब किया जायेगा?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां, कुछ मामलों में।

(ख) 11.11 लाख रुपये।

(ग) उपरोक्त राशि में से 6.74 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान अप्रैल और मई 1977 के दौरान किया गया है। शेष 4.37 लाख रुपये का भुगतान अगले दो महीनों में किया जायेगा।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की क्षमता

2040. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में एक तेल शोधक कारखाने का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी है और उसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) मथुरा शोधनशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलि० मी० टन होगी और आयातित मध्य पूर्व के कच्चे तेल और देशीय बम्बई हाई क्रूड को साफ करेगी, जिसे कच्छ की खाड़ी में सलाया पर अपतटीय

टर्मिनल से प्राप्त किया जायेगा और एक पाइपलाइन के माध्यम से, जिसे इस प्रयोजन के लिये बिछाया जा रहा है, शोधनशाला तक ले जाया जायेगा।

2. शोधनशाला के एक भाग को रूसी सहायता से स्थापित किया जा रहा है। सोवियत संघ शोधनशाला के उस भाग के लिये डिजाइन तैयार करने, और उपकरणों तथा सामग्रियों की सप्लाई के लिये जिम्मेदार हैं। दूसरे भाग का डिजाइन इंजिनीयर्स इंडिया लिमि० द्वारा तैयार किया जा रहा है।

3. शोधनशाला विशेष की अनुमानित लागत, जिसे अगस्त, 1973 में व्यवहार्यता स्तर पर मंजूर किया गया था, 97 करोड़ रुपये है। उपकरणों और सामग्री की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण इस अनुमानित लागत में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1974 में, इस बात का मूल्यांकन किया गया था कि शोधनशाला की लागत 149.52 करोड़ रुपये होगी। इसको अद्यतन लागत के अनुमान इंडियन आयल कारपोरेशन तैयार कर रहा है।

4. शोधनशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। शोधनशाला के यांत्रिकी रूप से दिसम्बर, 1979 तक पूरा हो जाने की और अप्रैल, 1980 तक इसके कार्य आरम्भ करने की संभावना है।

नैपथा की उपलब्धता और उसका आयात

2041. **श्री पी० राजगोपालन नायडू** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नैपथा का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो 1976-77 के दौरान कितनी मात्रा में नैफ्था का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों से नेफ्था का आयात कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो 1976-77 के दौरान कितनी मात्रा में नेफ्था का आयात हुआ ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान देश में नेफ्था का लगभग 2.05 मिलियन मी० टन की मात्रा में उत्पादन किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1976-77 में लगभग 1.84 लाख मी० टन नेफ्था आयात किया गया था।

निर्वाचन आयोग की फाइल से भारतीय लोक दल का पत्र का हटाया जाना

2042. **श्री आर० पी० स्वामीनाथन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन प्रतीक के बारे में निर्वाचन आयोग को लिखा गया भारतीय लोक दल का पत्र केन्द्रीय दल गृह मंत्री के कहने पर आयोग की फाइल से हटाया गया था;

(ख) उस पत्र में क्या लिखा था और वह किस को लिखा गया था; और

(ग) उसको फाइल से हटाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क), (ख) और (ग) शायद माननीय सदस्य के ध्यान में वह पत्र है जो भारतीय लोक दल के अध्यक्ष श्री चरण सिंह ने नव गठित जनता पार्टी में उस पार्टी के विलय के सम्बन्ध में लिखा था।

2. भारतीय लोक दल के अध्यक्ष श्री चरण सिंह ने 5 मई, 1977 को एक पत्र भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा था जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि 30 अप्रैल, 1977 को दिल्ली में आयोजित भारतीय लोक दल के विशेष सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारतीय लोक दल का जनता पार्टी में पूर्ण रूप से विलय हो जाये और भारतीय लोक दल के लिये आरक्षित प्रतीक जनता पार्टी का अधिकृत प्रतीक बन जाये। उस पत्र के साथ इस प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न थी। यह पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 6 मई, 1977 को मिला था। 8 मई, 1977 को श्री चरण सिंह ने यह इच्छा व्यक्त की कि भारतीय लोक दल के अध्यक्ष की हैसियत में उन्होंने तारीख 5 मई, 1977 को जो पत्र लिखा था वह उन्हें लौटा दिया जाये। आयोग के अभिलेख के लिये प्रतिलिपि रखने के बाद वह पत्र 9 मई, 1977 को श्री चरण सिंह को लौटा दिया गया और साथ में भेजे गये पत्र में उन्हें यह सूचित किया गया था कि उस दल के विलय के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके (श्री चरण सिंह के) पत्र की प्रतीक्षा करेंगे। 11 मई, 1977 को जनता पार्टी के महा सचिव श्री रवि राय, 5 मई, 1977 वाला पत्र निर्वाचन उपायुक्त को स्वयं लौटा गये। इसी प्रकार के पत्र जिनमें विलय की सूचना दी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस (संगठन), भारतीय जनसंघ और सोसलिस्ट पार्टी से पहले ही प्राप्त हो चुके थे। अतः निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16 के अधीन आयोग ने 11 मई, 1977 को ही यह विनिश्चय अभिलिखित किया कि जनता पार्टी को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और उसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिये उसे 'चक्र हलधर' का प्रतीक उसके अनन्य प्रतीक के रूप में आबंटित किया जाना चाहिये।

3. ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि यह कहना कि भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय से कोई पत्र फाइल हटाई गई थी जिसका अर्थ यह है कि कोई कार्य अनधिकृत या अनियमित रूप से किया गया था, सही नहीं है।

राज्य विधान सभाओं के लिये निर्वाचनों की व्यवस्था

2043. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बार निर्वाचन आयोग ने राज्य विधान सभाओं के लिये निर्वाचनों के लिये बेहतर और सुदृढ़ व्यवस्था की थी;

(ख) गत लोक सभा निर्वाचनों की तुलना में ये किस प्रकार बेहतर और सुदृढ़ थे; और

(ग) क्या जनता को गर्मी से बचाने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों को कारगर रूप से रोकने और निर्विघ्न मतदान सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधि और व्यवस्था बनाये रखने के क्षेत्र में बेहतर और सुदृढ़ इन्तजाम किए गये थे। जिन राज्यों की विधान सभाओं के लिये निर्वाचन हुए थे उनकी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने मतदान के निरापद रूप से संचालन के लिये पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किये थे। प्रबन्ध की प्रभावशीलता इसी तथ्य से जानी जा सकती है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा निर्वाचनों में 75 मामलों में पुनः मतदान कराया गया/मतदान स्थगित किया गया जबकि विधान सभा निर्वाचनों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या केवल 9 थी।

(ग) जहां कहीं संभव था, मतदान केन्द्रों के सामने शेडों की व्यवस्था की गई थी जिससे कि मतदाता उन शेडों के नीचे पंक्ति में खड़े हो सके। यथासंभव पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई थी।

महानदी डेल्टा में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की तट दूर खोज का कार्यक्रम

2044. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की आयल इंडिया लिमिटेड कम्पनी को महानदी डेल्टा में तटदूर तेल की खोज आरम्भ करने की जुलाई में अनुमति दे दी थी;

(ख) क्या सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड में विदेशी ईक्विटी को अपने अधिकार में लेने के विचार को त्याग दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी क्षेत्र के लिये 15 करोड़ रुपयों की लागत का तटदूर खोज कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बातचीत चल रही है।

(घ) और (ङ) महानदी क्षेत्र में अपतटीय अन्वेषण की योजना आयल इंडिया लि० द्वारा तैयार की जा रही है।

तिरुवालम में त्रिवेन्द्रम डाक गाड़ी तथा भाप इन्जनों के बीच टक्कर

2045. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास जाने वाली त्रिवेन्द्रम डाक गाड़ी के मद्रास से 118 किलोमीटर दूर तिरुवालम स्टेशन पर जाते हुए जुड़े हुए भाप इंजनों के साथ टकरा जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और छः व्यक्ति घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना की जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) 27-5-1977 को लगभग 04.06 बजे जबकि गाड़ी सं० 20 अप तिरूवनतंपुरम मद्रास मेल अप मेन लाइन पर तिरूवलम स्टेशन से गुजर रही थी, यह जुड़े हुए इंजनों के पिछले भाग से टकरा गयी। इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गये, 8 व्यक्तियों को गम्भीर और 10 को साधारण चोटें आयीं।

(ग) और (घ) रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त बेंगलूरू ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल में छिद्रण कार्य

2046. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम त्रिपुरा और अरुणाचल के मैदानों में हाल के छिद्रण कार्यों से इन क्षेत्रों में किसी नये तेल निक्षेपों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों में कितना तेल मिलने का अनुमान है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Grievances of Railways employees of Lucknow Division

†2047. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a camp was held to attend to the grievances of Railway employees of Lucknow Division; and

(b) if so, the number of compalints received therein and the number of complaints out of them redressed ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) 659 complaints were received in 3 mass contact camps held on Lucknow Division to attend to the grievances of the staff. 588 complaints have since been redressed and the remaining 71 are being looked into.

एक ही औषध कम्पनी द्वारा टेट्रासाइक्लीन का आयात

2048. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 या 1976 के दौरान केवल एक ही कम्पनी को टेट्रासाइक्लीन का आयात करने की अनुमति दी गई थी:

(ख) क्या इससे राष्ट्रीय हानि हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

रेलवे अधिकारियों की यात्रा के लिये निःशुल्क पास

2049. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे अधिकारियों की यात्रा के लिये निःशुल्क पासों की संख्या में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त पासों के लिये कुल कितने अधिकारी पात्र हैं और रेलवे को इसके कारण यदि कोई हानि होती है; तो कितनी?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) और (ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) 9244 रेल कर्मचारियों को सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों के देने से राजस्व की जैसी कोई हानि नहीं होती ।

Import of Insecticides from Abroad

2050. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names and quantity of insecticides imported from foreign countries during the last two years; and

(b) the quantity of insecticides produced in the country and the demand thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A statement is attached.

(b) Production of technical grade pesticides during 1976-77 was of the order of 835,85 tonnes as against an estimated demand of 62,700 tonnes.

STATEMENT

Name of the insecticide	Quantity Imported (In tonnes)	
	1975-76	1976-77 (April/ December 1976)
1. B.H.C. .	1305.75	0.10
2. D.D.T. .	2451.19	1005.00
3. Weedicides	65.55	14.35
4. Aldrin .	93.20	20.92
5. Chlordane .	60.03	
6. D.D.V.P. . . .	3.71	

1	2	3
7. D.D.T. Prepn.	4320.42	333.01
8. Endrin .	985.46	36.80
9. Hoptachlor	164.01	4.51
10. Lindane	1.00	0.53
11. Other pesticides	5868.10	1067.94
	15318.42	2483.16

Production of Alcohol from Molasses

2051. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the quantity of alcohol being produced from molasses at present in the country and country's requirement therefor;

(b) the quantity and variety of alcohol produced from molasses; and

(c) whether any effort is being made by Government to reduce its price and if so, the facts thereof ?

The Minister for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) The production of alcohol from molasses during the current alcohol year 1976-77 (i.e. from 1-12-76 to 30-11-77) is estimated at 436 million litres which is expected to match the domestic requirements. About 30% of the alcohol is converted into potable liquors, which include country liquor/Arrack and Indian Made Foreign Liquor i.e. Rum, Gin, Brandy, Whisky etc. The remaining alcohol is used for industrial purposes.

(c) The price of industrial alcohol is controlled under Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971, which is kept under review. At present there is no proposal under the consideration of Government for a reduction in the price of alcohol.

उर्वरक कारखानों के सामने संकट

2052. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन श्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उर्वरक कारखानों के सामने इस समय संकट की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; श्रौर

(ग) इसके कारण उर्वरक के उत्पादन पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन श्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) श्रौर (ग) किसी भी उर्वरक कारखाने ने किसी संकट, जिसका वे सामना कर रहे हों, को सरकार के ध्यान

में नहीं लाया है। तथापि, ज्योंही समय-समय पर इस उद्योग की इस प्रकार की कठिनाइयां सरकार के ध्यान में आती हैं, त्योंही वह उन्हें दूर करने के लिये प्रयत्नशील रहती है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा इंडियन आक्सीजन और बिड़ला फर्मों के विरुद्ध जांच

2053. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आक्सीजन तथा बिड़ला फर्मों के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा की जा रही जांच इस समय किस चरण में है; और

(ख) इन जांचों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) जहां तक इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का सम्बन्ध है, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने 10 फरवरी, 1976 और 6 अगस्त, 1976 को दो जांचें गठित की हैं। प्रथम जांच में कार्यवाही पूर्ण हो गई है और वादपदों को निकट भविष्य में तैयार किया जायेगा तथा उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक दूसरी जांच का सम्बन्ध है, जांच का परिशोधित नोटिस जारी कर दिया गया है।

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने निम्नलिखित बिड़ला फर्मों के विरुद्ध जांचें गठित की हैं तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में स्थिति का निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है।

क्रम सं०	फर्म का नाम	जांच का चरण
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान टाइम्स लि०	बहस खत्म हो गई है और मामले पर आयोग द्वारा शीघ्र विचार किया जायेगा।
2.	साउदर्न इंडियन मिल ओनर्स एसोसिएशन बनाम मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० वीविंग कम्पनी लिमिटेड	प्रतिवादी ने जांच नोटिस का अभी तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और विषय प्रारम्भिक स्तर पर है।
3.	मैसर्स सेंचुरी स्पीनिंग एंड मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड	--यथोपरि--
4.	मैसर्स हैदराबाद एसबेस्टोज़ सीमेंट प्रोडेक्टस लिमिटेड	--यथोपरि--

बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

2054. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बहुराष्ट्रीय फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने गत तीन वर्षों में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि शब्द "फ्लोटेड" से माननीय सदस्य का सही रूप से क्या आशय है । यदि यह उल्लंघनों को संदर्भित करता है तो जहां तक एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का संबंध है, भारत में अपनी शाखाओं/अथवा अपनी भारतीय सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय फर्मों की ओर से किया गया कोई उल्लंघन सरकार के नोटिस में अभी तक नहीं आया है ।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की बाबत, इसकी धारा 29, जो विदेशी कम्पनियों द्वारा अन्यत्र-वासी हितों के अवमिश्रण को संव्यवहारित करती है, का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । इस अधिनियम में बड़ी संख्या में उपबन्ध है । भारत में विदेशी कम्पनियों की बहुत सी शाखायें तथा सहायक कम्पनियां हैं । अतः यदि माननीय सदस्य, उन विदेशी कम्पनियों, जिनकी बाबत सूचना चाहते हैं, की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के नाम निर्दिष्ट करें, तो इच्छित सूचना इस अधिनियम के प्रशासन तथा प्रवर्तन को संव्यवहारित करने वाले संबंधित प्राधिकारियों से संग्रह की जा सकती है व भेजी जा सकती है ।

Level of Senior Officers who use Railway Saloons

†2055. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether many senior officers of Railways use saloons; and

(b) if so, the level at which saloon is used ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) The concerned Railway Officers are allowed the use of Inspection Carriages, generally referred to as saloons, only for their track and other outdoor inspection when the location of inspection is at out of the way place, where suitable accommodation is not available.

Appointment of Judges of High Courts

†2056. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether in matters of appointments of Judges of High Courts in the country the present Government propose to modify the procedure adopted by the previous Government; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs : (Shri Shanti Bhushan): (a) and (b) Appointments of High Court Judges are made through procedures drawn up in accordance with article 217 of the Constitution.

एस० सी० एण्ड एस० टी० एम्पलाइज कोआरडीनेशन काउंसिल, सिन्दरी के प्रेसीडेंट द्वारा दिया गया ज्ञापन

2057. **श्री ए० के० राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता की उपेक्षा करते हुए उर्वरक निगम के प्रबन्धकों द्वारा अन्याय किये जाने के बारे में एस० सी० एण्ड एस० टी० एम्पलाइज कोआरडीनेशन काउंसिल के प्रेसीडेंट की ओर से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने के बारे में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : एफ० सी० आई० के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी समन्वय परिषद् द्वारा अपनी 5-12-1976 की बैठक में पास किये गये संकल्प की प्रतिलिपि दिसम्बर 1976 में एफ० सी० आई० को प्राप्त हुई थी । एफ० सी० आई० ने रिपोर्ट दी है कि अनुसूचित जाति/जन जाति की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के मामलों में सिन्दरी एकक द्वारा सरकार के अनुदेशों का पालन किया जा रहा है ।

जनता एक्सप्रेस का (हावड़ा बोंगावगोड़ा लाइन पर) रोका जाना

2058. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र में कामरूप द्रुत यात्री गाड़ी को धूलियान की बजाय निमतीता के स्थान पर--दोनों ही स्थान आयात तथा निर्यात की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र हैं--रोका जाने लगा मुख्यतः इसलिये कि निमतीता एक तत्कालीन संसद् सदस्या का गृह स्थान है ;

(ख) क्या उनका विचार धूलियान नगर पालिका क्षेत्र और सुनन्दियों के घनी आबादी वाले गांवों के बहुत से लोगों की असुविधा पर गौर करने, जो कि इस बेहद आवश्यक द्रुत गाड़ी के लाभ से वंचित हैं, और जनता एक्सप्रेस (हावड़ा-बोंगावगोड़ा लाइन) को धूलियान स्टेशन पर रोकना आरम्भ करने पर विचार करने का है ; और

(ग) क्या इसी संदर्भ में स्टेशन के कमरों तथा प्रतीक्षालयों का नवीकरण करने पर भी विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) निमतीता स्टेशन पर 59/60 कामरूप एक्सप्रेस को ठहराने के लिए औपचारिक परामर्श समिति की बैठक में सुझाव दिया गया था और तदनुसार यातायात की दृष्टि से औचित्य पाये जाने पर 1-10-76 से इस ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी । 59/60 कामरूप एक्सप्रेस धुलियान गंगा स्टेशन पर नहीं ठहरती थी इसलिए इसका ठहराव बंद करके निमतीता के लिए रास्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) धुलियान गंगा स्टेशन पर 165/166 हावड़ा--न्यूबोंगाईगांव जनता एक्सप्रेस के ठहराने के सुझाव पर विचार किया जायेगा और यथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

(ग) धुलियान स्टेशन की इमारत में इस समय स्टेशन का छोटा सा कमरा, टिकट खिड़की और बुकिंग-खिड़की पर एक छोटा सा बरामदा है । स्टेशन की इमारत में कोई प्रतीक्षालय नहीं है । प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन की इमारत के सामने प्लेटफार्म पर 50 × 30 फुट माप के प्लेटफार्म सायवान की व्यवस्था है ।

स्टेशन की इमारत को नया रूप देने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु रेलवे के अगले निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लगभग 1000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल का एक प्रतीक्षालय बनाने की योजना विचाराधीन है बशर्ते कि रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया जाये और धन उपलब्ध हो ।

तटीय तेल संसाधन

2059. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में कुल 42 करोड़ टन के तटीय नेल संसाधनों का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या तुलनात्मक तटदूर तेल संमाधनों का भी पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अब तक आयोजित अन्वेषण कार्यों के परिणामस्वरूप लगभग 1600 मिलि० मी० टन भूगर्भीय सुरक्षित भण्डारों का पता चला है । इनमें से लगभग 350 मिलि मीटर टन भंडार तटीय क्षेत्रों में, लगभग 200 मिलि० मी० टन और अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 150 मिलि० मी० टन प्राप्त करने योग्य सुरक्षित भंडारों के वर्ग में आता है । इसमें से 1-1-1976 तक प्राप्त करने योग्य लगभग 270 मिलि० मी० टन के बकाया भंडार को छोड़ कर लगभग 80 मिलि० मी० तेल का उत्पादन उपलब्ध हो चुका है।

न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील

2060. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वही प्रतिबद्ध वकील जो भूतपूर्व सरकार का प्रतिनिधित्व किया करते थे अब भी न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उन्हें बदला क्यों नहीं गया ;

(ग) जो वकील विभिन्न न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार ने उनमें से प्रत्येक वकील को कितनी फीस दी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार के सिविल मुकदमों का संबंध है, विभिन्न न्यायालयों के लिए अधिवक्ता के पैनल का पुनरावलोकन किया जा रहा है । तीन पूर्ववर्ती विधि अधिकारियों ने अर्थात् महान्यायवादी, महासालिसिटर और अपर महासालिसिटर ने स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं और उक्त पदों पर नई नियुक्तियां कर दी गई हैं । संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अधीनस्थ न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के सिविल मुकदमों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं (तारीख 1-4-1974 से 31-3-1977 तक की) की सूचियां संलग्न हैं । आमतौर पर इन्हीं सूचियों में से वकील नियुक्त किए गए हैं किन्तु कभी-कभी केन्द्रीय सरकार के मुकदमों में विशेष

परिस्थितियों में अन्य अधिवक्ता भी नियुक्त किए जाते हैं। संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 544/77]

गत तीन वर्षों में रेलों से चुराया गया माल

2061. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, रेलों से कुल कितने मूल्य का माल चुराया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में किन तीन पहले स्टेशनों पर चोरी की सर्वाधिक घटनाएं घटीं ; और

(ग) इसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों से चुराए गए सामान की कुल रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य रुपयों में
1974	3,87,33,836
1975	3,10,20,032
1976	1,22,53,135

(ख) विगत तीन वर्षों में न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली और कल्याण स्टेशनों पर चोरी और उठाईगीरी के सर्वाधिक मामले रजिस्टर किये गये हैं।

(ग) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) लगभग सभी महत्वपूर्ण मालगाड़ियों पर रे० सु० द० के रक्षक पहरा देते हैं।

(ii) प्रभावित खंडों और यार्डों में रात्रि के समय रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाया जाता है।

(iii) सभी महत्वपूर्ण यार्ड और मालगोदामों पर रेलवे सुरक्षा दल का रात-दिन पहरा रहता है।

(iv) रेलों पर होने वाले अपराध और उनसे संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य स्तर तथा प्राथमिक स्तर समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(v) विन्यास यार्डों में गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों का अधिक उपयोग किया जा रहा है।

(vi) रेलों पर अपराधियों की गतिविधियों को दबाने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(vii) अपराधों का पता चलने पर उनकी गहन जांच-पड़ताल की जाती है।

नई गाड़ियां चलाना

2062. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान बनारस तथा जम्मू से अनेक नई गाड़ियां चलाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण तथा उन्हें चलाने के कारण क्या हैं ;

(ग) किसी स्थान के लिए नई गाड़ी चलाने के लिये सरकार क्या मानदंड अपनाती है ; और

(घ) इस वर्ष सरकार कितनी नई गाड़ियां चलाने का विचार रखती है और उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क), (ख) और (ग) यातायात के औचित्य और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नयी गाड़ियां वाराणसी और जम्मू तवी से दोनों ओर चलायी गयी थीं :—

(1) 30-3-75 से 157/158 नयी दिल्ली-वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(2) 26-1-76 से 165/166 अहमदाबाद-फैजाबाद/वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस (फैजाबाद तक 5 दिन, वाराणसी तक दो दिन)

(3) 16-2-1977 से 139/140 मद्रास बीच-वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रैस (द्वि-साप्ताहिक)

(4) 1-3-77 से 107/108 झांसी-वाराणसी/मुगलसराय बुन्देलखंड एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(5) 1-1-76 से 49/50 गोरखपुर-वाराणसी/इलाहाबाद सिटी पूर्वांचल एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(6) 83/84 दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस, 1-5-76 से वाराणसी तक बढ़ाया गया (प्रतिदिन)

(7) 24-12-76 से 171/172 बम्बई सेन्ट्रल-जम्मू तवी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

(घ) चालू वर्ष के दौरान कुछ नयी गाड़ियों के चलाये जाने के ब्यौरों की जांच अभी की जा रही है और जैसा व्यावहारिक होगा, उसी प्रकार कार्रवाई की जायगी।

तटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल के संसाधन

2063. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमानित आरक्षित 45 करोड़ टन में से प्रारम्भिक तौर पर विदित तकनीकी जानकारी की सहायता से तटीय क्षेत्रों से 12 करोड़ टन कच्चे तेल प्राप्त किये जाने का अनुमान है;

(ख) क्या वर्तमान क्षेत्रों से अधिक तेल प्राप्त करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्तमान हौज की क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां तो कितनी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दोनों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० अपने अपने वर्तमान क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की प्रतिशतता में सुधार करने के लिए समुचित रूप से उन्नत तेल प्राप्त करने की तकनीकों को अपना रहे हैं। वास्तव में तेल की परिमात्रा की वह सीमा, जहाँ तक इन तकनीकों के अपनाने से तेल की उपलब्धता में वृद्धि हो जायेगी, को निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि इसका परिणाम 10-15 वर्ष अथवा इस से अधिक समय के बाद निकलेगा।

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी पैनल

2064. **प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समय बढ़ा दिया है ;

(ग) समय बढ़ाने के अनुरोध के क्या कारण हैं ; और

(घ) पैनल के कब तक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति भगवती ने समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि समिति ने अपनी अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने की दृष्टि से पर्याप्त कार्य किया है तथा प्रचुर सामग्री इकट्ठी की है। इस दृष्टि से कि समिति का परिश्रम अधूरा न रह जाए उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि यह वांछनीय होगा कि समिति का कार्यकाल 4 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी कर सके।

(घ) समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट संभवतः अगस्त 1977 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिये कच्चे माल के मूल्यों में कमी

2065. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औषध उद्योग ने यह कहा है कि जब तक औषधियों के लिये कच्चा माल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं होता तब तक औषधियों के मूल्यों में कमी नही की जा सकती ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर और अपेक्षित जांच के बाद औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत सांविधिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। कच्चे माल अर्थात् रसायन, सोल्वेंट्स आदि जो प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिये अपेक्षित

है, के मूल्य सांविधिक रूप से नियन्त्रित नहीं हैं। उद्योग, सामान्य और विशिष्ट रूप से कच्चे माल की अधिक लागत के बारे में शिकायत करता रहता है। विशेष शिकायतों को दूर करने के लिए यह बात संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई है।

Timings of Arrival of Trains at Ratlam Khandwa and Ajmer

†2066. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether timings of arrival at Ratlam, Khandwa and Ajmer, of trains running on Ajmer-Khandwa sub-section are so scheduled that either the passengers have to wait or trains have to halt for hours together before departure;

(b) whether requests have been made by passengers for removing this difficulty; and

(c) If so, the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes, in some cases.

(b) Yes.

(c) The schedule of metre gauge trains on Ajmer-Ratlam-Khandwa-Purna section has been framed taking into account the connections with main line trains at Ajmer, Ratlam and Khandwa running in both directions. The matter will however be re-examined at the time of next time table.

Amenities in Railway Quarters and Colony at Delhi Kishanganj

2067. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of railway quarters in Kishanganj Railway Colony and the arrange ments made for their repairs and cleaning;

(b) whether no proper arrangements for electricity, water and cleanliness exist there; and

(c) whether the colony has the facility of community hall, library and recreation room?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) There are 2044 quarters in Delhi Kishanganj Railway Colony. For the purpose of repairs, the clolony has been divided into 3 zones and enquiry officers have been set up in each zone to attend to complaints about repairs. The colony premises are also cleaned regularly for which adequate staff is provided.

(b) Proper arrangements for electricity, water supply and cleanliness exist in the colony.

(c) Recreation club, handicraft centre and 7 children's parks are provided in this colony. However library facilities are not available here.

Categories of Employees Enjoying Benefit of Railway Quarters

†2068. **Shri Shiv Narain Sarsonia**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the categories of employees treated as running staff in Northern Railway;

(b) whether running staff have been allowed to enjoy the benefit of allotment of railway quarters in spite of their having their own houses; and

(c) the other categories of employees besides the running staff who have been allowed to enjoy the said facility ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The following categories of employees have been treated as running staff :—

Loco

(i) Drivers (including Motormen and Rail Motor Drivers).

(ii) Shunters.

(iii) Firemen (including Instructing Firemen and Assistant Drivers on Electrified Section and Drivers' Assistants on Diesel Engines).

Traffic

(iv) Guards.

(v) Brakesmen.

(b) Yes, except the category of Guards. The question of granting them the benefit is under consideration of the Ministry of Works and Housing.

(c) A complete statement of categories of non-gazetted employees enjoying this facility is attached.

[Placed in Library see No. L.T. 545/77]

Indoor beds and specialists in Railway Health Centre, Delhi Kishanganj

2069. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no provision for indoor beds and specialists in the Railway Health Centre in Delhi Kishanganj Railway Colony despite the fact that it is the biggest railway colony in Asia;

(b) whether there was provision for beds for this colony in Delhi main hospital and this facility has now been withdrawn; and

(c) whether the Health Centre in this colony is being expanded and if so, by what time and the details of expansion being made there ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) So far there has been no provision of indoor beds at Railway Health Unit Delhi Kishanganj. In certain specialities the specialists visit the Health Unit on a programmed basis.

(b) The Delhi Main Hospital was in an old dilapidated building, and investigating and diagnostic facilities were not adequate. In order to re-organise the medical facilities for the Delhi area, the beds of Delhi Main Hospital, which also cater to the requirement of Delhi Kishanganj, have been transferred to Central Hospital, New Delhi, where latest of equipment for diagnosis and specialists in different branches including services of Honorary Consultants, are available.

(c) At present there is no sanctioned work for expansion though a proposal has been made by the Railway.

Salaries Paid to Certain Officers of I.O.C.

2070. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether more than 246 officers in Indian Oil Corporation are in receipt of a salary of Rs. 36 thousand per annum;

(b) the number of officers among them belonging to Scheduled Castes; and

(c) Government's policy in regard to providing employment to the persons belonging to these castes in I.O.C. in future?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) (a) Total number of employees in receipt of remuneration of not less than Rs. 36,000 per annum in 1975-76 was 246.

(b) Nil.

(c) IOC is following the Government Policy about reservations for Scheduled Castes as indicated in the Presidential Directives. The reservations made for recruitments in those Directives are as follows :

Direct Recruitment :	Scheduled Castes
(i) Direct recruitment on an All India basis by means of open competitive test	15 per cent
(ii) Direct recruitment on an All India basis otherwise than at (i) above.	16-2/3 per cent
(iii) Direct recruitmnt to Class III and IV posts normally attracting candidates from a locality or a region.	As per the 100 points Roster prepared for this purpose, the percentage varying from 2 per cent to 25 per cent from State to State.

Overbridge at Betul Railway Crossing

†2071. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state : the action taken by Government in regard to the construction of an over-bridge at Betul railway crossing on Central Railway which has already been sanctioned ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): The proposal for the construction of a road overbridge in replacement of the existing level crossing No. 256 at Betul, is already included in the Railway's Works Programme. Before the construction is taken up, the design, drawings, and estimate prepared by the State Government and the Railway for their portion of work require mutual acceptance. An alignment plan was sent in December, 1976 to the State Government of Madhya Pradesh for acceptance which is still awaited. The Railway can take up the work only after the State Government accepts the drawing, and agree to accept their share of the cost for the work. Necessary liaison is being maintained by the Railway with the State Government to get these formalities expedited.

अलाभप्रद ब्रांच लाइनों का संचालन

2072. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में अनेक अलाभप्रद ब्रांच लाइनें प्रयोग में लाई जा रही हैं ; और

(ख) इन ब्रांच लाईनों को जारी रखने के बारे में, विशेषकर सड़क यातायात से कड़ी प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) यह सामान्य नीति है कि केवल अलाभप्रद होने के आधार पर किसी भी रेलवे लाइन को बन्द न किया जाय । लेकिन, किसी लाइन को बंद करने पर विचार किया जा सकता है जहां यातायात के पर्याप्त वैकल्पिक सस्ते साधन मौजूद हों और जहां इस प्रकार लाइन बंद करने से किसी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि सहित जनहित पर विपरीत प्रभाव न पड़ता हो। इन आपवादिक मामलों में भी, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाता है ।

खान-पान संबंधी ठेके

2073. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों पर खान-पान संबंधी ठेके देने संबंधी नीति पर फिर से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खान-पान संबंधी ठेके प्रदान करने के लिए खान-पान सामग्री बेचने वालों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार वास्तविक कर्मचारियों की सहकारी समितियों को खान-पान का ठेका देने में तरजीह पहले से ही दी जा रही है ।

Loaded wagons lying at stations in Ratlam Division

†2074 **Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of Railways** be pleased to state

(a) Whether loaded wagons bound for various places are lying at several stations in Ratlam Division of Western Railway because there is no room for unloading these wagons at their destinations or the lines at the stations falling in between are blocked;

(b) whether it is taking $1\frac{1}{2}$ to 2 months in reaching the destinations as a result thereof; and

(c) if so, the measures taken to remove this difficulty ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) In the recent past, there has been an overlap of loaded wagons on the Ratlam Division.

(i) for Metre Gauge Goods Shed at Indore due to the rate of unloading not matching the materialisation of traffic, and

(ii) of traffic originating on the Northern and Western Railways to destinations on the Southern Railway by all Metre Gauge routes via Khandwa and passing over the Ratlam Division.

The overlap has been due to a spurt in traffic of foodgrains following the removal of restrictions in Inter-State movement of wheat on trade account.

(b) No specific case of such delays has come to notice.

(c) Besides regulating loading of traffic, Western Railway authorities have been in touch with the representatives of the trade and Government to get more wagons released at Indore Goods Shed. The capacity of movement via Khandwa is also being increased by running a few diesel hauled goods trains.

Transhipment of Goods at Ratlam Station

†2075 **Dr. Laxminarain Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether space for transhipment of goods at Ratlam station in Ratlam division on the Western Railway is too inadequate to unload the goods arriving from outside and loading them in other trains;

(b) whether cement arriving from Kamor of Madhya Pradesh which was to be transported to various stations on metre gauge reached late via Sabarmati covering a distance of hundreds of kilometres; and

(c) if so, the measures taken to remove the difficulty ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Yes, occasionally wagons for one transhipment point are diverted via other transhipment points to even out the workload.

(c) The existing transhipment facilities at Ratlam station are considered adequate to handle the normal materialisation of traffic.

राजकोट-वरावल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

2076. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राजकोट-वरावल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाय और यदि हां, तो यह कब किया गया था; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और करने की विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) राजकोट-वरावल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता हालांकि गुजरात के अन्य लोगों द्वारा भेजे गये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वीरमगाम--राजकोट--ओखा/पोरबन्दर खंड का आमान परिवर्तन कार्य जो इस समय चल रहा है, इसके पूरा होने पर ही राजकोट-वरावल लाइन के आमान परिवर्तन के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन, भारत में विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं श्री शान्ति भूषण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखा हूं :—

(1) एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1975 की अवधि में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 514/77]

(2) भारत में विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन (1970-72) खड—दो (सांख्यिकीय) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 515/77]

(3) अधिसूचना सख्या सा० आ० 327(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी आदेश, 1976 में कतिपय शुद्धि की गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 516/77]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत केरल लघु उद्योग तथा विकास संवर्धन निगम एकीकरण आदेश, 1977 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1862 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 517/77]

(5) वर्ष 1977-78 के लिये विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 518/77]

रेल रैड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रैड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 725 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 519/77]

जून, 1977 में जारी किए गए बाजार ऋणों संबंधी विवरण

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच. एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत सरकार द्वारा जून, 1977 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 520/77]

वर्ष 1977-78 के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) वर्ष 1977-78 के लिये कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । [**देखिए** संख्या एल० टी० 520 क/77]

अध्यक्ष महोदय : अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने से पूर्व . . . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मुझे आपसे अनुरोध करना है । मैंने आपको लिखकर दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल आपने ही नहीं, बल्कि लगभग 20 सदस्यों ने लिखकर दिया है । यदि मैं सब को अनुमति दे दूं तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न कराधान समिति के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । सरकार ने कराधान समिति का गठन भी कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अनुसार यदि कोई सदस्य कोई मामला सभा की जानकारी के लिए पेश करना चाहता हो और यदि वह व्यवस्था का प्रश्न ना हो तो उसकी सूचना लिखित रूप में महा सचिव को दी जानी चाहिए । उसमें उन बातों तथा कारणों का उल्लेख हो जिन्हें सदस्य उठाना चाहे । और वह उस मामले को सभा में केवल तभी उठा सकता है, जब कि अध्यक्ष ने उसे उसकी अनुमति दे दी हो । उसके लिए समय तथा तिथि का निर्धारण भी अध्यक्ष ही करेगा । इस समय मैं आपको इसको उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : शायद आपने मेरा पत्र नहीं पढ़ा है । कृपया आप उसे पढ़ें और देखें कि क्या यह बात सभा की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा इसके बारे में तभी जान सकती है जबकि अध्यक्ष इसकी अनुमति दे। अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है । आप बजट पर बोलते समय इस बारे में कह सकते हैं । आप इस संबंध में कटौती प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान सामान्य बजट पर चर्चा समाप्त हो चुकी है । वित्त विधेयक पर चर्चा लगभग 15 दिन बाद होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है । मैंने यह मामला सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया है । जब मुझे वित्त मंत्री से जानकारी प्राप्त हो जायगी तो फिर मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा । यदि इस तरह के मामले प्रत्येक सदस्य नियम 377 के अधीन उठायेगा तो फिर सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ।

अनुदानों की मांगें 1977-78—जारी

DEMANDS FOR GENERAL GRANTS 1977-78—(*Contd.*)

इस्पात और खान मंत्रालय

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपूरम) : बड़े गर्व की बात है कि 17-18 वर्षों की अल्पावधि में ही देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन 13 लाख टन से बढ़ कर 1976-77 में 1 करोड़ टन हो गया है। इसी अवधि में हम 78 लाख टन बेचे जाने वाले इस्पात का उत्पादन भी करने लगे हैं । एक समय था जब हम पूरी तरह आयातित ईस्पात पर आधारित थे । 1976-77 में पहली बार हमने 350 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात किया । इसके लिए इस्पात और खान मंत्री वधाई के पात्र हैं। हमारे पास लौह अयस्क का बड़ा भंडार है । कोयले का भंडार है । और जन शक्ति है । फिर भी हमारा उत्पादन कोरिया से कम है । जिनके पास लोहा-अयस्क और कोयला है ही नहीं । उनके पास केवल जनशक्ति और कार्य कुशलता है । उन्होंने एक संयंत्र का निर्माण किया है । जो अपने दूसरे चरण में है । अभी हम भूमि, अधिग्रहण तक ही पहुंचे हैं । इस गति से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ।

अलौह धातु के सम्बन्ध में देश बहुत सम्पन्न है । इसके लिए केवल उचित मानचित्र और सर्वेक्षण की आवश्यकता है । विश्व में भारत में बौक्साइट का सब से बड़ा भंडार है । इसके लिए हमारे पास क्रयादेश आये हैं । एल्यूमिनियम के लिए भी हमें क्रयादेश प्राप्त हुए हैं । यदि हम खनिज पदार्थों का परिष्करण और उनकी खुदाई का काम करें तो हमारा देश विश्व में खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक सम्पन्न देश बन जायेगा।

कुद्रमुख परियोजना से 1980 के अगस्त माह तक हमें लाभकारी लौह अयस्क का लदान करना है । यदि तब तक हम ऐसा नहीं कर पाये तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का ही नहीं लगेगा वरन् बड़ी मात्रा में वित्तीय हानि भी होगी । अतः मंत्री जी इस परियोजना को निश्चित समय के अंदर पूरा करने के लिए इसके कार्य में तेजी लाएं।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार केरल के कन्नानूर, कालीकट और मल्लापुरम जिलों में बड़ी मात्रा में अलोह धातु हैं । इसलिए हमें वहां एक महत्वांकांक्षी परियोजना की स्थापना करनी चाहिये । सर्वेक्षण के अनुसार वहां 8 करोड़ टन अयस्क के होने की पक्की सम्भावना है, तथा केरल सरकार ने वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है । परन्तु इस प्रस्ताव और प्रतिवेदन को अनेकों वार खटाई में डाला गया । अब नए मंत्री जी इन प्रस्तावों को लागू करें।

इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
84	25	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (कन्नानूर):	सेलम इस्पात संयंत्र के लिये और उसे शीघ्र पूरा करने के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जायें ।

84	26	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (कन्नानूर)	विशाखापटनम इस्पात संयंत्र का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाय)
,,	27	,,	लघु इस्पात संयंत्रों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता।	
,,	28	,,	लौह अयस्क और बाक्साइट निक्षेपों, जो केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	29	,,	इस्पात उद्योग के प्रति जनता सरकार की नीति जो हमारे देश का शोषण करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सहायक है।	,,
,,	30	,,	इस्पात उद्योग का और विकास करने संबंधी मामलों में भारत और सोवियत रूस के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता।	,,
,,	31	,,	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की पर्याप्त और अर्थ-पूर्ण भागीदारिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	,,
,,	32	,,	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	,,
85	33	,,	आन्ध्र प्रदेश के अभ्रक खनन उद्योग की समस्याओं का हल करने और इस उद्योग में कर्मचारियों को मकान और काम की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	,,
,,	34	,,	अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में खनिज निक्षेपों का पूर्णतया उत्खनन और उपयोग करने की आवश्यकता।	,,
,,	35	,,	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच विवादों का तुरन्त निपटारा करने की आवश्यकता	,,

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : मंत्री महोदय ने इस मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में गत वर्ष का अर्थात् मार्च, 1977 का प्रतिवेदन पेश किया है । इसमें जो सफलताएं तथा असफलताएं मिली हैं उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं । मंत्री महोदय को अब जनता पार्टी की नीति तथा कार्यक्रम के अनुसार इस मंत्रालय की नीति में परिवर्तन करना चाहिये ।

यह सही है कि वर्ष 1976-77 के दौरान उत्पादन, बिक्री, इस्पात के निर्यात आदि में रिकार्ड स्थापित किया गया । श्रम उत्पादिकता में भी हमने रिकार्ड कायम किया है । हमने 100 टन इस्पात 70 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया है । हमारी उपयोग क्षमता 91 प्रतिशत रही है और भिलाई में तो यह 100 प्रतिशत से भी अधिक रही है । हमने निर्यात के मामले में भी प्रगति की है । हमने परामर्श सेवा तथा संरचनात्मक सेवाओं का भी निर्यात किया है । हम बाहरी देशों में भी परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं ।

इस्पात के उत्पादन और बिक्री और परामर्श सेवा में रिकार्ड स्थापित किया गया है । श्रम उत्पादकता में भी हमने रिकार्ड स्थापित किया है । मंत्री महोदय इन रिकार्डों का अनुमान लगाए और देख कि नई समिति की नियुक्ति से ऐसा कैसे हो पाया तथा इसका श्रेय जिनको है उनके नाम बताएं ।

हम अफ्रीकी अरब देशों से संयुक्त इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए बात कर रहे हैं । इसे पेशेवर लोगों पर ही न छोड़ दिया जाए तथा उसमें ढिलाई नहीं बरती जानी चाहियें । मंत्री महोदय स्वयं उस काम को अंजाम दें ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाना चाहिये । 17-18 वर्ष तक हम इस्पात बनाने में वयस्त रहे । अब हमें स्थानान्तरण कर कुछ प्रबंध से ग्रस्त संयंत्रों में उनका लाभ लेना चाहिए । यदि ऐसी कोई नीति नहीं है तो उसे अब अपनाया जाए ।

अत्यधिक केन्द्रीयकरण का भी खतरा है क्योंकि स्टील अथारिटी बहुत बड़े संगठन का नियंत्रण करती है । हमें इस संबंध में सावधान रहना चाहिये कि केन्द्रीयकरण अधिक न हो ।

पिछले वर्ष हमने दुगना निर्यात किया । इस वर्ष हमने 24 लाख टन का लक्ष्य रखा है । इस संबंध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्यात आन्तरिक खपत के मूल्य पर न किया जाए । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक प्रतियोगिता है । पहले हमारी नीति देशीय बाजार को सुरक्षा प्रदान करने की रही है । अब जहां तक इस्पात का संबंध है स्वतन्त्र नीति का अपनाया जाना बेहतर है ।

स्टील अथारिटी के बोर्ड का उचित प्रकार से पुनर्गठन किया जाए । अब इसमें कुछ राजनीतिक लोगों को भी शामिल किया जाए । परन्तु ये राजनीतिज्ञ संबंधित विषय के अनुभवी होने चाहियें अन्यथा वे बोर्ड के कार्य में सहायक होने के बजाय बाधक होंगे ।

अब इस्पात मंत्रालय में नई नीति अपनाई जानी चाहिए । बाजार मूल्य से कम मूल्य रखने का कोई लाभ नहीं । इस्पात संयंत्रों में घाटा दिखा कर सरकारी विभागों की राज सहायता देने का कोई औचित्य नहीं है । बाजार का निर्धारण आवश्यक है जिससे चोर बाजारी न हो ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की श्रमिक उत्पादकता में अन्तर क्यों है । क्या यह अलग-अलग उत्पादन मिश्रण के कारण है या दोनों कारखानों के ढांचे कि भिन्नता के कारण हैं ?

लोहा और इस्पात उद्योग के निवेश का सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है । हम बोकारो और भिलाई दोनों की क्षमता साथ-साथ क्यों कर बढ़ाना चाहते हैं । हमें अपना पूरा ध्यान पहले बोकारो पर देना चाहिए, उसके पूरा होने पर भिलाई या टाटा की ओर ध्यान दें । क्या मंत्री महोदय ने इस समय निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखा है ? जितनी जल्दी वह यह करे उतना ही अच्छा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यद्यपि एंल्युमीनियम के उत्पादन में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु सरकारी क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक नहीं रही । सरकारी क्षेत्र में भारत एल्युमीनियम कम्पनी नामक एक ही कारखाना है । इसकी स्थापना कोरबा में करना पिछली सरकार की निश्चय ही भूल थी। वहां एक राज्य सरकार के स्वार्थी रुख के कारण राष्ट्र हित की बलि दी गई ।

उस संयंत्र में पहले ही 280 करोड़ रुपया लग चुका है । इसलिये अब तो उसे बन्द नहीं किया जा सकता । इसका एक ही निदान है कि इसे समीपस्थ स्थान से बोक्साइट उपलब्ध कराया जाए तथा उड़ीसा में गन्धा मर्धन निक्षेप सबसे समीप है । उसने 11 करोड़ टन का भंडार है । ऐसा पता चला है कि भारत एल्युमीनियम क० ने उड़ीसा सरकार से इस स्थान पर पट्टे पर देने को कहा है, यदि यह तय हो जाता है तो अयस्क को हरिशंकर रोड से 347 कि० मी० दूर कोरबा ले जाना होगा।

पूर्वी तट पर कम मात्रा में सिलीकोन और टिटेनियम तथा अत्यधिक एल्युमीनियम का उच्च किस्म का 10 करोड़ टन बाक्साइट है । हमें वहां एक एल्युमीनियम कारखाना लगाने के लिए सस्ती बिजली चाहिए । इसका समाधान 600 मेगावाट वाला अपना इंद्रावती परियोजना ही है । इसलिए मंत्री महोदय इस परियोजना के शीघ्र चालू किए जाने के लिए दूसरी मंत्रालय पर अपने प्रभाव का उपयोग करें।

उड़ीसा में क्योंझर में नयागढ़ में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना करना बहुत आवश्यक है यह मालनगोरी के पास है । मैसर्स एम० एन० दस्तुर ने अपना प्रतिवेदन रूप दे दिया है तथा उसने कारखाने की स्थिति के संबंध में पक्ष में मत दिया है । क्योंझर क्योंकि एक पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है इसलिए इस संयंत्र की स्थापना से इसका सामाजिक विकास हो जाएगा।

ऐसी अफवाह है कि इस्पात संयंत्र पारादीप में लगेगा । मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करें। इन सभी परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय हित को दिखा जाए तथा कोई क्षेत्रीय हित उसके आड़े नहीं आना चाहिये।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर (रत्नागिरी) : पिछली सरकार ने रत्नगिरी के एल्युमीनियम परियोजना के साथ अन्याय किया है । इस बजट में भी इस परियोजना के साथ उचित न्याय नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में दो जगह इस धातुक 300 लाख टन का विशाल भण्डार उपलब्ध है । यह सबसे बढ़िया किस्म का है । इसी कारण सरकार ने रत्नागिरी में यह परियोजना शुरू की । यह काम भारत एल्युमीनियम कम्पनी को सौंपा गया, जिसका गठन 1965 में किया गया था । रत्नागिरी परियोजना के साथ-साथ इस कम्पनी को कोढ़ा संयंत्र को भी सौंप दिया गया।

उस समय यह योजना थी कि इन संयंत्रों का निर्माण साथ-साथ शुरू हो जाएगा और यह निर्णय लिया गया था कि एल्युमीनियम संयंत्र कोरबा में लगाया जाएगा तथा कोरबा से प्राप्त एल्युमीनियम का उपयोग करने के लिए रत्नागिरी में एक स्मेल्टर और फाउंड्री बनाई जाए । भारत एल्युमीनियम कम्पनी ने हंगरी की एक फर्म के सहयोग से निर्माण करने का निर्णय किया।

रत्नागिरी एल्युमीनियम संयंत्र के लिए अप्रैल, 1974 में रुपए 78.825 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 50 करोड़ रुपया पांचवीं योजना में दिया गया। पता चला है कि इस 50 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 1.50 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है।

यह रुपया केवल शुरू के सर्वेक्षण और वेतन भत्तों आदि पर ही खर्च हुआ है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत एल्युमीनियम कम्पनी ने 41.69 करोड़ रुपया खर्च किया जिसमें से इस संयंत्र को 10 लाख रुपया ही दिया गया। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार भी इस संयंत्र के प्रति अन्याय बरत रही है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि पूर्वी तट पर भी एक एल्युमीनियम संयंत्र लगाया जाये। पता चला है कि निर्यात करने के उद्देश्य से विशाखापटनम में एक एल्युमीनियम संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। यह नया संयंत्र उस संयंत्र के मूल्य पर चालू न किया जाये जिसे स्वीकृति मिले बहुत दिन हो गया है। यह महाराष्ट्र के लोगों तथा इस संयंत्र के प्रति भी अन्याय होगा यदि इस पर और रुपया खर्च न किया जाये। इस संयंत्र से देश की समूची अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

इस संबंध में यह आंकड़े प्रति यूनिट 9 पैसे की दर से हिसाब-किताब लगा कर निकाले गये हैं। वास्तव में महाराष्ट्र सरकार ने प्रति यूनिट 7 पैसे की दर से इस संयंत्र को विद्युत सप्लाई करने का वचन दिया है जिसके परिणाम स्वरूप 1.060 करोड़ रुपये का अन्तर बैठता है।

जहां तक पानी की सप्लाई का संबंध है, एम० आई० पी० सी० आवश्यक मांग की पूर्ति करने के लिये सहमत हो गई है। इस परियोजना के लिये एक परिवहन समिति भी नियुक्त की गई थी। जब हम रत्नागिरी तक रेल लाइन बिछाये जाने के लिये रेल मंत्रालय से अनुरोध करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे यहां कोई उद्योग नहीं और जब उद्योग स्थापित किये जाने के लिये अनुरोध करते हैं तो कहा जाता है कि आपके यहां कोई रेल लाइन नहीं है। इस तरह से इस क्षेत्र में न रेल लाइन बिछ रही है और न ही कोई उद्योग स्थापित हो पा रहा है।

जहां तक रोजगार क्षमता का प्रश्न है, इस संयंत्र में मैनेजर के स्तर से अर्ध-कुशलता स्तर तक लगभग 2700 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस जिले से बहुत से नौजवान नौकरी की तलाश में बम्बई चले गये हैं। ये लोग प्रति महीने अपने घरों में 80 लाख रुपये भेजते हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संयंत्र के प्रति न्याय करें और चालू वित्तीय वर्ष के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि इसके लिये अलग रखें। यदि ऐसा किया गया तो यह संयंत्र चार पांच साल बाद उत्पादन करने लगेगा। इसलिये मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठायें।

रत्नागिरी तट के पास इलमेनाइट धातु को निकालने का भी प्रश्न हमारे सामने है। इस धातु की बड़ी मांग है। विशेषज्ञों का कहना है, यदि इस धातु को नहीं निकाला जाता है तो यह पुनः समुद्र में बह जायेगी। यदि ऐसा होता है तो इससे देश को बड़ी हानि होगी। अतः मंत्री महोदय इस संबंध में आवश्यक कदम उठायें।

श्री के० एस० वीर भद्रप्पा (बेल्लारी) : हमारे देश में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना, पत्थर और डोलामाइट के अच्छे किस्म का भंडार है, जो इस्पात संयंत्रों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसलिये सस्ते मूल्य पर इस्पात न बनाये जाने का हमारे लिये कोई कारण नहीं है । परन्तु भारत में इस्पात बनाने की लागत विश्वभर में सबसे अधिक है । भारत में प्रतिटन इस्पात के उत्पादन पर 5 हजार रुपये लगते हैं जबकि जापान में यह कुल 2300 रुपये है । हम इस्पात संयंत्रों की स्थापना पर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक व्यय करते हैं । अतः हमें इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का पूरा आयोग नहीं कर रहे हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन देशों में लौह अयस्क नहीं है वे हमसे कहीं आगे हैं और हम वहीं के वहीं रुके पड़े हैं । सरकार कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र को लगाने में असफल रही है। बजट में इस इस्पात संयंत्र के लिये पर्याप्त धन का उपबन्ध नहीं किया गया है । यह खेद की बात है कि सरकार ने इस परियोजना की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है । कर्नाटक के लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । यदि इस परियोजना के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार जनता से उधार ले या वह विश्व बैंक से सहायता लेने के लिये बातचीत करे अथवा वह किसी विदेशी कम्पनी के सहयोग से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करे।

अप्रैल में एक समाचार छपा था कि सरकार कोई भी भारी इस्पात उद्योग अपने हाथ में नहीं लेगी । यदि यह सच है तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि विजयनगर इस्पात संयंत्र एक पुराना संयंत्र है। इसकी आधार शिला 1971 में रखी गई थी तथा आवश्यक चार हजार एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे एक नया संयंत्र मानती है या पुराना। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी प्रकार इस संयंत्र को चालू करें जिससे कर्नाटक के लोगों, विशेषकर बेल्लारी जिले के लोगों की मांग और महत्वाकांक्षा पूरी हो, क्योंकि इससे बहुत से नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

बड़े-बड़े इस्पात संयंत्र उत्तर में स्थिति हैं दक्षिण में कोई भी नहीं है, । अतः मैं जनता सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशाखापटनम, विजयनगर और सेलम में तीन परियोजनायें चालू तुरन्त की जायें।

इस्पात संयंत्र की स्थापना की दृष्टि से मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि बेल्लारी स्थित वर्तमान हवाई अड्डे (सैनिक) को पक्का किया जाये तथा हुबली करवाड़-रेल लाइन को शीघ्र पूरा किया जाये, जिससे बेल्लारी होस्पेट-सेक्टर के लौह अयस्क को लाया-ले-जाया जा सके।

सरकार दोनीमाली में शीघ्र ही पैलट संयंत्र चालू करे जिससे वहां के खान के कार्य को कारगर रूप में यंत्रीकृत किया जा सके ।

राष्ट्रीय धातु विकास निगम ने अनेकों स्थानों पर कृषि भूमि को अधिगृहीत किया है। सरकार विस्थापित लोगों को मुआवजा देने में उदारता से काम करे ताकि वे अपना नया जीवन शुरू कर सके क्योंकि वे और कोई काम करने में असमर्थ हैं।

पता चला है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के कर्मचारियों की कुछ जायज शिकायतें हैं। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों के अधिकांश पद उत्तर भारत के बड़े इस्पात संयंत्र से लोगों की भर्ती करके भरे गये हैं और कुद्रेमुख परियोजना के वर्तमान योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा की गई है। ये कर्मचारी बड़ी निष्ठा से वहां कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति न्याय करें।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह विजयनगर इस्पात संयंत्र को शीघ्र पूरा करें।

Shri L.L. Kapoor (Purnea) : Government have admitted that the production of steel has increased during the last few years as a result of which there has been an increase in the domestic consumption as well as in exports. But in spite of it, during the last two years, its price has increased by 50 per cent. Government should, therefore, see that steel is made available to people for domestic consumption at lower price. Our object should be that it is sold on no profit no loss basis.

In regard to the sale of steel the factories in the private sector sell steel in the market through their private agents at the rate of Rs. 4500 per tonne whereas Government sell it at Rs. 2500 per tonne through H.S.L. agents. These agents sell to traders at the same price and that has contributed to the rise in the price of steel in the country. It is understood that Government have not given any relief for exporting steel with a view to meeting the competition from other countries, but they have paid as a subsidy whatever they earned from increasing the price in the country. This policy is not fair.

As regards stainless steel, Government have allowed relief to the extent of 35 per cent in the import duty. It means that the traders will have to sell the imported steel at a loss of Rs. 30,000 per tonne. I feel that in a poor country like India, stainless steel should not be allowed to be used for manufacturing utensils. It should be used only in chemical industries and in the manufacture of instruments used in hospitals. The use of stainless steel for manufacturing ordinary utensils should be altogether stopped. The Minister should look into the matter.

Government should also pay attention to the thefts being committed regularly in the steel factories at Rourkela and Durgapur. Measures should be devised to check these thefts and the guilty persons should be punished.

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : माननीय इस्पात और खान मंत्री को यह बात मालूम है कि देश की औद्योगिक प्रगति के लिये ठोस इस्पात उत्पादन कार्यक्रम होना आवश्यक है। मंत्री महोदय ने कहा है कि विशाखापटनम में इस्पात संयंत्र लगाने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं है। तथा अभी भूमि भी अधिगृहीत करनी है। इस परियोजना पर विचार करते समय इन सब बातों की ओर ध्यान दिया गया था। राज्य सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि भूमिगत जल की कोई कठिनाई नही होगी। भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी कार्यवाही की गई थी।

ऐसा पता चला है कि मंत्री महोदय जापानी निवेश के सहयोग से पारादीप में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने में अधिक रुचि रखते हैं। इतने पास-पास बन्दरगाह पर निर्भर दो इस्पात संयंत्र चालू करना व्यावहारिक नहीं है। यदि सरकार तटवर्ती इलाके में विदेशी निवेश से इस्पात संयंत्र लगाने के लिये इतनी इच्छुक है तो विशाखापटनम में इस्पात संयंत्र लगाने पर विचार न किये जाने का कोई कारण नहीं है। इसलिये इस समय पारादीप में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। विशाखापटनम के संयंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि सरकार उसके लिये वचनबद्ध है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट आश्वासन दें कि विशाखापटनम संयंत्र को समय बद्ध कार्यक्रम के आधार पर लिया जायेगा। मंत्री महोदय पारादीप इस्पात संयंत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

विशाखापटनम जिले में चित्तापल्ली और अन्नतागिरि स्थानों पर बाक्साईट के भंडार मिले हैं। वे बड़ी अच्छी किस्म के हैं और उनका भण्डार बहुत अधिक है तथा उसे आसानी से अल्यूमीनियम में बदला जा सकता है। 6 लाख टन की क्षमता वाले संयंत्र के लिये 220 करोड़ रुपये चाहियें तथा एक स्मैल्टर के लिये 500 करोड़ रुपये। इतने पिछड़े क्षेत्र में इस रुपये के निवेश से उस आदिवासी क्षेत्र की काया बदल जायेगी तथा इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ी सहायता मिलेगी। मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या सरकार ने इस खनिज को निकालने का दृढ़ निश्चय किया है।

Shri Gangadhar Appa Burande (Bhir) : The per capita consumption of steel in India is 14 kgs. per annum which is too less as compared to that in other underdeveloped countries. On the other side, thereis no market for steel in the country and hardly 25 per cent of the total production is being consumed within the country. It is expected that Government will make concerted efforts to increase domestic consumption of steel but they have instead laid more stress on exporting it and for that purpose, they are paying a subsidy of about Rs. 400 per tonne. This policy is not in the interest of the country.

It is painful to learn that on the one hand, huge stocks are lying and on the other, it is also being imported. The Ministry's Report says that Government have incurred an expenditure of Rs. 2.51 crores on the import of railway lines, wheels, sleepers, etc. This policy is also against the public interest.

It is understood that there is slump at present in the international market and several countries are competing with each other. In spite of it, Government have not reviewed their policy of exporting steel. The present policy of the Government will tend to increase the exploitation of labour in the country and it is not in the national interest.

The Durgapur Steel Plant is not working properly. The management of this steel plant is not meeting the demands of their labour. The Steel Minister should use his good offices to see that their demands are fully met.

So far as the problems of the workers are concerned, their most complicated problem is that of bonus. Due thought be given to pay them minimum bonus of 8.33 per cent.

The problem of contract labour is another serious problem of this industry. It has been decided many a time in the bilateral talks that the system of contract labour should be abolished. But this system is still in vogue. This system of contract labour should be abolished.

Another serious problem facing the workers of the steel industry is that of shortage of residential quarters. So it is requested that steps may please be taken to solve their housing problem.

I would request the hon. Minister that serious attention should be paid to the problems being faced by the workers of Bhilai steel plant and that of other steel plants.

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : The Janta Party is committed to provide a clean administration to the country and root out corruption. The previous had always indulged in corrupt practice and the present distribution system of steel is the legacy of that Government which wanted to please their own men by giving them quotas and permits. So in order to root out corruption to which our party is committed it is essential that the policy of distribution of steel is streamlined. As stated by me just now the present system of distribution of steel was devised by the previous Government, with a view to distribute favours to their partymen or their patrons. This policy has resulted in corruption and harassment to consumers. Therefore the whole system requires to be changed. Private distribution agencies should be done away with and the work of distributing steel be entrusted to Small Scale Industries Corporation or State Trading Corporation.

I would also like to point out that a number of bogus factories are getting quota of steel which they sell in black market. All such factories should be removed from the list of quota holders.

In our budget proposal we have stated that our economic policy will be need-based, employment oriented and will be directed towards encouraging indigenous industries. In this connection I would like to draw the attention of the Government to a recent announcement made in the budget under which the import duty for stainless steel has been

reduced from 320 to 120 per cent. This will have an adverse effect on our indigenous stainless steel industry, which is slowly and steadily coming up and competing with the imported stainless steel products. As a result of the reduction in the duty the utensils made of imported stainless steel would be cheaper and would push out the indigenous products out of the market. I fear that this will result in the closure of small units numbering about 1500. This will also affect the employment position in the country and a very large number of workers will be thrown out of employment. Therefore this reduction of duty should be reconsidered.

My next point is about imports. The stainless steel imported by the M.M.T.C. during last year was about 15000 tonnes, whereas this import has been reduced to only 3000 tonnes as a result of production by our small scale units. My point is that we should not resort to the import of stainless steel as our small units are in the position of producing stainless steel. Moreover we have to spend foreign exchange worth Rs. 16000 for a tonne of stainless steel. But if we import nickel for producing stainless steel in our country we have to spend only Rs. 3000 for the same quantity of nickel. Therefore encouragement should be given to produce stainless steel indigenously by importing nickel. This will be more profitable to our country. This will give encouragement to our small units, improve employment opportunities in the country and result in saving foreign exchange.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नौर) : मैं समझता हूं कि देश के भविष्य के लिये इस्पात मंत्रालय का भारी महत्व है तथा नई जनता सरकार, विशेषतया इस्पात मंत्रालय के कार्यभारी मंत्री इस्पात उद्योग को एक नई दिशा दे रहे हैं। नई दिशा से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि देश को आगे ले जाया जा रहा है। मेरा अभिप्राय यह है कि देश को पिछे ले जाया जा रहा है और भूतपूर्व सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफ़लता को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है।

माननीय मंत्री ने रोटी और इस्पात का पुराना सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धनता के स्तर से भी नीचे है तथा उन्हें रोटी के भी लाले पड़े रहते हैं तो देश में इस्पात उद्योग पर इतना अधिक धन खर्च करने का क्या औचित्य है? यह एक पुरानी तर्क है और उस समय उठाई जाती थी जब हम इस्पात संयंत्र स्थापित करने की बात किया करते थे। वस्तुत वर्तमान संदर्भ में इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है। यह हमारी इस्पात नीति के पूर्णतः प्रतिकूल है। गत वर्ष इस्पात के बारे में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस शताब्दी के अन्त तक 750 लाख टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। हमारे इस्पात विशेषज्ञों ने भी कहा है कि आज देश के आन्तरिक बाजार की चाहे कैसी भी स्थिति है, 1980 में देश को इस्पात की कमी का सामना करना पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में भी इस्पात की कमी होने की संभावना है। अतः हमें कुछ अस्थाई तत्वों के आधार पर ही इस्पात उद्योग की भावी नीति आधारित नहीं करनी चाहिये। चूंकि इस्पात के उत्पादन में काफ़ी समय लगेगा इसलिये दीर्घकालिक सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये। यदि यह समय और अधिक हो गया, तो इस्पात की कमी पूरी करना सम्भव नहीं होगा।

[श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए]

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमें इस देश के भावी विदेशी सहयोगियों के लिये अपने. द्वार खोलने होंगें और उनका धन लगाना होगा तथा यहां इस्पात का उत्पादन करना होगा। यदि हमने यहां आने के लिये बहुराष्ट्रिकों को अनुमति दे दी तो इससे देश के हितों को कोई लाभ नहीं होगा। बहुराष्ट्रिक हमारा शोषण करेंगे। मैं मंत्री महोदय को सतर्क करना चाहता हूं कि यदि इस्पात के क्षेत्र में देश के दरवाजे विदेशी वहुराष्ट्रिकों के लिये खोल दिये गये तो यह हमारे लिये बहुत अहितकर होगा। वे यहां लाभ कमाने के लिये आयेंगे और हमारी अर्थ व्यवस्था को खोखली कर देंगे।

जहां तक इस्पात की प्रति टन लागत का संबंध है यह सच है कि इस समय प्रति टन लागत 5000 रुपये हैं। यह लागत और कम हो सकती है। जहां तक इस्पात के उत्पादन का संबंध है, हमारे देश में बहुत अच्छा मूलभूत ढांचा है। हमारे पास डिजाइन बनाने और इस्पात संयंत्रों को चलाने के लिये आवश्यक तकनीक एवं विशेषज्ञ हैं। हमें अपेक्षाकृत कम लागत पर इस्पात का उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिये। मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में घोषणा की है कि इस देश में छोटे इस्पात संयंत्र समाप्त हो गये हैं। यह बात गलत है। छोटे इस्पात संयंत्र समाप्त नहीं हुये हैं, वे रुग्ण हैं तथा मंत्री महोदय को उनमें सुधार करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक इस्पात घोटाले की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ समय पहले बम्बई के 'इकानामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ था कि 3000 टन जंग लगा इस्पात बहुत सस्ते दामों पर बेचा गया। इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

यद्यपि मंडियों में बहुत इस्पात है लेकिन कुछ विक्रेता एजेंसियां इस्पात काले बाजार में बेच रही हैं। हमें ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे देश के दूर दराज भागों में भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इस्पात उपलब्ध हो सके।

अन्त में मैं कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ को 'आंसुका' के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया था। उन्हें पुनः नौकरी पर लिये जाने के साथ-साथ भूतलक्षी प्रभाव से सभी सुविधायें दी जानी चाहियें।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairman Sir, I would request the hon. Minister to give proper thought to the basic planning of the steel industry, so that steel can be made available at reasonable price in the country. The cost of production of a tonne of steel in Japan is Rs. 1200 only. But in India the cost of one tonne of steel is Rs. 2300. Therefore our country is unable to compete Japan in the international market.

In regard to stainless steel also, we are meeting 80 per cent of our demand by our indigenous industry. This industry is not getting raw material at a low price. Steps should be taken to supply these factories raw material at a low price so that utensils manufactured by our small factories could stand in competition with the utensils made from imported steel.

The Congress Government had been making tall claims about Bhilai, Bokaro and Durgapur steel plants. The fact is that these plants have always been running in loss since their inception. If fact, it is not possible to run them profitably. We should give due thought to the basic aspects of the steel plants.

I want to bring one thing more to the notice of the Hon'ble Minister. We should not allow our mineral ores to be exported. This is our real wealth and we should not sell it. By exporting mineral ores we shall not be depletin ; our valuable resources. Steps should be taken to export our finished goods.

Efforts should be made to bring down prices of various types of steel in our public sector plants. These plants should be made economically viable because of the incur losses, taxes would essentially boost and people will be in trouble. By reducing the prices of steel, we will be helping the tool manufacturers in the small scale sector to produce cheaper tools.

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : भारत में खनिज साधनों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में गम्भीर और सुव्यवस्थित प्रयास नहीं किये गये हैं। भारत में खनिज सम्पदा की सही मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्रयास किये जाने चाहियें।

खनिज रक्षित भण्डारों का इस प्रकार विदोहन किया जाये कि वे आगामी 100 वर्षों में भी समाप्त नहीं हों।

विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को पट्टा देने की सिफारिशें भेजी हैं। खेद का विषय है कि इस्पात और खान मंत्रालय ने फाइलों पर कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे संतोष है कि कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय ने इन फ़ाइलों का तुरन्त निपटारा करने के लिये निदेश दिए हैं। इस मंत्रालय के अधीन अनेक निगम एवं उपक्रम हैं। ये व्यापार गृह तथा औद्योगिक गृह के समान ही हैं। ये वाणिज्यिक आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इन निगमों के द्वारा बनाये गये तुलन पत्र अधिकांश मामलों में उनके कार्य-करण की अच्छी स्थिति का ब्यौरा नहीं देते हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिये।

उड़ीसा में खनिज सम्पदा का भारी भण्डार है। उड़ीसा के लोग वहां दूसरे इस्पात कारखाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से उनकी मांग का समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाए।

उड़ीसा के सुन्दरवन जिले में सारजीपल्ली में सीसे के विशाल भारी निक्षेप हैं। वहां एक सीसे की फैक्टरी खोली जाए।

उड़ीसा में लगभग 12 से 15 लौह भट्ठियां हैं। इन भट्ठियों को राउरकेला इस्पात संयंत्र से कतरन और लौह पिंड मिलते हैं। हाल ही में मंत्रालय ने यह योजना बनाई थी कि एक रेक वजन से कम कतरन नहीं बेची जाएगी। इस नीति से उनको बहुत हानि हुई है जो कतरन का पूरा रेक नहीं खरीद सकते हैं। इस नीति में परिवर्तन किया जाए और इससे पहले की व्यवस्था फिर से लागू की जाए।

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : बड़े खेद की बात है कि इस देश में समय को महत्वपूर्ण संसाधन नहीं समझा जाता है जिसकी कि विकासशील देश को बहुत आवश्यकता है। यदि किसी परियोजना को पूरा करने में दूसरे देशों की अपेक्षा यहां पांच या तीन गुना अधिक समय लगे तो उसमें आरंभ से ही हानि होने लगती है। बोकारो के मामले में बारह वर्ष से अधिक समय लग गया और 1500 करोड़ रुपये की राशि लग गई। यदि किन्हीं कारणों से इस परियोजना की वित्तीय व्यवस्था गलत हो गई तो हमें उनपर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि हम सिंचाई या औद्योगिक परियोजनाओं में अधिक धन ही नहीं लगा सकेंगे बल्कि हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। यदि किसी परियोजना को गंभीरता से आरम्भ किया जाना है तो वित्त मंत्री को उसके वार्षिक परिव्यय का ब्यौरा संसद में प्रस्तुत करना होगा। हमें पता चला है कि जब भी धन कम पड़ जाता है तो हम उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य बन्द कर देते हैं। यदि किसी परियोजना पर भारी धन खर्च होना है और हम उसके लिये कम राशि आबंटित करते हैं तो इससे वह परियोजना मंहगी पड़ती है।

देश के खनिज संसाधनों का पता लगाने वाली परियोजनाओं पर भारी राशि खर्च होगी। लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है। हम विदेशों से पूंजी ले सकते हैं। जब किसी खनिज विकास का प्रश्न उठता है तो उसे पूर्ण परियोजना मानना होगा क्योंकि उसमें नौवहन, पत्तन, रेलवे आदि सभी सम्मिलित होती हैं। इसलिये इन सब मुद्दों को देखते हुए परियोजना बहुत मंहगी हो जाती है। अतः अब ऐसा समय आ गया है जबकि हमें कोई भिन्न नीति के बारे में सोचना होगा।

लौह अयस्क के मामले में यह देश बहुत समृद्ध है। लेकिन इस सम्बन्ध में विकास नहीं हुआ है। आज भारत में विश्व के कुल इस्पात उत्पादन का 1.5 प्रतिशत उत्पादन होता है। लौह अयस्क के इतने भण्डार और कोयला निक्षेपों के होते हुए भी क्या देश की इतनी ही क्षमता है? यदि हमें वर्ष

2000 तक 750 लाख टन इस्पात का उत्पादन करना है तो हमें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा क्योंकि इस तरह से हम 750 लाख टन का अपना स्वप्न पूरा नहीं कर पायेंगे।

बाहर से विपुल संसाधनों का आयात किये बिना अधिकांश परियोजनाएं उचित समयावधि में तैयार नहीं हो सकतीं। देश को इस मामले में हिचकना नहीं चाहिये। हमें यह नहीं देखना चाहिये कि धन कहां से आया है। जब तक हमें उचित शर्तों पर और राष्ट्र के पूरे सम्मान के साथ धन मिले हमें निःसंकोच ले लेना चाहिए चाहे यह धन रूस से मिले या चेकोस्लावाकिया अथवा किसी अन्य पश्चिमी देश से।

हमने सोचा कि देश में नट और बोल्ट बनाकर हम आत्म निर्भर हो गए हैं। अतः आत्मनिर्भरता के नाम पर हम कुछ क्षेत्रों में अलाभकर उत्पादन कर रहे हैं। हमें इसे त्यागना होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है, अबाध विदेशी मुद्रा कमाना और इससे विश्व के किसी भी देश से नई तकनीकी खरीदना। हम इस स्थिति पर आ गये हैं जब हमें श्रेष्ठ तकनीक प्राप्त करनी होगी।

क्या देश का इस्पात उद्योग उपभोक्ताओं के हितोन्मुखी है? अब उत्पादन को फिर से नया रूप देना होगा। उद्योगों को पहले की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल बनाना होगा। आशा है मंत्री महोदय उन्हें अपने भाग्य पर नहीं छोड़ेगें बल्कि देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। सन्तोष का विषय है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इस बात का पता लगा रहा है कि इस्पात के प्रयोग से किस प्रकार का ग्रामीण विकास किया जा सकता है। वह ग्राहकों की तलाश में है। अतः उद्योग को फिर से नया रूप दिया जाना चाहिए।

हमने इस्पात के मूल्य की वृद्धि का इसलिये विरोध किया था क्योंकि देश में तैयार माल के मूल्य नियंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं है। कच्चे माल के मूल्य भी स्थिर करने होंगे। अतः जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने मुनाफा दिखाने के लिये मूल्य वृद्धि करने का विचार किया तो इस बात पर जोर दिया गया कि मुनाफा भले ही उत्पादन पर हो, सीमित उत्पादन पर नहीं। फिर भण्डार गृह बनाये गये रेकलोड की व्यवस्था की गई। लेकिन लोग कैसे भुगतान करके रेकलोड ले सकते हैं। भण्डार यार्डों की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ा। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए। यदि वह इस्पात के मूल्य में सीधी वृद्धि करना चाहते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन हमें किसी वस्तु पर एकाधिकार की स्थिति पैदा करके तथा उसे कठिन बनाकर मुनाफ़े का जरिया नहीं बनाना चाहिए।

लघु इस्पात संयंत्रों को इसलिये स्थापित किया गया था ताकि वे कतरनों का प्रयोग कर सकें। अभी भी यह उद्योग इस प्रकार का इस्पात तैयार कर सकता है जो बड़े-बड़े कारखानों के लिये बनाना लाभप्रद नहीं होगा। पहले इस्पात को बहुत महत्व दिया गया लेकिन अलौह धातु को कोई महत्व नहीं दिया गया।

हमें इस्पात उद्योग को उचित महत्व देना चाहिये और इस बारे में हमें विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। एक ओर तो देश में सुदृढ़ इस्पात उद्योग का समर्थन किया जाता है। इस कथन में कोई महत्व नहीं कि हम 70 लाख अथवा 1 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन करेंगे।

हमारे तटीय क्षेत्र में घटिया बाक्साईट उपलब्ध है। सोवियत यूनियन में भी ऐसा ही बाक्साइट मिलता है जिसका वह अल्यूमीनियम बनाने में उपयोग करते हैं। हमें भी तर्क-वितर्क में न पड़कर शीघ्र निर्णय करना चाहिए।

Shri Bagun Sumbrui (Singhbhum) : I am happy to address the Parliament for the first time.

My district has a large number of mines. The 'Blitz' of 18-6-77 and 'New Wave' of 5-6-77 have exposed scandals, involving 200 crores of rupees in 'Cromite' mines. Shri Mishri Lal Jain is proprietor of those mines. His son Shri Dharm Chand Jain is member of Rajya Sabha. The scandal relates to royalty, sales tax, income tax, export of goods and bonus. This matter may be investigated.

On 18th December 1976 Shri Sanjay Gandhi visited mines in my constituency. On that occasion a Government plane, 200 buses of State transport Corporation were used. For two days production remained at stand still. I hope that this matter would be investigated by the government.

A number of Adivasis were deprived of their lands. These people should be given some compensation. They should also be considered for providing employment.

The Head Office of Meghe Hatu project is at Hyderabad. It ought to be in Singhbhum District. That would affend facilities to the people of that area.

'Tisco' and 'Isco' companies have been given our lands for development of mining areas. These companies provide employment only to the kith and kin of the officers of the company. Even the children of the employees of these companies are deprived employment opportunities. If that state of affairs continues, there would be no remedy with us but to use arms. The Government should take up immediate steps to improve the situation.

The honourable Minister has direct and indirect connection with the mines. Our people have complete faith in him. We hope that the present regime would not misuse the power in their hands.

We have been vigorously demanding minimum wages for the workers. Till last December they have been paid at Rs. 2.25. Now their wages have been enhanced to Rs. 5.80. Agricultural labourers are paid Rs. 6.60. The wages of mine workers are lower. Their wages should be raised.

The congress government withdrew the scheme of 8.33 per cent bonus. In order to get benefit in election they announced 4 per cent bonus. Janta Government should give bonus of 8.33 per cent.

There are A.C.C. cement factories in our area. These factories spread smoke dust in 6 miles areas. Efforts should be made to see that the smoke dust does not spoil the crops.

During 1968 land was acquired for C.P.W.D. and mining office. We have been demanding 15—20 feet wide passage for the temple. This matter should be decided soon.

श्री गोविन्द मुन्डा (क्योंझर) : आदिवासी जातियों के लोग आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं और कम आय पर खानों में काम करते हैं। उनके आवास आदि की कोई सुविधाएं नहीं हैं। पिछली सरकार हमारा शोषण करती रही है। हम जानना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों के खनिज संसाधनों के विकास के मामले मे जनता सरकार की क्या नीति है?

क्योंझर में लोह अयस्क मैगनीज अयस्क और बाक्साइट इत्यादि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि उस क्षेत्र में कोई रेल सम्पर्क नहीं है। हमें इस बात का पता लगाना है कि किस प्रकार हम अपनी खानों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे आदिवासी लोगों को भी कुछ लाभ हो।

क्योंझर जिले के नयागढ़ क्षेत्र में एक दूसरे इस्पात संयंत्र के स्थापित करने की आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों से हमारे क्षेत्र के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। *जनता सरकार इस ओर और ध्यान दें तथा इसकी स्थापना शीघ्र की जाये।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए ।]
[Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair.]

*[उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

क्योंझर जिले में बखलि और बांसपानी रेलवे स्टेशनों के इर्द गिर्द काफी लौह अयस्क और मैंगनीज की खानें हैं। वहां पर एक रेलवे लाईन की अत्यधिक आवश्यकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि झाखड़पुरा-बांसपानी रेलवे लाईन पर काम शुरु कर दिया गया है इस जिले के प्राकृतिक संसाधनों के उचित विकास के लिए रेल लाईन बहुत आवश्यक है। इस लाईन के निर्माण के काम में तेजी लाई जाए और इसे न्यूनतम समय में पूरा किया जाये।

श्री सौगत राय (बैरिकपुर) : मैं श्री पटनायक को इस्पात और खान मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने पर बधाई देता हूं। श्री पटनायक ने श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ इस्पात उद्योग में सरकारी क्षेत्र की स्थापना की थी।

स्वतंत्रता से पूर्व निजी क्षेत्र में केवल दो छोटे इस्पात संयंत्र थे। लेकिन इन तीस वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस्पात उद्योग का काफी विकास हुआ है। पिछला वर्ष इस्पात उद्योग के लिए एक बहुत अच्छा वर्ष रहा, जबकि 1 करोड़ टन इस्पात का निर्माण हुआ। बेशक जापान के उत्पादन की तुलना में यह बहुत कम है। जापान एक छोटा सा देश है। वहां इस्पात का उत्पादन 12 करोड़ टन है जबकि अमरीका का उत्पादन 13 करोड़ टन। लेकिन इस उत्पादन के बावजूद पिछले वर्ष मांग की मंदी रही और जितने भी इस्पात का देश में उत्पादन हुआ उसका विक्रय न हो सका। देश में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा रहा है कि लोगों की जब क्रयक्षमता ही नहीं है तो इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जाये। इसकी क्या आवश्यकता है? यह एक खतरनाक सिद्धान्त है। श्री पटनायक को इस मंत्रालय को नई गतिशीलता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें केवल इस्पात उद्योग की ही स्थिति नहीं सुधारनी अपितु भारतीय अर्थ व्यवस्था का ढांचा भी परिवर्तित करना है। जहां तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है जब भी हमने इसके विस्तार के लिए मांग की यह कहा गया कि बुरे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण दुर्गापुर की क्षमता का विस्तार नहीं किया जा सकता। गत वर्ष दुर्गापुर के लिए अपूर्व शान्ति का वर्ष था। इस वर्ष 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। इसके बावजूद भी इस वर्ष के अनुदानों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जहां तक मिश्रित इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है इसके लिए लगभग एक करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ-साथ मंत्री महोदय द्वारा आयातित स्टेनलेस स्टील पर शुल्क कम करने के परिणामस्वरूप आयातित इस्पात का मूल्य कम हो जाएगा। और मिश्रित इस्पात संयंत्र को भी बन्द करना पड़ेगा। मंत्री महोदय हमारे राज्य के हित में इस बात पर विचार करें।

भारत सरकार ने राष्ट्र के और कर्मचारियों के हित में इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है। लेकिन गत पांच वर्षों में इसके आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में

*Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in oriya].

बहुत कम कार्यवाही की गई है। दस लाख टन के उत्पादन के लक्ष्य को जल्दी पूरा किया जाये ताकि एकक मे लगाई गई राशि बेकार न जाए।

जहां तक बोकारो इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है इस एकक का डिजाइन सोवियत डिजाइन पर आधारित है। लेकिन हाल ही में इस्पात मंत्री ने डिजाइन बदलने का निर्णय किया है। यह कार्य 'मीकोन' जो कि स्टील एथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायक शाखा है को सौंपा गया है।

खनिज धातु निगम ने जापान के साथ निर्यात व्यापार के लिए जो औपचारिक समझौता किया था वह अभी भी लागू है। समझौते की शर्तें हमारे पक्ष में नहीं हैं। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

जहां तक लौह अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, गोआ संघ राज्य क्षेत्र में कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनका इस अयस्क पर एकाधिकार है। मंत्री महोदय स्थिति मे सुधार करायें।

खनिज धातु व्यापार निगम ने जापान के साथ निर्यात व्यापार के लिए जो औपचारिक समझौता किया था वह अभी भी जारी है। समझौते की शर्तें हमारे पक्ष में नहीं है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

लौह अयस्कों के मालिक अपने जहाजों द्वारा अन्य देशों को माल का निर्यात करते हैं। मंत्री महोदय को कम से कम लौह अयस्क के निर्यात को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि राजकोष को होने वाले इस भारी नुकसान से बचाया जा सके।

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : मुझे आशा है कि श्री पटनायक के नेतृत्व में इस्पात और खान मंत्रालय प्रगति तथा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। यह मंत्रालय देश की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है।

इस्पात कारखानों में अनुसूचित जाति तथा आदिवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिये जायें। उड़ीसा खनिजों के साधनों से सम्पन्न है और अच्छे किस्म का लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज़ आदि आदि वहां मिलता है। हम अपने देश में सस्ती इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कटक जिले के सुकिंध अथवा नयागढ़ नामक स्थान पर दूसरा इस्पात कारखाना खोला जाये।

1972-73 के दौरान पारादीप बन्दरगाह से 18 करोड़ एम०टी० लौह अयस्क तथा एक लाख 12 हजार एम०टी० क्रोम का निर्यात किया गया।

हीराकुंड तथा तेलचर तापीय बिजली स्टेशनों के कारण वहां बिजली की भी कोई समस्या नहीं होगी और खर्च कम पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए में अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना खोला जाये।

Shri Mohan Jain (Durg) : I would like to speak on Bhilai plant only. It is unfortunate that after the installation of the Janta Government there was an incident in which firing was resorted to an innocent labourers of Rajahara mines near Bhilai as a result of which 10 persons were killed on the spot and one died in the hospital. It is hoped that the Minister will remove the causes behind this happening.

About 8000 labourers have been working under contractors at Rajahara and they have not been given so far the facilities stipulated under the contract. It caused a great resentment among the workers which ulimately led to the unfortunate incident.

Labour officers working under the Bhilai Steel Plant are not performing their duties. During the emergency, services of more than 90 workers were terminated. Though they have been reinstated, they have not been given salary for that period. The Minister should give clear instructions that they might be paid full salary for about 20 to 22 months.

Operation and Construction workers working in Bhilai plant have represented that they are not being given facilities that are allowed to other workers. The General Manager said that they have no sufficient income to pay for those facilities. It is learnt that corruption is rampant there. If it is checked, all the demands of the workers could be easily fulfilled. If workers are neglected, the very existence of Bhilai plant will be in danger. A steel plant should be constructed at Bailadila.

Shri Phirangi Prasad (Bansgaon): Steel and mines are important factors for the industrial development of country. There had been an increase in the production of steel in the country but its consumption is on the decline. The reason is that our goods could not stand against the competition in the international market as a result of which our goods are sold below the cost price and we earned lesser foreign exchange. It is hoped that Minister will take steps to see that goods produced in our country fetched better price in the international market.

Report published by the Ministry shows that Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are badly neglected in Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. The Minister should pay special attention to this matter.

Steps should also be taken to see that adequate compensation is paid to the family members of those miners who are killed in accidents.

Minister should pay special attention to small scale industries under which implements and tools are manufactured so that more equipment could be provided to unemployed people.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय का कार्य इस समय अव्यवस्थित दशा में है। एक ओर तो हमारे पास 400 करोड़ रुपये के मूल्य का बिना बिका इस्पात पड़ा है और दूसरी ओर हम लागत मूल्य से भी कम दरों पर खनिज निर्यात कर रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में हमारा इस्पात का उत्पादन कम है। जापान की जनसंख्या 10 करोड़ है और 11 करोड़ टन इस्पात पैदा करता है। उधर भारत की जनसंख्या 65 करोड़ है और यह सिर्फ 48 लाख टन इस्पात पैदा करता है।

देश में इस्पात की उत्पादन लागत 1500 से लेकर 1800 रुपये प्रति टन के बीच है इसका निर्यात मूल्य 1254 से 1356 रुपये प्रति टन के बीच है। इसका अर्थ यह है कि हम इस्पात के निर्यात में राजसहायता देते हैं। इस देश का उपभोक्ता जो मूल्य देता है वह निर्यात मूल्य से दुगना होता है। दो वर्षों में स्वदेशी खपत के लिए इस्पात का मूल्य तीन गुना हो गया है। इससे स्वदेशी उपभोक्ता पर बहुत बोझ पड़ा है।

औद्योगिक नीति संकल्प में कहा गया था कि इस्पात का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये इस संकल्प का क्या बना। जब इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सरकार ने अपने हाथ में लिया तब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया?

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, इसके राष्ट्रीय प्रतिरक्षण मूल्य की समीक्षा की जानी चाहिये क्योंकि इससे देश की आर्थिक प्रक्रिया पर विपरीत असर हुआ है। पूर्वी भारत में इंजीनियरी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी रही। एक ओर तो वे अन्य क्षेत्रों में नई क्षमता पैदा कर रहे हैं, दूसरी

ग्रोर बम्बई, गुजरात के इस्पात कारखानों के लिये बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल की मिलों से काली चादरों की खरीद कर रहे हैं। यह ग्रच्छी व्यवस्था नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

परिवहन उद्योगों के लिये एल्यूमीनियम बहुत ग्रावश्यक है लेकिन चार में से तीन संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र में हैं। ग्रब वे विलासिता की वस्तुयें बना रहे हैं ग्रौर एल्यूमिनियम चादरों की काला बाजारी कर रहे हैं। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

कुद्रेमुख में पतली पाईप लाईन बिछाने के लिए वेकेटल निगम को ठेका दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व ग्रध्यक्ष तथा योजना ग्रायोग का सदस्य वेकेटल निगम में बहुत रुचि लेते थे। स्टील एथारिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड के पहले ग्रध्यक्ष के कई भाई सैंट फ्रेंसिस्को में वेकेटल कम्पनी में काम करते थे। कुद्रेमुख पाईपलाईन पर ग्राने वाली लागत ग्रन्य इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा दी गई निविदा के सौ गुणा ग्रधिक थी। इस निविदा का निर्णय दो घंटे के भीतर लिया गया। वेकेटल निगम को 60 लाख डालर ग्रलग क्यों दिए जा रहे हैं। इस प्रकार कुद्रेमुख परियोजना ग्रमरीकी डालरों के रूप में विदेशी मुद्रा बाहर भेज रही है। इस परियोजना के बारे में मंत्री महोदय को पूरी जांच करनी चाहिये।

श्री समरेन्द्र कुंडु (बालासौर) : कुछ समय पहले ग्राश्वासन दिया गया था कि उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित किया जायेगा। लेकिन बाद में राजनीतिक ग्राधारों पर ग्रलग ग्रलग तीन जगहों पर एक एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। मंत्री महोदय से मेरा ग्रनुरोध है कि वे उड़ीसा में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की व्यवस्था करें जैसा कि दस्तूर समिति के प्रतिवेदन में सिफारिशें की गई है।

मैं मंत्री महोदय से ग्रनुरोध करता हूं कि वे इस्पात की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिये गम्भीरता से विचार करें।

जहां तक स्टील एथारिटी ग्रॉफ इण्डिया लिमिटेड ग्रौर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सम्बन्ध है स्टील एथारिटी ग्रॉफ इण्डिया लिमिटेड का गठन बहुत ग्रच्छे उद्देश्यों से किया गया था। स्टील एथारिटी ग्रॉफ इण्डिया लिमिटेड का गठन 1972-73 में किया गया था। उस समय यह सोचा गया था कि स्टील एथारिटी ग्रॉफ इण्डिया लिमिटेड सरकारी इस्पात संयंत्रों में समन्वय स्थापित करेगी ग्रौर एकरूपता लाएगी। लेकिन वह ग्रपने कार्य में सफल नहीं हुई है। मेरा मंत्री महोदय से ग्रनुरोध है कि वह स्टील एथारिटी ग्रांफ इण्डिया लिमिटेड ग्रौर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की भावी नीति के बारे में एक स्पष्ट नीति की घोषणा करें।

ग्रापात के दौरान जब हम जेल में थे, तो इस बात का बहुत प्रचार किया जाता था कि उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन केवल ग्रापात् के दौरान ही नहीं बढ़ा है पहले भी बढ़ता रहा है। स्टील एथारिटी ग्रॉफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उसे 1975-76 में 46.60 करोड़ रुपये का लाभ हुग्रा है। यह लाभ ग्रौर भी ग्रधिक हो सकता था। परन्तु अब ग्रभी तक कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। फालतू पुर्जों के निपटान, नौकरियों, श्रमिकों, ठेका प्रणाली, इस्पात कबाड़े के बचे खुचे पदार्थों की बिक्री ग्रादि में भ्रष्टाचार होता है। इससे काफी कठिनाई हो रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं।

ग्रापात स्थिति के दौरान कई श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि इन को नुकसान न हो। प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन दिलवाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं तथा उड़ीसा में इस्पात श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 18 रुपये कर दी जानी चाहिए।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया।

मुख्य सस्मयाओं का उल्लेख करने से पूर्व उन छोटी-छोटी समस्याओं का उल्लेख करूंगा जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने रोष व्यक्त किया है। छोटे इस्पात संयंत्रों के बारे में, जिन की स्थिति खराब होती जा रही है, मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ये संयंत्र पूरी तरह खराब नहीं हुए हैं। हम वित्त मंत्रालय के सहयोग से उन की स्थिति सुधारने के उपाय करेंगे और उन्हें चालू रखने के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करेंगे।

मुझे छोटे उत्पादकों से जो स्टैनलैस स्टील की प्लेटें, कटोरियां, और दूसरी चीजें बनाते हैं, पूरी सहानुभूति है। मैं तथा मेरा मंत्रालय काफी विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्टैनलैस स्टील पर आयात शुल्क में बहुत अधिक कमी करने की नीति थोड़ी जल्दबाजी में बनाई गई है। वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और मैं मिल कर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्टैनलैस स्टील बर्तन बनाने वाले स्वदेशी उद्योग न केवल चालू रहें, बल्कि अच्छे ढंग से कार्य करें। इससे संयोगवश दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी बच जायेगा, क्योंकि अयात शुल्क में कमी की घोषणा होते ही सरकारी स्टेनलैस स्टील संयंत्र को दिये गये क्रयादेश रद्द कर दिये गये। अतः इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सही बात को लागू किया जाये।

श्री संगोता राय ने बोलफाम खान के बारे में कटौती प्रस्ताव पेश किया था। यह बड़े धातु उत्पादन करने वाली बड़ी खान नहीं है। सरकार का विचार इस को अपने हाथ में लेने का नहीं है। सरकार का प्रस्ताव है कि इस से संबंधित व्यक्ति के पट्टे की अवधि बढ़ाई जाये ताकि वह दो टन अथवा पांच टन धातु निकाल सके और उसे दुर्गापुर संयंत्र आदि को भेजा जा सके।

इस के अतिरिक्त छोटे खान मालिकों का प्रश्न है। मुझे ज्ञात हुआ है कि हजारों आवेदन पत्र मंत्रालय के पास वर्षों से पड़े हैं। मैं ने मंत्रालय को निदेश दिया है कि भूतपूर्व सरकार की चाहे जो नीति रही हो, अब आवेदनकर्ताओं को 10 एकड़, 20 एकड़ तथा 30 एकड़ जगह देकर जटिलता को समाप्त किया जाये। जन क्षेत्र या राष्ट्रीय क्षेत्र में ये लोग अधकि धन नहीं कमा पाते। ये लोग पूंजी-पति नहीं हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दस, बीस या तीस हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है मैंगनीज क्रोम या लौह अयस्क जैसे बड़े क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में रहेंगे। परन्तु छोटी-मोटी चीजों को पूर्ण रूप से रिलीज किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण नीति से लोगों के प्रयासों को क्षीण नहीं बनाया जाना चाहिए।

भिलाई के निकट डली-राजहरा लौह अयस्क खान में एक दुर्घटना हुई है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। इस कार्यवाही से बचा जा सकता था। आश्चर्य की बात है कि सरकार बदलने के बाद भी पुलिस गोली चलाने से बाज नहीं आती। वर्तमान सरकार को पुलिस का यह रवैया पसन्द नहीं है। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि पुलिस को बल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वहां के महाप्रबन्धक ने प्रत्येक मृतक के परिवार को एक हजार रुपये की राशि दी थी, परन्तु मैं ने महाप्रबन्धक को आदेश दे दिया है कि वह यह राशि बढ़ा कर पांच हजार रुपये कर दे और साथ ही प्रत्येक ऐसे परिवार में से एक व्यक्ति को भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी दे। मैं ने एक ऐसी परियोजना तैयार करने के लिए कहा है जिससे ठेकेदारों के पास काम करने वाले अधिकांश मजदूरों को इस्पात कम्पनी की भिन्न शाखाओं में नौकरी दी जा सके। अतः हर संभव कार्य किया जा रहा है।

इसी प्रकार एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना चसनाला में हुई है। यह तर्क पेश करना सही नहीं है कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को तथा अपने सहयोगियों को डुबाने का प्रयत्न किया। जांच आयोग के प्रतिवेदन में कुछ आरोप लगाये गये हैं। और उनमें से एक आरोप यह है कि अधिकारियों ने लापरवाही बरती। लेकिन यह भी तथ्य है कि उन अधिकारियों को दरार पड़ने का पता नहीं चला। जानकारी के अभाव में हुई दुर्घटना के लिये हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिस से उन अधिकारियों की भावना को ठेस पहुंचे जो निजी जोखिम लेकर भूमि से 4000 से 5000 फुट नीचे काम करते हैं। हम अपने अधिकारियों के मनोबल को नहीं गिराना चाहते।

किसी माननीय सदस्य ने हेकेट का मामला उठाया था, जो अमरीकी कम्पनी है और जिस के साथ मिलकर टाटा बन्धुओं ने धातु मल को सीमेंट में परिवर्तित करने का कार्य शुरू करने का प्रयास किया था। गत सरकार का प्रस्ताव था कि स्टील एथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड भागीदारी अथवा अंशधारी बन जाये अथवा उस पर इस का किसी प्रकार का नियंत्रण हो। इस परियोजना की कुल लागत कुछ ही करोड़ रुपये है। मैंने इस प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है कि स्टील एथारिटी ऑफ इण्डिया को ऐसी छोटी-मोटी बातों में रुचि नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुद्रेमुख परियोजना में कार्य कर रहे वेंकेटल निगम का उल्लेख किया था, जिसने पाईपलाइन बिछाने का कार्य करके देश का पैसा लूटा। यदि देश का पैसा कोई विदेशी लूट कर ले जाता है, तो इस के लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई विदेशी नहीं। उनके पास विशेषज्ञ हैं और हम 70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो 1.8 किलोमीटर लम्बी सुरंग से होकर गुजरेगी। हम ने टेंडर मांगे हैं, लेकिन अभी तक क्रयादेश नहीं दिया गया है।

बजट पर वाद-विवाद के दौरान मैंने क्रोम का उल्लेख किया था। गत तीन वर्षों से क्रोम का निर्यात किया जा रहा है। इस से कुछ चन्द भले खान मालिकों द्वारा धन कमाया जा रहा है। परन्तु इस वर्ष हम ने उनसे शुल्क के रूप में धन प्राप्त करने का निर्णय किया है। कुल 25 करोड़ रुपये के निर्यात से हमें 3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। सदन को यह जान कर खुशी होगी कि इस वर्ष निर्यात किये जा रहे क्रोम से 50,000 टन फैरो क्रोम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ताकि इस क्रोम फाइन को विलैटस के रूप में तथा बाद में फैरो क्रोम के रूप में, जो कि देश के लिए उपयोगी है, बदला जा सके।

बिजली की कमी के कारण एल्युमिनियम का उत्पादन गिरा है। यह बड़ी शोचनीय बात है। खेद की बात है कि भूतपूर्व सरकार ने बड़ी एल्युमिनियम परियोजनाओं को अपने रक्षित बिजली संयंत्र क्यों नहीं बनाने दिये। मैं ने इस की अनुमति दे दी है और उन्हें शीघ्र काम करने के लिए कहा गया है।

हम चाहते हैं कि राष्ट्र को सस्ता इस्पात मिले। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों को पर्याप्त लाभ होना चाहिए ताकि वे विकास तथा प्रतिस्थापन आदि कर सकें। इस के अतिरिक्त हमें इन स्थानों के भावी विकास के बारे में भी सोचना होगा, जहां सस्ती दरों पर इस्पात मिल सकता है।

एक अन्य बात यह है कि हम चाहते हैं कि बोकारो की भांति कार्य पूर्ण होने की अवधि दस वर्ष निर्धारित न की जाये। पूंजीनिवेश शुरू होने से उत्पादन शुरू होने तक तीन वर्ष या अधिक से अधिक साढ़े तीन वर्ष लगने चाहिएं। यदि विस्तार करना है तो न्यूनतम पूंजी लागत विस्तार वर्तमान संयंत्र स्तर से शुरू होना चाहिए।

भूतपूर्व सरकार इस्पात उद्योग को सुचारू नहीं बना सकी। यह एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें सरकारी पूंजी निवेश होता है। यदि इस उद्योग को सुचारू बनाना है, तो विभिन्न सुधारात्मक कार्य करने होंगे।

इस्पात, एल्युमिनियम और बिजली जैसे मुख्य उद्योग संकट की स्थिति में हैं। हमें उन्हें इस स्थिति से उभारना चाहिए या तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक भारतीय माल की खपत नहीं होती। यह एक ऐसी संकट की स्थिति है, जिस के बारे में हमें निर्णय लेना है।

गत चालीस वर्षों से इस्पात की विश्व मंडी बहुत ही निराशाजनक रही है। यह उचित समय है कि राष्ट्र इस संबंध में योजना बनाये। ऋण उपलब्ध हैं और मशीनरी भी सस्ती दरों पर प्राप्त की जा सकती हैं। हमें सेवायें सस्ती दरों पर मिल सकती हैं। यदि हम में साहस है और हम अभी से योजना बना लेते हैं तो संभव है कि हम उन सभी बातों की नींव रख सकते हैं, जिन की सदस्यों को सरकार से अपेक्षा है।

हम मुख्य अल्युमिनियम संयंत्र लगाने के लिए सोवियत संघ, रूमानिया तथा अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं। मैं सभा को आगामी तीन महीनों में कुछ आशावान जानकारी देने में समर्थ हूंगा। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एल्युमिनियम संयंत्रों में बिजली बन्द न की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय को वर्ष 1977-78 की अनुदानों की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राजस्व	राशि पूंजी
84	इस्पात विभाग	52,62,09,000	3,27,18,25,000
85	खान विभाग	21,33,000	..
86	खान और खनिज	27,01,60,000	42,98,00,000

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार 29 जून, 1977/8 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday June 29, 1977/ Asadha 8, 1899 (Saka).

MGIPRRND—CR III-N.S.—7LSS/77—4-10-77—200